23वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
2006 - 2007

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

NATIONAL MEET
22-23 FEB
2007

23वाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

2006-07

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 संस्था

मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009. आन्ध्रप्रदेश, भारत.

रता : मनोविकास दूरभाष : 040-27751741 फेक्स : 040-27750198

ई-मेइल : nimh_hyd@eth.net, hyd2_dirnimh@sancharnet.in

वेबसाईट : www.dirnimhindia.org

nqa. ISO 9001 Registered

विषय सूची

	विवणन	पृष्ठ सं
अध्याय		
1	संस्थान के बारे में	7
2	उद्देश्य	9
3	मानव संसाधन विकास	11
4	अनुसंधान एवं विकास	17
5	राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान के प्रकाशन	23
6	सेवा प्रतिमान	25
7	विशेष शिक्षा केन्द्र	37
8	रा.मा.वि.सं. का विशेष शिक्षा केन्द्र का मॉडल	39
9	परामर्शदात्री एवं तकनीकी समर्थन	41
10	दस्तावेजीकरण एवं प्रचार-प्रसार	43
11	विस्तारण और अउट रीच सीमा से ऊपर पहुँच कार्यक्रम	45
12	प्रशासन	51
13	वार्षिक लेखे एवं लेखा-परीक्षा	55
	परिशिष्टियाँ	
क	सामान्य परिषद् के सदस्यों की सूची	100
ख	कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची	102
ग	शैक्षणिक परिषद् के सदस्यों की सूची	103
घ	नीति-शास्त्र समितियों के सदस्यों की सूची	104
	अनुबंध	
I	लघु-अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	105
II	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	109

संकल्पना

देश के अन्य नागरिकों की तरह हर मानसिक
मंद व्यक्ति के जीवन भी उतना ही विशेष है;
इसमें वे संभवतः अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्र जीवन बिताएँगे।

मिशन

विशेषज्ञों के निरंतर पयास द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों को वर्तमान आधुनिक पुनर्वास हस्तक्षेप जैसे, शैक्षिक, थिरैप्युटिक, व्यावसायिक, रोजगार, अवकाश काल तथा सामाजिक, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूर्ण सहभागिता में अभिगम के लिए अधीकृत बनाना

मान्यता

एन.आई.एम.एच. मानसिक मंद व्यक्तियों के समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी को मान्यता देती है। ग्राहक पर आधारित पुनर्वास कार्य़कमों में विकलांग व्यक्ति, अभिभावक, व्यावसायिक, कर्मचारी तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के भागीदारी में
एन.आई.एम.एच. विश्वास करता है।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 संस्था

गुणता नीति

मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को अधिकारिता प्रदान करने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करने में हम अग्रगण्य हैं।

लक्ष्य :

1. जीवन चक्र की आवश्यकताओं पर आधारित गुणता नमूनों के द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए तत्पर प्रशिक्षित मानव संसाधनों को तैयार करना।

2. मूल्य जुड़े अनुसंधान तथा विकास कार्य करना और आधुनिकीकृत प्रलेखन और प्रचार-प्रसार प्रदान करना।

निदेशक

माननीय राज्य मंत्री का संस्थान का निरीक्षण

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीसन, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक: 14 जुलाई, 2006 को संस्थान का निरीक्षण किया । उन्होंने संस्थान द्वारा मानसिक विकलॉंगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलॉंग संस्थान द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्य की प्रशंसा की और साथ ही साथ स्टाफ, मानसिक विकलॉंगों व उनके देखरेखकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएँ भी समर्पित कीं । उनके द्वारा प्रकट किया गया मत निम्नानुसार है :

Visiting NIMH and seeing the good work being done here for the welfare of the mentally handicapped people has been a great experience and I deeply appreciate the impressive work being done by the Director, Shri Govinda Rao and his team in the Institute. I am also very impressed and touched by the dedication that the parents of the patients and other stakeholders.

I extend my good wishes to the Director, his team, patients and their caregivers/parents, etc., for their excellent work.

Subbulakshmi Jagadeesan

14.7.06.

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉंग संस्थान का निरीक्षण करना और मानसिकरूप से विकलॉंग लोगों के लिए यहाँ किये जा रहे सुकार्य को देखना एक महान अनुभूति है और मैं संस्थान के निदेशक डा.गोविंद राव और उनकी टीम द्वारा संस्थान में किये जा रहे प्रभावशाली कार्य के लिए उनकी सराहना करती हूँ ।यहाँ आने वाले मरीजों के अभिभावकों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य लाभ पानेवालों के समर्पण भाव ने मेरे दिल को हिला दिया है । मैं संस्थान के निदेशक एवं उनके स्टाफ, मरीजों और उनके देखरेखकर्ताओं / अभिभावकों आदि को उनके द्वारा समर्पण भाव से किये जा रहे उत्कृष्ट कार्य के लिए अपनी शुभकामनाएँ देती हूँ ।

ह./-
सुब्बुलक्ष्मी जगदीसन
दिनांक : 14-7-2006

अध्याय 1

संस्थान के बारे में

1.1 परिचय :

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान विगत 23 वर्षों से अवस्थित है और मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों में अधिकारिता के लिए क्षमताओं के निर्माण की ओर प्रगतिशील पथ पर अग्रसर है । सेवा प्रतिमानों के विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, दस्तावेजीकरण और प्रचार-प्रसार, समुदाय आधारित पुनर्वास और विस्तारण तथा सीमा से ऊपर पहुँच के कार्यक्रम संस्थान के प्रमुख फोकस रहे हैं । संस्थान की स्थापना 1984 में कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा की गयी । इसका मुख्यालय सिकन्दराबाद तथा तीन क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली, मुंबई और कोलकता में स्थित हैं। इसका मॉडल विशेष शिक्षण केन्द्र दिल्ली में है ।

मानसिक विकलॉगता के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के जरिए चालू विकास कार्यों और प्रवृत्तियों के आधार पर नये कार्यक्रमों के संचालन, विद्यमान कार्यक्रमों के विस्तारण और नवोन्मेषण के लिए संस्थान प्रयासरत है । संस्थान के अपने विभिन्न कार्यकलाप राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय सहयोग उसके विभिन्न कार्यकलाप संगठन की विश्वस्तरीय चारित्रिकता को प्रतिबिंबित करते हैं ।

संस्थान, मानसिक मन्दन से ग्रस्त लोगों की जिन्दगियों में समानता और गरिमा लाने के लिए अपने कार्य के प्रत्येक पहलू में गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रीकृत करता है और इसका समर्थन आईएसओ 9001:2000 के प्रमाणीकरण द्वारा सिद्ध हो जाता है ।

NIMH

अध्याय 2

उद्देश्य

2.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान के सामने लक्ष्य हैं :

- मानव संसाधन विकास ।
- अनुसंधान एवं विकास ।
- देखरेख और पुनर्वास के प्रतिमानों (माडलों) का विकास
- दस्तावेजीकरण और प्रचार-प्रसार ।
- स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान करना ।
- समुदाय आधारित पुनर्वास ।
- विस्तारण और सीमा से ऊपर पहुँच कार्यक्रम ।

2.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान का मुख्यालय सिकन्दराबाद में तथा कोलकता, मुंबई और नई दिल्ली में क्षेत्रीय केन्द्र अवस्थित हैं । तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष, 1964 में स्थापित मानसिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चों के लिए मॉडल स्कूल (राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान, मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र के रूप में नाम बदल दिया गया) के प्रबंधन को अगस्त, 1986 में राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान को सौंप दिया गया था ।

2.3 उल्लेखनीय उपलब्धियाँ / नये कार्यकलाप

- माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीसन ने दिनांक: 14 जुलाई, 2006 को राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान का निरीक्षण किया ।
- भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा समुदाय आधारित पुनर्वास डिप्लोमा को मान्यता प्रदान किये जाने के बाद इसे प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान शुरु किया गया ।
- उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध (एफिलिएटेड)होने के बाद चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान एम.फिल (विशेष शिक्षा) शुरु किया गया ।
- आर सी आई और उस्मानिया विश्वविद्यालय के अनुमोदन से वर्ष 2006-07 के लिए एम.एड.विशेष शिक्षा (एमआर) में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता संख्या 10 से 25 कर दी गयी।
- राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान द्वारा, दिनांक:5-6 दिसंबर, 2006 के दौरान बेंगलूर में अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों और प्रौढ़ों के लिए उपयोगों और आवश्यकताओं, सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर भारत-यू.एस. भागीदारी सम्मेलन का आयोजन किया गया ।
- 19-30 मार्च, 2007 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हाई स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

- विभिन्न दीर्घावधि कार्यक्रमों द्वारा लगभग 382 व्यावसायिकों को प्रशिक्षित किया गया ।
- 57 व्यावसायिकों के हितार्थ पाँच प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया ।
- 701 लाभार्थियों के हितार्थ मानसिक मंदन के विभिन्न पहलुओं पर 42 लघु अवधि पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया ।
- 4613 अभिभावकों को लाभ पहुँचाते हुए 114 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये ।
- संस्थान ने वर्ष 2006-07 के दौरान 3002 लाभार्थियों को आवरित करते हुए 31 जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया गया ।
- प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान 114 विभिन्न संस्थानों से कुल 2393 व्यावसायिकों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान और क्षेत्रीय केन्द्रों का संदर्शन किया ।
- 7-8 जनवरी, 2007 के दौरान मातृ संगठनों का 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया ।
- 22-23 फरवरी, 2007 के दौरान 12वाँ राष्ट्रीय विशेष कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया ।
- प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान रा.मा.वि.संस्थान और उसके क्षेत्रीय केन्द्रों में कुल 5080 नये मरीजों को सेवाएँ प्रदान की गयीं।
- रा.मा.वि.संस्थान एवं उसके क्षेत्रीय केन्द्रों में कुल 97079, अनुवर्ती रोगियों का इलाज किया गया ।
- ए डी आई पी योजना के अंतर्गत कुल 3008 सहायक सामग्रियाँ और उपकरण वितरित किये गये ।
- प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने 3 नये प्रकाशन किये ।
- वर्ष के दौरान 83 प्रकाशनों की कुल 7914 प्रतियाँ बेची गयीं।
- वर्ष 2006-07 के दौरान 12711 व्यावसायिकों और विद्यार्थियों ने पुस्तकालय सेवाओं का उपयोग किया ।
- राष्ट्रीय गहन पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंश के रूप में रा.मा.वि.सं. के स्टाफ ने मुख्यालय में 0-5 वर्ष की आयु के 1742 बच्चों के लिए टीका लगाने के कार्यक्रम का आयोजन किया।
- विस्तार तथा बाहरी-पहुँच क्रियाकलापों के अंतर्गत सी.बी.आर कार्यक्रमों के द्वारा 6449 व्यक्ति लाबान्वित हुए।

अध्याय 3

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास की प्रोन्नति के लिए संस्थान देश भर में फैले अपने विभिन्न केन्द्रों में निम्न प्रकार के 12 दीर्घावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है । वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश लेने की संख्या क्रमश: निम्नानुसार है :

पाठ्यक्रमवार : वर्ष 2006-07 में विद्यार्थियों का नामांकन

			विद्यार्थी	
क्रम.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**केन्द्र**	**प्रवेश क्षमता**	**नामांकन**
1	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	6	120	96
2	पेशेवर पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	6	115	81
3	प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)	3	60	51
4	समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा	1	20	14
5	पुनर्वास चिकित्सा शास्त्र में स्नातक	1	20	10
6	विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)	2	40	38
7	विशेष शिक्षा में बी.एड. (दूरस्थ पद्धति)	1	40	40
8	प्रारंभिक मध्यस्थता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1	20	10
9	एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)	1	25	17
10	पुनर्वास मनोवैज्ञानिकी में एम.फिल.	1	12	11
11	अक्षमता पुनर्वास प्रशासन में स्नातकोत्तर (मास्टर्स)	1	12	12
12	विशेष शिक्षा में एम.फिल. (मानसिक मंदन)	1	10	02

3.1 विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) में डिप्लोमा

इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम का लक्ष्य मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों तथा उनके साथ-साथ ऐसे लोग जो अतिरिक्त अक्षमताओं से भी ग्रस्त हों, उनका पुनर्वास कराने के लिए विशेष शिक्षकों को तैयार करना है जो स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सक्षम हों । परीक्षा संचालन का कार्य भारतीय पुनर्वास केन्द्र को सौंप दिया गया है और ये परीक्षाएँ मणिपाल अकाडेमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा चलायी जाती हैं क्योंकि यह भारतीय पुनर्वास केन्द्र द्वारा मनोनीत है ।

3.2 पेशेवर पुनर्वास में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम मानसिक मंदन के क्षेत्र में पेशेवर अनुदेशकों को तैयार करता है और यह राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान, सिकंदराबाद, क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता, नवज्योति ट्रस्ट, चेन्नै, आशालय बैंगलोर, शेल्टर हुगली और विशेष शिक्षा के लिए जानी केन्द्र कोची सहित छह केन्द्रों में चलाया जाता है ।

3.3 प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा (ईसीएसई) 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ध्यान देता है और लक्ष्य वर्ग की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विविध तरीकों और अभिगमों का उपयोग करता है । यह गृह आधारित प्रशिक्षण, केन्द्र आधारित प्रशिक्षण, नियमित प्री- स्कूलों, अंगनवाड़ियों या बालवाड़ियों में हो सकता है । यह मानव संसाधन के प्रशिक्षण की मॉग करता है जो घर में आने वाला निरीक्षक या भ्रमणकारी शिक्षक होता है जो नियमित या विशेष प्री- स्कूलों में अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों को संभालने परिवारों के पास स्वयं जाता हो । इस प्रारंभिक बाल्यकाल के विशेष शिक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बहु-विषयक टीम का सदस्य हो जो, आम जनसंख्या के साथ-साथ अक्षम बच्चों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम की अभिकल्पना और प्रबंधन करे तथा इन तमाम सक्षमताओं को प्रदान करने के साथ-साथ डीडीआरसी यों में कार्मिक की तरह काम करते हुए इन तमाम सक्षमताओं को प्रदान करना है । प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा तीन केन्द्रों में शुरु किया गया है। परीक्षाओं के कार्य का समन्वयन माहे (मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन) द्वारा किया जाता है ।

3.4 समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा

यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) कार्यक्रमों, मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रोजगार जैसे विषयों पर फोकस करता है । यह अक्षमता के क्षेत्र में समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकियों से संबंधित सभी क्षेत्रों की प्रोन्नति व अनुसंधान संचालित करेगा । यह सामाजिक पुनर्वास के लिए अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतरण-विषयक प्रतिमानों और कौशलों पर भी प्रकाश डालेगा ।

3.5 पुनर्वास चिकित्सा में स्नातक

इस चार वर्ष के पाठ्यक्रम का संबंधन (एफिलिएशन) इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से है और हमारे नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा चलाया जाता है। यह पाठ्यक्रम मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यापक सेवाएँ प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों को तैयार करता है । पाठ्यक्रम में न्यूरोबयालोजी, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा, शरीर विज्ञान और व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों का समावेश है।

3.6 विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्यापकों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, रा.मा.वि.सं. विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम को उस्मानिया विश्वविद्यालय के संबंधन से अपने मुख्यालय में तथा कोलकता विश्वविद्यालय के संबंधन से कोलकता स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में एक वर्षीय विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन) कोर्स का संचालन करता है ।

3.7 विशेष शिक्षा में बी.एड. (दूरस्थ पद्धति)

मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय, भोपाल और भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में बी.एड. विशेष शिक्षा दूरस्थ पद्धति पाठ्यक्रम संचालित किया गया । इस पाठ्यक्रम के संचालन का लक्ष्य मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों का विकास करना है ।

3.8 प्रारंभिक मध्यस्थता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विकासीय विलंबनों से ग्रस्त बच्चों की अक्षमताओं को आरंभ में ही परख लिया जाकर उन्हें आरंभिक आयु में ही यदि व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान कर दी जाएँ तो उनमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित होगा । इन सेवाओं की प्रकृति अंतर-विषयक और अधिगम में होलिस्टिक होती हैं जो बच्चे को विकास, शरीर-चिकित्सा विज्ञान, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा और परिवार मध्यस्थता से आवरित करती है । यह कोर्स उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के संबंधन में है ।

3.9 एम.एड.- विशेष शिक्षा (मानसिक मन्दन)

एक वर्ष की अवधि का एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम का संबंधन उस्मानिया विश्वविद्यालय से है और इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य विशेष शिक्षा में संकाय स्तर पर व्यावसायिकों को तैयार करना है ।

3.10 अक्षमता पुनर्वास प्रशासन में मास्टर्स (एमडीआरए)

इस दो वर्ष के पाठ्यक्रम का संबंधन जवाहर लाल प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय से है और इसे 2004-05 के दौरान शुरु किया गया था । सेमिस्टर पद्धति पर बनाये गये इस पाठ्यक्रम की अभिकल्पना अर्हताप्राप्त और सक्षम अक्षमता पुनर्वास प्रशासकों को देश में अक्षमता और अनुसंधान संगठनों के प्रबंधन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए तैयार करने के लिए की गयी है । पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक समकालीन विचार वस्तुओं और समस्या परिप्रेक्ष्यों, व्यावसायिक सेवाओं और महत्व, समुदायिक पुनर्वास, परियोजना प्रबंधन, संगठनात्मक विकास, मानव संसाधन विकास, संगठनात्मक बर्ताव, सामाजिक पूँजी मूल्यों, नीति-शास्त्र और मानव अधिकारों और सूचना प्रौद्योगिकी से अक्षमता और पुनर्वास जैसे विषयों का समावेश किया गया है ।

3.11 एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान)

इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम का संबंधन उस्मानिया विश्वविद्यालय से है और यह व्यावसायिकों को मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को व्यापक सेवाएँ प्रदान करने के योग्य तैयार करता है । पाठ्यक्रम में न्यूरोबायालोजी, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा वाणी-भाषा चिकित्सा-विज्ञान, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, समुदाय आधारित पुनर्वास जैसे विषयों का समावेश है ।

3.12 विशेष शिक्षा में एम.फिल. (मानसिक मंदन)

विशेष शिक्षा में एम.फिल. (मानसिक मंदन) के एक वर्ष के पाठ्यक्रम का संबंधन उस्मानिया विश्वविद्यालय से और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित है । मानव संसाधन की विगत दशक में बढ़ती आवश्यकता सहित विशेष शिक्षा उभरता हुआ क्षेत्र है । मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों की शिक्षा के तत्व-ज्ञान (दार्शनिकता) की बदलती प्रवृत्तियों पर आधारित मानसिक मंदन के क्षेत्र में अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है और इस प्रकार के कार्यकलापों को चलाने के लिए अर्हताप्राप्त व्यावसायिकों की आवश्कता है । एम.फिल. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) कार्यक्रम मानसिक मंदन के क्षेत्र में मानवशक्ति के अनुसंधान करने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करना है ।

3.13 प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

इस क्षेत्र से प्राप्त पुनर्निवेशन यह दर्शाता है कि मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के लिए चिकित्सा पद्धतियों पर गहन प्रशिक्षण उनके, दिन-प्रतिदिन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए विशेष शिक्षकों के मूल्यांकन एवं परिवर्तन की आवश्यकता है । यह अध्यापकों और अन्य व्यावसायिकों को गुणवत्तावाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार करने और इस दिशा में बल प्रदान करनेवाला पाठ्यक्रम है । वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान सिकंदराबाद और दिल्ली स्थित क्षेत्रीय केंद्रों में 57 व्यावसायिकों को लाभ पहुँचाते हुए पाँच कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं :

क्रमसं.	शीर्षक	केन्द्र	तिथि	लाभार्थी
1	मानसिक मंदन में चिकित्सा मध्यस्थता पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं.क्षेत्रीय केन्द्र, दिल्ली	15 मई,06 से 30 जून, 06	04
2	सामुदायिक पुनर्वास में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	4 सितंबर,06 से 22 सि.06	20
3	मानसिक मंदन के चिकित्सीय पहलुओं पर विशेष शिक्षकों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	30 अक्तू.06 से 24 नवंबर, 06	11
4	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	1 नवंबर,06 से 30 नवंबर,06	15
5	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	रा.मा.वि.सं.क्षेत्रीय केंद्र,दिल्ली	15 दिसंबर,06 से 15जनवरी,07	07

3.14 लघु-अवधि पाठ्यक्रम

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुनर्वास क्षेत्र में काम करनेवाले व्यावसायिकों और कार्मिकों सेवा के दौरान प्रशिक्षण हेतु लघु-अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अभिकल्पना आवश्यक रूप से की जाती है। संस्थान ने वर्ष 2006-07 के दौरान सारे वर्ष भर 701 लाभार्थियों को आवरित करते हुए 42 लघु-अवधि कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारतीय पुनर्वास परिषद के पंजीकृत व्यावसायिकों के लिए एक सप्ताह या अधिक अवधि के लिए संचालित किये गये सारे लघु-अवधि कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के निरंतर पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के समस्तरीय होते हैं। लघु-अवधि पाठ्यक्रमों के ब्यौरे **अनुबंध-1** में दिये गये हैं।

3.15 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य स्तर के कार्यक्रम :

3.15.1 अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों व प्रौढ़ों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोगों और आवश्यकताओं पर भारत-अमेरिकी अधिवेशन : भारत-अमेरिकी भागीदारी सम्मेलन

संस्थान ने पेरेंट एडवोकसी कोलीशन फॉर एजुकेशनल राइट्स (पीएसीईआर), मीनियापोलिस, मिनिसोटा, यूएसए. और इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नॉलोजी फोरम, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक: 5-6 दिसंबर, 2006 को बेंगलोर में एक भारत-यूएस सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को विकलॉग बच्चों के पुनर्वास संघ, नई दिल्ली और क्रिश्चियन चिल्ड्रन्स फंड, नई दिल्ली ने मिलकर आयोजित करवाया। कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य अक्षमताओं के क्षेत्र में व्यावसायिकों, सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों, सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न एजेन्सियों, राज्य और केंद्र स्तर पर सरकारी अधिकारियों और अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों को आमने-सामने आकर एक दूसरे को समझना है।

यू.एस.ए. से कुल 12 प्रतिभागी - जिनमें से 9 अक्षमता, दो सूचना प्रौद्योगिकी, एक सरकार की ओर से थे, कार्यक्रम में भाग लिया। भारत से 114 प्रतिनिधि थे जिनमें से 38 संसाधन व्यक्ति (अक्षमता से 19, सूचना प्रौद्योगिकी से 15 और सरकारी क्षेत्र से 4) और 76 प्रतिभागी (अक्षमता क्षेत्र से 48, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से 18 और सरकार की ओर से 5 अक्षमताओं वाले) थे।

3.15.2 14वाँ राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान द्वारा परिवार और पेरेंट्स ऑफ होम के सहयोग से दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में अभिभावक संघों का 14वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन 7-8 जनवरी 2007 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में परिवार फेडरेशन के अंतर्गत 42 संघों के कुल 136 अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री मृणाल बनर्जी, प्रभारी मंत्री, ऊर्जा एवं श्रम, पश्चिम बंगाल सरकार, ने किया।

सम्मेलन में 7 तकनीकी सत्रों का संचालन हुआ जिसमें निम्न विषयों पर चर्चा हुई : अक्षमता पर राष्ट्रीय नीति, अभिभावक संघों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व, 11वीं पंचवर्षीय योजना - अक्षमता क्षेत्र की अपेक्षाएँ, अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों का अधिनियम (1995) में तरमीम, अक्षमता से संबंधित अन्य विधान, सामाजिक गतिशीलता, सामुदायिक तैयारी और डाक्टरों, टीचरों और बाल्यकालीन अक्षमता और अभिमुखता।

सम्मेलन के दौरान कोलकता के अभिभावक संघ बेहला बोध्यान को वर्ष 2006 के लिए प्रेमलता पेशवारिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 14वें राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक स्मारिका प्रकाशित की गयी, जिसे मुख्य अतिथि ने परिवार समाचार के विशेष प्रकाशन के साथ जारी किया।

सम्मेलन,समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ और निर्णय लिया गया कि अगला 15वाँ सम्मेलन भुवनेश्वर में दिनांक: 8-9 दिसंबर, 2007 को आयोजित करने की घोषणा की गयी।

3.15.3 12वाँ राष्ट्रीय विशेष कर्मचारी सम्मेलन

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान सिकंदराबाद में 22-23 फरवरी, 2007 के दौरान 12वाँ राष्ट्रीय विशेष कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 38 संगठनों के कुल 127 विशेष कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें 42 विभिन्न कार्यकलापों को प्रदर्शित किया गया। इसमें प्रतिष्ठित पदाधिकारियों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, सेटविन हैदराबाद के प्रबंध निदेशक ने भाग लिया। हैदराबाद व सिकंदराबाद के नैगम निकायों के भावी कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने नैगम क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया और मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया।

अध्याय - 4

अनुसंधान और विकास

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से अनुसंधान एवं विकास एक है । संस्थान यूएस-भारत रुपी फंड, यूनीसेफ, यूएनडीपी, आईसीएसएसआर और एस एंड टी मिशन मोड के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाओं को संस्थान अपने स्वयं की परियोजनाओं के साथ अपने हाथों में लेता है । अब तक 52 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं ।

4.1 पूरी की गयी अनुसंधान परियोजनाएँ

वर्ष 2006-07 के दौरान निम्न दो परियोजनाएँ पूरी की गयीं ।

4.1.1 व्यावसायिक प्रशिक्षण पर मैन्युअल का विकास

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर मैन्युअल का विकास नामक परियोजना पूरी कर दी गयी है । उद्देश्यों के अनुसार कार्य व्यवहार का मूल्यांकन करने, विशेष जाब कौशलों और कार्य संबंधी अकादमीय जॉचसूचियॉ तैयार कर ली गयी हैं । मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों द्वारा क्रियाकलाप करते समय सामना की जानेवाली समस्याओं के आधार पर उनके निष्पादन को बढ़ने अनुकूली साधन / कार्य में सहायता प्रदान करनेवाले उपकरणों को विकसित कर लिया गया है । उत्पाद की गुणवत्ता और परिमाण को सुनिश्चित करने के लिए और पद्धति के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिए श्रमिकता के पहलुओं के संस्थापन द्वारा एक आदर्श वर्कस्टेशन निर्मित किया गया है । सीडीयों के रूप में स्व-अनुदेशात्मक सामग्रियॉ तैयार की गयी हैं जो बड़े समुदाय (अभिभावकों, टीचरों और पुनर्वास कार्मिकों) को सूचना प्रदान करती हैं । व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए पैम्फलेटों, ब्रोशरों और कार्यकलाप पोस्टर्स तैयार किये जाते हैं । अंतिम दशा में रिपोर्ट लिखी जाती है ।

4.1.2 मानसिक मंदन पर भारत में अनुसंधान - अध्ययन

भारत में मानसिक मंदन के क्षेत्र में व्यावसायिकों और संगठनों द्वारा किये जा रहे अध्ययनों का संकलन करना परियोजना का उद्देश्य है । फिलहाल कुल 1200 अध्ययनों को शामिल करते हुए अनुसंधान परियोजना को पूरा किया गया है । संकलन में अनुसंधान पत्र अधिकतम थे जिनमें केस अध्ययन संकल्पना पत्र और अनुसंधान पत्र शामिल हैं । यहॉ पर यह पाया गया कि मानसिक मंदन से ग्रस्त वयस्कों से संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों और समस्याओं के अध्ययनों की आवश्यकता अधिक है ।

4.2 चालू अनुसंधान परियोजनाएँ :

मार्च, 2007 तक नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार चालू परियोजनाओं की संख्या-11 है:

4.2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षमताओं से ग्रस्त शिशुओं और बच्चों में प्रारंभिक मध्यस्थता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास विलंबों से ग्रस्त शिशुओं और बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए औजारों का विकास और व्यावसायिकों और अभिभावकों द्वारा उपयोग के लिए मध्यस्थता पैकेज का विकास परियोजना के उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है । विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जिनमें शिशु विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, वाणी चिकित्सक और श्रवण-विशेषज्ञ, हड्डी के विशेषज्ञ, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और बाल विकास विशेषज्ञ आदि ने मध्यस्थता पैकेज का मूल्यांकन किया है । सुझाव दिये गये तरमीमों को इसमें

समाविष्ट कर लिया गया है और तरमीम किये गये मध्यस्थता पैकेज का राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान के प्रारंभिक मध्यस्थता एकक में पीएचसी डाक्टरों और व्यावसायिकों द्वारा क्षेत्र परीक्षण कर लिया गया है । पुनर्निवेशन (फीडबैक) के आधार पर पैकेज में पुन: तरमीम किया गया और मध्यस्थता पैकेज की प्रति मुद्रण के अनुमोदनार्थ कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी है ।

4.2.2 मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के अभिभावकों के बीच उदासी मिटाने हेतु संज्ञानात्मक व्यवहारीय मध्यस्थता का प्रभाव

परियोजना का उद्देश्य, मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के अभिभावकों की उदासी मिटाने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारीय मध्यस्थता पैकेज की प्रभावशालिता को विकसित कर परीक्षण करना है।

अभिभावकों के लिए संज्ञानात्मक व्यवहारीय चिकित्सा पर ब्रोशर विकसित कर के पायलट अध्ययन कर लिया गया और अब अंतिम अध्ययन पूरा होने की प्रक्रिया में है ।

4.2.3 मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए भावुकता को पहचानने का प्रशिक्षण :

परियोजना का उद्देश्य मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों में भावुकता की पहचान करने की योग्यता का मूल्यांकन कर, उनके लिए प्रशिक्षण का ऐसा मापदंड विकसित करना है जो (मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों) उनमें अन्य लोगों की भावनाओं की प्रभावशाली ध्ंग से पहचान कर पाने की क्षमता उत्पन्न करे ताकि उनके सामाजिक अनुकूलन में सुधार किया जा सके।

अध्ययन में भावनात्मक पहचान मूल्यांकन औजार अर्थात् तरीका विकसित करना है जिसमें फोटोग्राफ्स और श्रवण क्लिपिंग्स शामिल हैं। औजार या तरीके का मानकीकरण पूरा कर लिया गया है और प्रशिक्षण पैकेज को भी विकसित कर लिया जाकर उसके नमूने को अमल में लाना है।

4.2.4 मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण

परियोजना का लक्ष्य मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान करना और उन्हें अपनी संज्ञानात्मक सक्षमताओं को बढ़ने के लिए संज्ञानात्मक नीतियों में उन्हें प्रशिक्षित करना है । परियोजना का परिणाम मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण का विकास करना होगा ।

अध्ययन प्रतिदर्श का मौलिक मूल्यांकन कर दिया गया है । संज्ञानात्मक प्रशिक्षण पैकेज भी विकसित कर लिया गया है । ध्यान, एकाग्रता और याददाश्त में संज्ञानात्मक प्रशिक्षण पर आरंभिक परीक्षण भी कर लिया गया है ।

4.2.5 मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के अक्षमता प्रमाणीकरण के लिए बौद्धिक मूल्यांकन के सरल साधन का विकास :

अध्ययन का उद्देश्य मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों की संज्ञानात्मक योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए बौद्धिक विकास का मूल्यांकन करना हे । तरीका उपयोग में सरल और शीघ्रगामी हो ताकि अक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने का उद्देश्य पूरा हो । देश के सभी भागों के सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के चारों अंचलों को आवरित करते हुए बहु-केन्द्रीय अध्ययनों का संचालन किया जाना चाहिए ।

परियोजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्न दो क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

एक क्षेत्रीय कार्यशाला (पूर्व) का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता में 8 व 9 अगस्त, 2005 में किया गया। इसके अलावा विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक: 10 जुलाई, 2006 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में संचालित की गयी। सदस्यों ने बैठक में चर्चा की कि दो स्तरों पर विकासशील मूल्यांकन प्रणाली-विज्ञान का औचित्य हो, एक जिसमें सरल और शीघ्रगामी मूल्यांकन निहित हो जिसका उपयोग कुछ सामान्य रियायतों के लिए और दूसरा जिसमें अन्य रियायतें जैसे: आस्ति, विवाह, तलाक जैसे विवरण निहित हों। क्षेत्र परीक्षण जारी है।

4.2.6 अक्षमता प्रमाण पत्र के लिए आत्मविमोह से ग्रस्त लोगों के लिए मूल्यांकन साधन का विकास

आत्मविमोह के लिए मूल्यांकन हेतु दिनांक: 21 व 22 जून, 2006 को रा.मा.वि.संस्थान में संचालित बैठक में 21 जून, 2006 को 39 व्यावसायिकों और 22 जून, 2006 को 31 व्यावसायिकों ने भाग लिया। दुबारा दिनांक: 23 अगस्त, 2006 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें 15 विशेषज्ञों ने भाग लिया।

अक्तूबर, 2006 के दौरान आत्मविमोह पर साधन को अंतिम रूप दिया गया और क्षेत्र परीक्षण के लिए चालू मैन्युअल विकसित किया गया और उसके अंतिम मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञों के पास भेजा गया और तत्पश्चात् क्षेत्र परीक्षण किया गया। फिलहाल क्षेत्र परीक्षण पूरा कर लिया गया है और चुनिंदा संगठनों से पुनर्निवेशन भी हासिल कर लिया गया है। मूल्यांकन साधन को पुनर्निवेशन (फीडबैक) डेटा का विश्लेषण करने के बाद नवंबर, 2007 में अंतिम रूप दिया जाएगा।

4.2.7 एडीआईपी योजना के अंतर्गत डीडीआरसी के लाभभोगियों के लिए कंप्यूटर साफ्टवेयर

इस अध्ययन का प्रारंभिक उद्देश्य रा.मा.वि.सं. के अंतर्गत डीडीआरसी के लाभभोगियों के लिए साफ्टवेयर पैकेज का विकास करना है जिसमें जनसांख्यिकी विवरण, अक्षमता विवरण, मूल्यांकन विवरण और सेवाओं के विवरणों सहित उन्हें वितरित किये गये सहायक उपकरणों और यंत्रों का दस्तावेजीकरण हो।

4.2.8 दृष्टि क्षति वाले मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए पुनर्वास सेवाएँ

इस परियोजना के लक्ष्य मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों की दृष्टि की तीक्ष्णता का परीक्षण करने के समुचित साधनों को विकसित करना, कार्यात्मक मूल्यांकन के लिए उचित चेकलिस्ट विकसित करना और दृष्टि क्षति - कमजोर दृष्टि, अन्धत्व से पीड़ित मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण पैकेज विकसित करना तथा मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए दृष्टि तीक्ष्णता का परीक्षण करने व्यावसायिकों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मैन्युअल विकसित करना और मानसिक मंदन से ग्रस्त दृष्टि क्षतिवाले लोगों के पुनर्वास के लिए समुचित साधन विकसित करना है। परियोजना कार्य जारी है।

4.2.9 भारत में अक्षमताओं की पुनरावृत्ति को रोकने जागरूकता अभियान

परियोजना का लक्ष्य समाज में निम्न प्रावधानों पर जागरूकता का सृजन करना है : (क) अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण प्रतिभागिता अधिनियम, 1995 । (ख) आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदन और बहु-अक्षमता के लिए मानसिक मंदन और बहु-अक्षमता अधिनियम, 1999 द्वारा राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाना है ।

4.2.10 मानसिक मंदन के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की उत्कृष्टता का विश्लेषण

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास द्वारा पाठ्यक्रम, संस्थापना, प्रशिक्षक अर्हताएँ और मूल्यांकन प्रणाली और अनुसंधान में स्थापित मानकों को नियमित किया गया है । यदि समानता, गैर-पक्षपात और सामुदायिक प्रतिभागिता को सुनिश्चित किया जाना हो तो सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन की आवश्यकता है । अक्षमतावाले व्यक्ति को गुणतावाली सेवाएँ प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है । उत्कृष्टता युक्त संगठनों की गुणवत्ता का विश्लेषण गुणता मापदंड के लेखा-जोखा हासिल करना एक पैमाना है । इस बात पर नजर रखने से पता चलता है कि वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों के बीच मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को दी जानेवाली उत्तम सेवाएँ संगठन में गुणवत्ता की सूचक हैं ।

वर्तमान समय में संगठनों से संपर्क किया जाता है और परियोजना में प्रतिभागिता के लिए उनकी सहमति ली जाती है । गुणवत्तावाले आँकडों के एकत्रीकरण का कार्य चालू है ।

4.2.11 मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों में हड्डी से संबंधित समस्याएँ और शल्य चिकित्सीय मध्यस्थताओं सहित उनका भौतिक-चिकित्सा-विज्ञान प्रबंधन ।

यह परियोजना इस उद्देश्य के साथ आरंभ की गयी थी कि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों में अवस्थित हड्डी-रोग की समस्याओं से उनके अभिभावकों को जागरूक बनाना । यह शल्य चिकित्सा से पहले और बाद के भौतिक चिकित्सा-विज्ञान के प्रबंधन से संबंधित है । चूँकि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों में कई शारीरिक समस्याएँ होती हैं, जो हड्डी संबंधी समस्या की ओर ले जाती हैं । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने केस अध्ययन के 80 मामलों को चुना है, जिनमें विभिन्न शारीरिक और हड्डी संबंधी मूल्यांकन और मध्यस्थता नीतियाँ लागू हैं । परियोजना के अंतिम परिणाम मैन्युअल के रूप में होंगे जो मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्य करनेवाले व्यावसायिकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे । फिलहाल उदाहरणों को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है ।

अध्याय - 5

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान के प्रकाशन

दिनांक: 31 मार्च, 2007 को मौलिक प्रकाशनों की कुल संख्या 87 थी, संस्थान ने 2006-07 के दौरान निम्न शीर्षकों से तीन नये प्रकाशन किये :

- लार टपकना व उसका प्रबंधन
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में भौतिक चिकित्सा विज्ञान पर गृह अनुदेश
- मानसिक मंदन के क्षेत्र में भौतिक-चिकित्सा विज्ञान पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्रियॉ

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान के प्रकाशनों का विक्रय तथा वितरण निम्न सारिणी में प्रस्तुत है :

सारिणी : राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान के प्रकाशनों का विक्रय व वितरण

क्रम सं.	शीर्षक	संख्या
1	प्रकाशन (83 शीर्षक)	7 914
2	वीडियो फिल्में (वीएचएस / सीडी प्रारूप)	183
3	साफ्टवेयर कार्यक्रम	54

अध्याय - 6

सेवा प्रतिमान

6.1 सामान्य सेवाएँ

संस्थान, रोगी के इतिहास, भौतिक व चिकित्सीय परीक्षण, बौद्धिक और विकासीय मूल्यांकन, विशेष शिक्षा मूल्यांकन, रोगोपचार आवश्यकताओं का मूल्यांकन और मौलिक बायोकेमिकल स्क्रीनिंग परीक्षण को आवरित करते हुए मूल्यांकन और मानांकन करता है। गृह आधारित प्रशिक्षण और प्रमाणन की बनी-बनायी कार्यक्रम योजना अभिभावकों को दी जाती है, ताकि घर में ही प्रबंधन के लिए वे कौशल प्रशिक्षण या चिकित्सा कार्यक्रम करें । 2005-06 के दौरान 4801 रोगियों की तुलना में 2006-07 के दौरान 5080 रोगियों का इलाज राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान, सिकंदराबाद और नई दिल्ली, कोलकता, मुंबई और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों में किया गया ।

वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान नये मरीजों को प्रदान की गयी सेवाओं के विवरण नीचे सारिणी में दिये गये हैं

सारणी : वर्ष 2006-07 के दौरान परीक्षण किये गये नये क्लाइंट

क्रम सं.	सेवा	2005-06	2006-07
1	सामान्य सेवा	4801	5080
2	डाक्टरी चिकित्सा	3750	4372
3	प्रारंभिक मध्यस्थता सेवाएँ	821	1131
4	भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरपी) / आर्थो.	1303	1185
5	बायोकेमिस्ट्री	1716	1835
6	वाणी और श्रवण-विज्ञान	1751	1742
7	ईईजी	349	264

8	ईएमजी	362	148
9	बहु अक्षमता	457	447
10	पौष्टिकता	161	131
11	हाइड्रोथेरपी	458	196
12	विशेष शिक्षा	3744	4349
13	पीएमआर	35	38
14	आत्मविमोह और मानसिक मंदन	113	133
15	संवेदी	39	52
16	सीएआई	509	781
17	सामूहिक क्रियाकलाप	205	289
18	चलता-फिरता / एच बी टी	595	101
19	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	4494	5065
20	व्यवहार परिवर्तन	2386	2912
21	अभिभावक परामर्श	4524	5263
22	व्यावसायिक मूल्यांकन	502	392
23	कार्यस्थल (व्यावसायिक प्रशिक्षण)	186	76
24	व्यावसायिक चिकित्सा	1052	1038
25	संसाधन कक्ष (विस. अधिनियम)	1220	481
26	परिवार कुटीर	333	286

6.2 विशेष सेवाएँ

विशेष सेवाएँ, कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन योजना को विकसित करने के द्वारा गृह आधारित प्रशिक्षण की ओर लक्ष्यित हैं । बाहर के स्थानों से आनेवाले लोगों के लिए परिवार कुटीर की सुविधा उपलब्ध है । जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ सेवाएँ प्राप्त करने के लिए मरीजों को स्थानीय संस्थानों से समुचित संदर्भ पत्र जारी किये जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान में आवधिक परामर्श जारी रहता है । विशेष सेवाओं के लिए पीछे से समर्थन सीधे प्रशिक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है । फोल्डरों, पोस्टरों और पुस्तकों की आपूर्ति नाम मात्र की कीमत पर की जाती है । इन सबका प्रकाशन संस्थान द्वारा अभिभावकों और परिवार के सदस्यों तथा अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संगठन को आवधिक अंतराल से सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है । प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान विशेष सेवाओं में 97,079 अनुवर्ती रोगियों को देखा गया जबकि गत वर्ष यह संख्या 91,807 थी । इसे निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :

सेवाओं के अतिरिक्त, संस्थान द्वारा अभिभावकों तथा व्यावसायिकों को अन्य सेवा जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचना आपूर्ती अर्थात् पुस्तक, फोल्डर, पोस्टर आदि भी प्रदान किया जाता है।

सारिणी : वर्ष 2006-07 के दौरान देखे गये अनुवर्ती रोगी

क्रम सं.	सेवा	2005-06	2006-07
1	डाक्टरी चिकित्सा	12514	10571
2	प्रारंभिक मध्यस्थता सेवाएँ	13670	14067
3	भौतिक-चिकित्सा विज्ञान आर्थो	5055	5086
4	वाक् एवं श्रवण	4746	3731
5	बहु - अक्षमता	1313	2258
6	पौष्टिकता	151	111
7	जल - चिकित्सा	793	728
8	विशेष शिक्षा	8710	11387
9	पीएमआर	536	1148
10	आत्मविमोह और मानसिक मंदन	816	1776
11	संवेदी	1033	1065
12	सीएआई परियोजना	3451	2566
13	सामूहिक क्रियाकलाप	4258	4031
14	मोबाइल / एचबीटी	1984	1398
15	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	5244	5254
16	व्यवहार तरमीम	5125	6229
17	अभिभावक परामर्श	9138	10021
18	व्यावसायिक मूल्यांकन	485	21
19	कार्यस्थल (व्यावसायिक प्रशिक्षण)	9286	11336
20	पेशेवर चिकित्सा	1884	3229
21	संसाधन कक्ष (दृष्टि अधिनियम)	465	96
22	परिवार कुटीर	1150	970
	कुल	**91807**	**97079**

6.2.1 डाक्टरी चिकित्सा सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान में पंजीकृत रोगियों के मामले सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन और रोग विषयक निदान के उद्देश्य के लिए चिकित्सालयीन परीक्षण के साथ रोगी के इतिहास के द्वारा सम्हाले जाते हैं । डाक्टरी प्रबंधन विशिष्टता और आवश्यकता आधारित होता है तथा इसमें मिरगी, अति-गत्यात्मक बर्ताव, पौष्टिकता की कमियाँ, संक्रमण, हार्मोन संबंधी कमियाँ, मानसिक रोग जैसी संबद्ध स्थितियों के बारे में सूचना देना और इलाज करना शामिल हैं । मिरगी, अति गत्यात्मक बर्ताव और मानसिक रोग की औषधियाँ कम-आयवाले परिवारों के मरीजों को मुफ्त दी जाती हैं । आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ दिये जाते हैं ।

6.2.2 फिजियोथेरपी (भौतिक चिकित्सा) सेवाएँ

यह एकक मानसिक मंदन के साथ-साथ प्रेरक मोटर समस्याओं जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, असामान्य प्रेरक प्रवृत्तियाँ, चलने-फिरने में असमर्थताएँ, संचलन की सामान्यताएँ, जन्मजात असामान्यताओं आदि से पीडित लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करता है । चिकित्सीय मध्यस्थताएँ बिजली की प्रवृत्ति के होते हैं जिनमें व्यायाम, जल-चिकित्सा, भंगिमाओं और संचालन असमर्थताओं को सुधारने, चाल प्रशिक्षण और समग्र विकास में वृद्धि, प्रेरक प्रशिक्षण और व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूपी होती हैं । जिन मरीजों को सहायता उपकरणों और यंत्रों तथा सर्जरी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है उन्हें समुचित केन्द्रों और एजेंसियों के पास भेजा जाता है ।

6.2.3 प्रारंभिक मध्यस्थतावाली सेवाएँ

प्रारंभिक मध्यस्थतावाली सेवाएँ 0-3 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों की दी जाती हैं, जो जोखिम भरे और विकासीय विलंबों की समस्या से जूझते रहते हैं । ये सेवाएँ रोकथाम, पुनर्मध्यस्थता और इन बच्चों के इलाज और सर्वतोमुखी विकास पर ध्यान देती हैं । ये सेवाएँ बाल-केंद्रित और परिवार-उन्मुख होती हैं तथा बहुक्षेत्रीय रोग विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रदान की जाती हैं । बच्चा, फिजियोथेरपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी और भाषा चिकित्सा, बाल-विकास, बाल-विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और परिवार मध्यस्थता जैसी विशिष्टताओं से भरे इलाज प्राप्त करता है । प्रारंभिक मध्यस्थतावाली सेवाएँ, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिभावक प्रेरणा कार्यक्रम, सामूहिक चिकित्सा, खेल-चिकित्सा, वैयक्तिक मार्गदर्शन और परामर्श जैसी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं । आवश्यकतानुसार समुचित संदर्भ भी दिये जाते हैं यानी रोगियों को अन्य विशेषज्ञों के पास भी भेजा जाता है ।

6.2.4 बायोकेमिस्ट्री सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान में डाक्टरी सेवाओं को सहारा देती बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला है जो बायोकेमिकल अन्वेषण (काया रूपांतरण-स्क्रीनिंग), असामान्यताएँ एमिनोएसिडोपैशीस, ग्लायकोडीन स्टोरेज और म्यूकोपोलिएक्कारिडोसेज आदि जैसी मानसिक मंदन से संबंधित काया- रूपांतरण या बायोकेमिकल संबंधी असामान्यताओं की पहचान करती हैं तथा यहाँ सामान्य स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति की जॉच करने नेमी बायोकेमिकल परीक्षण भी किये जाते हैं । इससे रोग-निदान, इलाज, परामर्श और मानिटरिंग में सहायता मिलती है ।

6.2.5 वाणी चिकित्सा और श्रवण सेवाएँ

वाणी और भाषा का विलंबित विकास मानसिक मंदन के प्रमुख लक्षणों में से एक है । अधिकांश बच्चों में श्रवण संबंधी विभिन्न दोष पाए जाते हैं । वाणी और श्रवण संबंधी सेवाओं की आवश्यकता वाले रोगियों की विस्तृत जॉच की जाती है । बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार वाणी और भाषा मध्यस्थता पैकेज विकसित किया जाता है । अभिभावकों को मार्गदर्शन दिया जाता है कि वे व्यावसायिकों की सलाह के अनुसार घर पर ही मध्यस्थता करें ।

6.2.6 इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी)

इलेक्ट्रोएन्सीफैलोग्राम (ईईजी) मौलिक क्रियाविधि है जिसे मस्तिष्क / भेजे के क्रियाविज्ञान को समझने के लिए उपयोग में लाया जाता है । यह मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की संरचना और क्रियात्मकता में दिखायी देनेवाले रोगात्मक परिवर्तनों की पहचान करने में सहायता देता है । इस क्रियाविधि का मुख्य लक्ष्य मिरगी के दौरों के प्रकारों और मिरगी के विभिन्न लक्षणों का रोग निरूपण करना है । मानसिक मंदन के लोगों के किसी भी प्रकार के न्यूरोलाजिकल (तंत्रिका विज्ञान) अभावों के व्यापक रोग-नैदानिक कार्यकलाप की आवश्यक क्रियाविधि ईईजी है । ईईजी का उपयोग इलाज की प्रभावशालिता का मूल्यांकन या मानिटर करने के लिए भी होता है । मिरगी के रोग को मिटाने के लिए दवाइयाँ देने के प्रकार और अवधि का निर्धारण करने में ईईजी मदद देती है। मानसिक मंदन के लोगों में मिरगी का रोग (30%) होता है जबकि आम जनसंख्या में यह केवल (1%) होता है ।

6.2.7 इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी (ईएमजी)

इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी तंत्रिका अंत: शक्ति में वैद्युतिक परिवर्तनों को रिकार्ड करती है । यह मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के संवेदी और प्रेरक तंत्रिका की स्थिति के क्रियात्मकता के बारे में सूचना प्रदान करती है । यह परावर्ती तंत्र के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद देता है कि क्या तंत्रिकाएँ / राढ़की हड्डी / मस्तिष्क अक्षत / बाधित हैं जिसके आधार पर आगे के कार्यक्रम की योजना बनायी जा सकती है और जब एक बार तंत्रिका संवेदन, मॉसपेशियों की क्रियाशीलता और जोड़ों के हलचल की पहचान हो जाए तो तंत्रिकाओं की क्रियात्मकता की प्रेरणा के द्वारा इलाज किया जा सकता है ।

यदि तंत्रिकाओं में संवेदनहीनता और संवेदनशीलता की कमी हो तो संवेदन प्रक्रिया को बार-बार दुहराने से संवेदन पुन: प्राप्त हो जाता है । यदि रीढ़ स्तरों पर प्रेरक तंत्रिका को क्षति पहुँची हुई हो, तो परावर्ती प्रक्रिया को दोहराते रहने से मॉसपेशी सिकुड़न को बढ़या जा सकता है और इस प्रकार बारंबार मॉसपेशी सिकुड़न मॉसपेशी शक्ति को विकसित करती है, जिससे जोड़ों की स्थिरता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

6.2.8 बहु-अक्षमताओं से ग्रस्त लोगों के लिए सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त ऐसे बच्चे जो श्रवण-क्षति, दृष्टि क्षति और शारीरिक क्षति जैसी अतिरिक्त समस्याओं से पीड़ित हों तो इस सेवा में उनपर विशेष ध्यान दिया जाता है । बहु-विषयक व्यावसायिकों का दल व्यापक सेवाएँ प्रदान करता है । आर्थोपेडिक सेवाओं के लिए हर गुरुवार को विशेष चिकित्सालय खुला रहता है ।

6.2.9 पोषण

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान में पंजीकृत सभी मामलों / रोगियों का उनकी पौष्टिकता स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एन्थ्रोपोमेट्रिक पैमाने (ऊँचाई और भार) का उपयोग किया जाता है। कुपोषण की पहचान किये गये रोगी बच्चों की पौष्टिकता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है ।

6.2.10 जल-चिकित्सा (हाइड्रोथेरपी) सेवाएँ

जल-चिकित्सा, मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों और विशेषकर जोड़ों के दर्दों, सूजन, कडापन, मॉसपेशी कमजोरी और मस्तिष्क संस्तंभन से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक इलाज का एकमात्र तरीका है । संस्थान, मानसिक मंदन से ग्रस्त और विभिन्न शारीरिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को जल चिकित्सा की सेवाएँ प्रदान करता है ।

6.2.11 विशेष शिक्षा सेवाएँ

मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों का, विभिन्न कौशलों जैसे स्वयं सेवा कौशल, समग्र और उत्तम प्रेरक कौशल, क्रियात्मक पढ़ने-लिखने के कौशल, समय, धन और तत्संबंधी संज्ञानात्मक कौशलों में, क्रियात्मकता के चालू स्तरों का मूल्यांकन किया जाता है । मूल्यांकन की सभी अवस्थाओं, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम की आयोजना और आईईपी के कार्यान्वयन में अभिभावकों का दखल होता है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में सीखने के लिए विभिन्न समुचित सहायता सामग्रियाँ और उपकरण उपयोग में लाये जाते हैं । कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों को भी उपयोग में लाया जाता है । जरूरतमंद रोगियों को दी जानेवाली विशेष शिक्षा सेवाओं की कुशलता को और अधिक गतिशील बनाने कंप्यूटर से सहायता प्राप्त प्रशिक्षण माड्यूलों का उपयोग किया जाता है ।

6.2.12 "मनोरंजनम" - गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए संसाधन कक्ष

यद्यपि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए इन वर्षों में सेवा कार्यक्रमों में बहुत वृद्धि हुई है, परंतु बहुत ही कम संगठन हैं जो गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को सेवाएँ प्रदान करते हैं। गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को अधिक विशिष्ट सेवाओं और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्मिकों की जरूरत होती है, क्योंकि गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त अधिकांश बच्चे कुछ शारीरिक अक्षमताओं से और कुछ मानसिक मंदन के अलावा मिरगी के रोग से पीडित होते हैं । फिर भी, गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुसंधान अध्ययन यह सूचित करते हैं कि प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो गंभीर मानसिक मंदनवाले बच्चे भी कुछ हद तक किसी पर आश्रित रहे बिना मौलिक कौशल सीख लेने योग्य होते हैं । इसके परिप्रेक्ष्य में संस्थान ने वर्ष के दौरान मनोरंजनम नाम से एक संसाधन कक्ष आरंभ किया है जिसमें गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

6.2.13 आत्मविमोह और मानसिक मंदन

यह अनुमान लगाया गया है कि मानसिक मंदन से ग्रस्त 75% लोगों में आत्म-विमोह होता है। मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के स्कूलों में मानसिक मंदन और आत्म-विमोह से ग्रस्त बच्चे होते हैं, यह आवश्यक है कि शून्य अस्वीकृति के लिए उन्हें समुचित शिक्षण सेवाएँ प्रदान की जाएँ । इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आत्म-विमोह और मानसिक मंदन के लोगों के लिए खास तौर की सेवाएँ शुरु की गयी हैं । परियोजना स्टाफ को आत्मविमोह के बच्चों को सम्हालने का प्रशिक्षण दिया गया है ताकि हरेक बच्चे पर ध्यान दिया जाकर आईईपी को कार्यान्वित किया जा सके व छोटे छोटे वर्गों के लिए अनुदेश कार्यक्रम चलाए जा सके । इसके अलावा वे नियमित स्कूलों और विशेष स्कूलों के टीचरों को परामर्श समर्थन प्रदान करें । ये बच्चे मानसिक मंदन और आत्मविमोह से ग्रस्त बच्चों के लिए सेवा माडल्स नाम की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान, में प्रशिक्षण पा रहे हैं इसके अलावा उन्हें विशेष स्कूलों और नियमित स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है ताकि उन्हें सामूहिक अनुभव भी मिले ।

6.2.14 मानसिक मंदन और संवेदी अक्षमताएँ

मानसिक मंदन के साथ-साथ दृष्टि और/ या श्रवण की अक्षमताओं से ग्रस्त बच्चों को सामूहिक प्रशिक्षण के अलावा विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता होती है । यद्यपि उनमें दृष्टि और श्रवण दोनों ही संवेदनों की अक्षमता होती है, उनके लिए प्रशिक्षण पद्धतियों और सामग्रियों के अनुरूप होने की आवश्यकता है । इस बात को नजर में रखते हुए ही ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट सेवाएँ आरंभ की गयीं । ये बच्चे अपनी कक्षा के अलावा अपने-प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा वैयक्तिक ध्यान पाते हैं । उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरणिक परिवर्तन / संशोधन

किये जाते हैं । इस अनुभव के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान ने वाइस एंड विजन टास्कफोर्स के सहयोग से बधिरता और अंधत्व के लिए एक मैन्युअल विकसित करवाया है ।

6.2.15 कम्प्यूटर द्वारा सहायता प्राप्त अनुदेश

विशेष शिक्षा विभाग ने मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए 6 साफ्टवेयर पैकेज विकसित कराये हैं । इन पैकेजों के शीर्षक मेरा देश, सामुदायिक उपयोगिता, स्वास्थ्य एवं संरक्षा, जीवित-अजीवित रहना, साक्षरता और न्यूमेरेसी जो शैक्षिक सीखने की प्रक्रिया को बढ़ते हैं । संस्थान में पंजीकृत लोगों को नियमित सेवाएँ दी जाती हैं और विशेष स्कूलों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर और उसके उचित साफ्टवेयर के प्रति उन्हें जानकारी दिलाकर उनकी पहुँच के भीतर लाते हैं । मानसिक मंदन के साथ-साथ न्यूरोमोटर की समस्या से ग्रस्त होने पर उनके लिए अनुरूपणों सहित कंप्यूटर के साफ्टवेयर और हार्डवेयर पेरिफरल्स विकसित किये गये, जो उनके लिए सरल हैं ।

6.2.16 सामूहिक कार्यकलाप

सामान्य सेवाओं द्वारा संदर्भित किये गये मानसिक मंदन के बच्चों को उनके विशेष शिक्षा केन्द्र में नियमित प्रवेश पाने तक संस्थान सामूहिक सेवाएँ प्रदान करता है । ये सेवाएँ दोपहर में तीन प्रकार की आयु समूहों को प्रदान की जाती हैं ।

6.2.17 मनौवैज्ञानिक मूल्यांकन

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान में पंजीकृत रोगी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पाते हैं, जिसमें विकासीय मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन और अनुकूली व्यवहार शामिल हैं । मंदन के स्तर का निश्चयन करने विभिन्न परीक्षण किये जाते हैं जो मध्यस्थता के कार्यक्रम के विकास में सहायता देते हैं । अभिभावकों की सहायता के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की रिपोर्टें दी जाती हैं ताकि वे अक्षमता प्रमाण प्राप्त कर समय-समय पर सरकार द्वारा दिये जा रहे हितों और रियायतों का लाभ उठा सकें ।

6.2.18 व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ

इस सेवा के अंतर्गत मानसिक मंदन से ग्रस्त ऐसे लोगों को लिया जाता है जो अवज्ञाकारी, सिर पीट लेने, स्वयं को दाँतों से काटलेने, अपने आप को घायल कर लेने, अत्यधिक रोने और अन्य विभिन्न समस्याओं से घिरे होते है । व्यवहार समस्याओं की आवृत्ति और गंभीरता के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, कार्यात्मक विश्लेषण द्वारा ऐसे व्यवहारों के कारणों का पता लगाया जाता है । कार्यक्रम विकसित करके उपयुक्त मध्यस्थता करने के अनुदेश अभिभावकों को दिये जाते हैं, ताकि लक्ष्य व्यवहार पर वे नजर रखें । प्रगति जानने के लिए नियमित अंतरालों से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

6.2.19 अभिभावक परामर्श सेवाएँ

अभिभावकों द्वारा व्यक्त की गयी गलतफहमियों को दूर करने के साथ-साथ मानसिक मंदन की प्रकृति समझने और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे की जरूरतों को पूरा करने उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है । अभिभावकों की अपेक्षाओं के अनुरूप पारिवारिक व्यवस्था में बच्चे के संतोषजनक विकास को प्रोन्नत किया जाता है । परिवार में मानसिक मंदन के व्यक्ति के साथ निर्वाह करने के लिए अभिभावकों की भावनात्मक समस्याओं को भी सुलझाया जाता है ।

6.2.20 व्यावसायिक प्रशिक्षण

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी दिलवाकर प्रोन्नत किया जाता है । मानसिक मंदन से ग्रस्त प्रौढ़ों को आरंभ में जातीय प्रशिक्षण और तत्पश्चात नौकरी पर रखाया जाता है । ये जॉब प्रशिक्षण मरीजों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं । नौकरी भी उसके निवास स्थान के आसपास ही दिलवाई जाती है । मरीज को दीर्घ कालिक समर्थन तब तक दिया जाता है जब तक कि वह नौकरी के स्थल पर स्वतंत्र रूप से काम न कर ले ।

6.2.21 मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्य स्टेशन

मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में लगभग 1000 संगठन हैं । ये संगठन 5-18 वर्ष की आयु के लोगों को शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करते हैं । स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर कम ही हैं । कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में अधिकांश आश्रय आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस तरह प्रणालीबद्ध और नियमित प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है । व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सुधारने के लिए रा.मा.वि.सं. ने वर्कस्टेशनों की शुरुआत की ताकि मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को चरणबद्ध प्रशिक्षण मिले । मानसिक मंदन से

NIMH

ग्रस्त लोगों के जातिगत कौशलों के मूल्यांकन के बाद, एक प्रबंधकीय योजना बनायी जाए ताकि संज्ञानात्मक प्रेरक, संचार और सामाजिक क्रियाकलापों को प्रेरित कर उन्हें अलग-अलग वर्कस्टेशनों में रखा जाएगा। आरंभ में वर्कस्टेशनों में मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सेटिंग काम करने दिये जाएँगे ताकि उनके कौशल और कार्य व्यवहार विकसित हों। जातिगत कौशल, विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण और स्वतंत्र कौशल प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के छह महीने बाद प्रशिक्षार्थियों को खुला / समर्थक / स्वयं समर्थक / आश्रित रोजगार दिया जाता है। जब वे प्रशिक्षण में ही होते हैं तो अभिभावकों या भावी प्लेसमेंट को सूचना दी जाती है।

6.2.22 व्यावसायिक चिकित्सा

मानसिक मंदन और संबद्ध स्थिति और अन्य व्यापक विकासीय अक्षमताओं से पीडित लोगों की जरूरतों को व्यावसायिक चिकित्सा एकक पूरा करता है। यह सेवा मुख्य रूप से निष्पादन घटकों को विकसित करने, विशिष्ट संवेदी अवयवों को सुधारने, प्रेरक, संज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशलों को विकसित कर स्वतंत्र रूप से जीना सिखाता है। जिन मरीजों को इस सेवा की जरूरत होती है, उनका विस्तृत मूल्यांकन और विशिष्ट मध्यस्थता व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार की जाती है। जिनको सहायक या अनुरूपी उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन्हें समुचित केंद्रों में भेजा जाता है। देखरेखकर्ताओं को उसी वातावरण में मध्यस्थता करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाता है।

6.2.23 मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों की दृष्टि की तीक्ष्णता के मूल्यांकन के लिए संसाधन कक्ष

मानसिक मंदन के साथ दृष्टि अक्षमता की स्थिति कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन मानसिक मंदन के लोगों में दृष्टि अक्षमता मूल्यांकन और साथ ही साथ प्रबंधन के लिए भी कठिनाई पैदा करती है। यह महसूस किया गया कि मानसिक मंदन से ग्रस्त और दृष्टि की अक्षमता से पीडित लोगों का खरा मूल्यांकन उनके अंदर निहित संभाव्यताओं को उजागर करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उनकी खूबियों के प्रति जागरूक रहने के साथ-साथ इस बहु-अक्षमता के कारण उनकी अपनी सीमाएँ भी हैं। इसलिए मानसिक मंदनवाले लोगों की दृष्टि अक्षमता के

दर्जे का पैमाना लेने के लिए प्रणालीबद्ध अध्ययन करने और दृष्टि की तीक्ष्णता को मूल्यांकन करने संसाधन कक्ष की स्थापना की गयी, जिससे समुचित दृष्टि तीक्षणता का माप किया जा सकता है, और उनके प्रबंधन के बेहतर कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं ।

6.2.24 परिवार कुटीर सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान में दूर-दराज के स्थानों से आनेवाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर व्यवस्था उपलब्ध है । यहाँ वे दो सप्ताह तक रहकर व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण सेवाएँ तथा कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत परिवार परामर्श, समस्या व्यवहार का प्रबंधन, वाणी-भाषा चिकित्सा, डाक्टरी सलाह, फिजियोथेरपी, मनोरंजन क्रियाकलाप और उनकी जरूरत की अन्य सहायताएँ प्राप्त कर सकते हैं । ये कुटीर अभिभावकों को उनके दैनिक जीवन से दूर हटकर अपने बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं ।

6.2.25 जातीय चिकित्सालय

उन अभिभावकों को जिनको यह संदेह होता है कि क्या उनके अगले बच्चे में ऐसे ही जातीय या जन्मजात त्रुटियाँ होंगी? ऐसे लोगों को परामर्श सेवाएँ यहाँ प्रदान की जाती हैं । बायोकेमिकल, क्रोमोसोमल और साइटोजेनेटिक जाँच की रिपोर्टें रोगियों को सहयोगी संस्थाओं में जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स, सीडीएफडी और सेंटर फॉर सेल्युलर बायालोजी, हैदराबाद को भेजकर परिणाम मँगाये जाते हैं। मेडिकल डाक्टर और जेनेटिक विशेषज्ञों की एक टीम परामर्श सेवाएँ प्रदान करती हैं।

6.2.26 धीरे-धीरे सीखनेवालों के लिए संसाधन कक्ष

सीमारेखा पर बुद्धि या हल्के मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चे बड़ी संख्या में नियमित स्कूलों में पढ़ने जाते हैं । फिर भी, मुख्यधारा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होती है जो फिलहाल विशेष स्कूलों में प्रदान नहीं किया जाता । इस अंतर को पाटने के लिए रा.मा.वि.संस्थान ने धीमी गति से सीखनेवाले बच्चों के लिए स्कूल के पश्चात अतिरिक्त समर्थन देने के लिए संसाधन कक्ष शुरु किया है । संसाधन कक्ष का टीचर नियमित स्कूल के टीचर के सहयोग से काम करता है ताकि प्रशिक्षण में निरंतरता बनी रहे । सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अक्षम बच्चों की शिक्षा को समर्थन देने के लिए यूएनडीपी से मिली निधियों के समर्थन से परियोजना टीम द्वारा एक संसाधन मैन्युअल विकसित किया गया है ।

6.2.27 राष्ट्रीय खुली शिक्षा संस्थान की परीक्षाओं के लिए खुली मौलिक शिक्षा प्रदान करने हेतु संसाधन कक्ष

राष्ट्रीय खुली शिक्षा संस्थान ने सारे देश में प्रसिद्ध संस्थाओं के जरिए दूरस्थशिक्षा पद्धति द्वारा खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम शुरु किया है । अधिकांश बच्चे जो हल्के मानसिक मंदन और सीमा रेखा की बुद्धि लिये होते हैं, विशेष स्कूलों में ठीक तरह से न जम पाने के कारण सही शिक्षा सुविधा न पाकर नियमित शिक्षा के समकक्ष चलने में कठिनाई महसूस करते हैं । ये बच्चे राष्ट्रीय खुली शिक्षा संस्थान के सीखने को सरलीकृत कार्यक्रम के कारण रा.खु.शि.संस्थान में खुली मौलिक शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं । इससे विशेष स्कूलों और नियमित स्कूलों के बीच का अंतर भी पट जाएगा । इस बात के मद्देनजर, सीमारेखा बुद्धि और हलके मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान ने एक संसाधन कक्ष की स्थापना की और ये बच्चे राष्ट्रीय खुली मौलिक शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेकर अपने लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं ।

6.2.28 पहुँच से बाहर के स्थानों में मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए चलती-फिरती सेवाएँ ।

संस्थान में पंजीकृत और हैदराबाद के नगरद्वय में रहनेवाले रोगियों को इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आर्थिक समस्याएँ, लम्बी दूरियों तक यात्रा करने और चलने फिरने की समस्याओं से सामना करते रहना पड़ता । इसके अलावा मानसिक मंदन से ग्रस्त कुछ लोग जानकारी के अभाव में उक्त सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते । ऐसे लोगों तक पहुँचकर उन्हें सेवाएँ प्रदान करने के लिए संस्थान ने हैदराबाद और सिकंदराबाद नगरद्वय के अतराफ अनुवर्ती मामलों के लिए सेवाएँ प्रदान करने चलती-फिरती सेवाओं को आरंभ किया है । संस्थान की गाड़ी प्रशिक्षित विशेष टीचरों और पढ़ने-लिखने की सामग्रियों सहित उन क्षेत्रों में रहनेवाले मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों को सेवाएँ प्रदान करने जाती है । बस आवश्यक पढ़ने-लिखने की सामग्रियों (टीएलएम) और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जगह से लैस होती है ।

6.3 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का लक्ष्य अपने बच्चों की देखरेख और प्रबंधन और प्रशिक्षण में लगे अभिभावकों के बीच एक-दूसरे को आपसी समर्थन और विचारों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए अभिभावकों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना है । प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान कुल 114 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 4613 अभिभावकों को लाभान्वित किया गया, जिसे संचालित मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान द्वारा चलाया गया । प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान चलाये गये कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुबंध-II में दिये गये हैं ।

अध्याय - 7

विशेष शिक्षा केन्द्र

विशेष शिक्षा केन्द्र, संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह सेवा प्रदान करता है। विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना इसलिए की गयी कि वह सेवा-पूर्व और सेवारत प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक रूप से विषयों की जानकारी प्रदान करने की प्रयोगशाला की तरह सेवा करे।

केन्द्र में 3 से 18 वर्षों के बीच की आयु के बच्चों सहित विभिन्न स्तरों की मानसिक रुगणता वाले बच्चों में हल्के और गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चे भी हैं। इसके अलावा अतिरिक्त अक्षमताओं जैसे आत्मविमोह और संवेदी क्षतियों से ग्रस्त बच्चों के लिए विशिष्ट एककों की स्थापना की गयी है ताकि यह देखा जा सके कि सभी स्तरों के मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए और प्रशिक्षार्थियों को उन तमाम प्रकार के बच्चों की जानकारी हासिल हो सके।

विशेष शिक्षा केंद्र - नियमित स्कूल क्रियाकलाप :

- वर्ष 2006-07 के दौरान नियमित स्कूल के विशेष शिक्षा केंद्र में पुराने 73 और 37 नये विद्यार्थी पढ़रहे थे।
- वर्ष के दौरान कक्षा-वार अभिभावक-शिक्षक आवधिक बैठकें की गयीं।
- विशेष शिक्षा केंद्र - 14 बच्चों का स्वतंत्र दल व 4 स्टाफ दिनांक: 26-2-2007 से 4-3-2007 तक शैक्षणिक दौरे पर दिल्ली गया।
- 34 बच्चों का एक आश्रित दल व उनके अभिभावकों तथा 4 स्टाफ के साथ दिनांक: 27-2-2007 से 2-3-2007 तक शैक्षणिक दौरे पर मैसूर गया।

प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता :

- दिनांक: 18-11-2006 को सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद ने पेंटिंग और कलरिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें दो विद्यार्थियों ने भाग लिया और उन्हें प्रतिभागिता प्रमाणपत्र मिले।

- दिनांक: 30-11-2006 को आत्मीय मानसिक विकास केंद्रम ने सरोजिनी क्रिकेट फिटनेस अकादमी, बागलिंगमपल्ली, हैदराबाद में 10वें जिला स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया जिसमें 48 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तीन स्टाफ सदस्य बच्चों के साथ गये । बच्चों ने 5 द्वितीय तथा 4 तृतीय पुरस्कार पाए और श्री एम.एस.रमेश, तबला मास्टर, विशेष शिक्षा केंद्र, रा.मा.वि.संस्थान को विशेष कर्मचारी सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान किया गया ।

- दिनांक: 16-12-2006 को लीखादीप, हैदराबाद ने मधुरानगर, हैदराबाद में मानसिक विकलॉग लोगों के लिए विशेष खेलकूद का आयोजन किया जिसमें 4 विद्यार्थियों ने भाग लिया और प्रतिभागिता प्रमाणपत्र हासिल किये तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में नौ बच्चों ने भाग लिया, दो टीचर उनके साथ गये थे ।

- विशेष शिक्षा केंद्र से 18 बच्चों ने डीडीवीटीआरसी-एएमएस मानसिक विकलॉगों के लिए अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता दिनांक: 4-1-2007 को आंध्र महिला सभा, विद्यानगर, हैदराबाद में आयोजित की, इसमें एक प्रथम, दो द्वितीय और तीन तृतीय पुरस्कार प्राप्त किये गये । दो टीचर विद्यार्थियों के साथ गये थे ।

- विशेष शिक्षा केंद्र ने 22-3-2007 को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया । इसमें 18 प्रतियोगिताओं में 122 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसमें 32 विद्यार्थियों ने सामूहिक क्रियाकलाप में भाग लिया । विद्यार्थियों को उनकी आयु व योग्यता के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया था । प्रत्येक आयु वर्ग में स्वतंत्र व आश्रित वर्गीकरण किया गया । आश्रितों के लिए 4 तथा स्वतंत्र वर्ग के लिए 4 वर्ग बनाये गये, प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार व प्रतिभागिता टोकन दिये गये ।

विशेष शिक्षा केंद्र - ग्रीष्मकालीन कैंप

- दिनांक: 8-5-2006 से 26-5-2006 तक 15 दिन का ग्रीष्म कैंप आयोजित किया गया। कैंप में 175 बच्चों ने भाग लिया । ग्रीष्म कैंप में औसत 11-12 विद्यार्थियों ने प्रतिदिन भाग लेकर सजावट की सामग्री बनायी । सामग्रियों की प्रदर्शनी 12-5-2006 को की गयी ।

राष्ट्रीय खुला विद्यालय

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान ने प्राथमिक स्तर के बच्चों की सीखने की समस्याओं और मानसिक मंदन से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण क्लासों की व्यवस्था की । वर्ष 2006-07 के दौरान इस कार्यक्रम का 14 विद्यार्थियों ने लाभ उठाया ।

अध्याय - 8

रा.मा.वि.सं. मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र (मा.वि.शि.के.), नई दिल्ली ।

मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र ने वर्ष के दौरान सेवा क्रियाकलापों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अंतर-विद्यालयी घटनाओं के साथ-साथ कई क्रियाकलापों में भाग लिया ।

वर्ष 2006-07 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या 105 थी जिनमें से 8 आवासीय और 97 अनावासीय थे । 34 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और 28 विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा ।

केन्द्र के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों में परिवारों को 316 परामर्शीय सत्र प्रदान किये गये, जिनमें से अधिकांश उनके बच्चों की प्रगति और कक्षाओं की समस्याओं से संबंधित थे । केंद्र में आगंतुकों के रूप में सूचना व मार्गदर्शन प्राप्त करने आनेवाले अभिभावकों के लिए 312 सत्र प्रदान किये गये जिनमें से 92 सत्र व्यवहार परिवर्तन से संबंधित थे ।

व्यावसायिकों को अभिमुखीकरण:

मॉडल विशेष शिक्षा केंद्र ने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 99 व्यावसायिकों को अभिमुखीकरण प्रदान किया ।

अभिभावकों के लिए अभिमुखीकरण :

- केन्द्र में 17 अगस्त, 2006 से शुरु हुए शैक्षिक सत्र में नया प्रवेश लेनेवाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को अभिमुखीकरण प्रदान किया गया । अभिमुखीकरण में 30 अभिभावकों ने भाग लिया ।
- दिनांक: 26-3-2007 को 60 अभिभावकों के वर्ग के लिए व्यवहार परिवर्तन पर एक अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

मॉडल विशेष शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

विगत कार्यशालाओं में प्राप्त फीडबैक के आधार पर केंद्र के प्रिंसीपल और स्टाफ ने सारे वर्ष भर के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन की विस्तृत योजना बनाई । इस बात को ध्यान में रखा गया कि गत वर्ष के कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति से बचा जाए । रा.मा.वि.सं. मॉडल विशेष शिक्षा केंद्र की ओर से व्यावसायिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	तिथि	प्रतिभागी
1	अपने कार्य के वातावरण में मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के कार्य का रखरखाव और कुशल प्रबंधन	28 अगस्त, 06 से 01 सितंबर, 06	15
2	परामर्श और मार्गदर्शन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 अक्तूबर, 06 से 03 नवंबर, 06	11
3	विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए व्यवहार प्रबंधन की नीतियाँ विशेष और अंतर्निहित सेटिंग्स	21 नवंबर, 06 से 25 नवंबर, 06	12
4	स्कूल से काम से लगने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	22 जनवरी, 07 से 27 जनवरी, 07	15
5	योग और मानसिक मंदन	26 फरवरी, 07 से 02 मार्च, 07	08

अन्य घटनाएँ :

- स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने अंचल स्तरीय बास्केटबाल टूर्नामेंट दिनांक: 8-9-2006 को आयोजित किया जिसके लिए 5 टीमों को चुना गया, एक टीम में रा.मा.वि.सं.-माडल विशेष शिक्षा केंद्र के 7 बच्चे शामिल किये गये । टीम ने टूर्नामेंट में भाग लेकर बलवंतराय मेहता विद्याभवन और लक्ष्मण पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली के विरुद्ध खेलकर उन्हें हराकर क्रमश: दो मैच जीते । माडल विशेष शिक्षा केन्द्र की टीम ने 13 सितंबर, 2006 को जामिया मिलिया इस्लामिया में राज्य स्तर मैच के खेल में दूसरा स्थान पाया ।
- नवंबर, 2006 में चिल्ड्रन्स पार्क और राजघाट को शैक्षिक दौरे आयोजित किये गये । बच्चों ने सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क का संदर्शन किया ।
- रा.मा.वि.सं. माडल विशेष शिक्षा केंद्र के दस बच्चों ने, 19, 20 और 21 मार्च, 2007 को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में दिल्ली महिला चैम्पियनशिप-2007 की दौड़ में भाग लेकर 5वाँ स्थान हासिल किया । स्कूल की टीम ने एथेलेटिक्स खेलों में मेरिट पुरस्कार जीते ।
- माडल विशेष शिक्षा केंद्र के विद्यार्थियों ने साफ्टवेयर के उपयोग में भी अपना वर्चस्व दिखाया । उन्होंने 4थे अंतर-विद्यालयी कंप्यूटर्स जिसे वीएसएजे द्वारा आयोजित किया गया था उसमें मेरिट पुरस्कार जीते ।
- वाईएमसीए द्वारा आयोजित वार्षिक योग्यता उत्सव के नवोन्मेषी नाच, ड्रामा और पेंटिंग प्रतियोगिता में रा.मा.वि.संस्थान - माडल विशेष शिक्षा केंद्र ने भाग लिया । माडल विशेषशिक्षा केंद्र की टीम को उनके नवोन्मेषी प्रदर्शन के लिए सराहा गया और उसने प्रथम पुरस्कार जीता ।
- रा.मा.वि.सं. - माडल विशेष शिक्षा केंद्र ने गीतांजली, नई दिल्ली के गैर सरकारी संगठन द्वारा कला पर्व-2006, शीर्षक से प्रतिभाशाली खोज प्रतियोगिता में भाग लिया जिसकी अंतिम प्रतियोगिता 21 दिसंबर, 2006 को नई दिल्ली में हुई और इसमें रोहित शर्मा नामक विद्यार्थी ने भाग लिया और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त कर स्कूल का गौरव बढ़ाया ।

अध्याय - 9

परामर्शी और तकनीकी समर्थन

9.1 भारतीय पुनर्वास परिषद

संस्थान के स्टाफ ने भारतीय पुनर्वास परिषद की विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में पाठ्यक्रम का विकास और मूल्यांकन विषय पर हुई बैठक में भाग लिया। स्टाफ ने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए कई केंद्रों का निरीक्षण भी किया।

9.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान पाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों का तकनीकी मूल्यांकन

इस योजना के अंतर्गत मानसिक अक्षमताओं के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का तकनीकी मूल्यांकन किया। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान रा.मा.वि.संस्थान ने गैर सरकारी संगठनों का तकनीकी मूल्यांकन कर रिपोर्टे प्रस्तुत की।

9.3 विशेष रोजगार कक्ष

वर्ष 2006-07 के दौरान रा.मा.वि.संस्थान द्वारा स्थापित किये गये विशेष रोजगार कक्ष में अक्षमताओं से पीड़ित 5 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया।

9.4 पल्स पोलियो टीका

राष्ट्रीय गहन पल्स पोलियो टीका कार्यक्रम के अंतर्गत रा.मा.वि.संस्थान के स्टाफ ने 0-5 वर्षों की आयु के बच्चों को टीका देने का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 1742 बच्चों को टीके दिये गये।

अध्याय - 10

दस्तावेजीकरण व प्रचार - प्रसार

संस्थान में मानसिक मंदन और संबंधित क्षेत्रों में पूरी तरह से लैस संसाधन केंद्र है जिसमें पर्याप्त संख्या में पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ हैं । संस्थान पत्र-पत्रिकाओं के लेखों की छाया प्रतियाँ रा.मा.वि.संस्थान के प्रकाशनों को वीडियों कैसटों तथा फ्लापियों में भरकर उनका वितरण तथा पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करता है, पठन सूचियाँ, समाचार पत्रों की पेपर कटिंगें व क्लिपिंग्स तैयार करता है व इंटरनेट सेवाओं के जरिए सूचना सेवाएँ भी प्रदान करता है ।

संस्थान रा.मा.वि.संस्थान न्यूज लेटर का त्रैमासिक समाचार-पत्र, मेंटार्ड बुलेटीन द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित करके बड़ी संख्या में व्यावसायिकों, संगठनों, अभिभावकों और मानसिक मंदन से संबंधित लोगों में बाँटता है । न्यूज लेटर को मानसिक मंदन में कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठनों अभिभावक संगठनों, संसद सदस्यों, विश्वविद्यालयों, राज्य कल्याण निदेशालयों और अन्य सरकारी विभागों को भेजता है । वर्ष 2006-07 से संबंधित दस्तावेजीकरण और प्रचार-प्रसार के अंतर्गत किये जा रहे सेवाकलाप नीचे दिये गये हैं :

प्रकाशन और सामग्री विकास :

क्रम सं.	शीर्षक	संख्या
वितरण		
1	न्यूज लेटर	5190
2	मेंटार्ड बुलेटिन (वार्षिक चन्दे पर)	1308
अन्य सेवाएँ		
1	प्राप्त नई पुस्तकें	384
2	चयनित विषय सूचियाँ	23
3	विषय-सूची सावधानियाँ	51
4	समाचार पत्र क्लिप्पिंग्स	190
5	समीक्षा की गयी पत्र-पत्रिकाएँ	123
6	जारी की गयी पुस्तकें	6749
7	परामर्श की गयी पुस्तकें	69703
8	आगन्तुक	12711
9	छाया प्रतियाँ	114082
10	पुस्तकों का डिजिटीकरण	19
11	इंटरनेट सेवाएँ	4521

10.1 पोस्टर्स और फ्लिप चार्ट्स

संस्थान ने सामान्य जनता की, जागरूकता और मूल कार्यकर्ताओं द्वारा अक्षमताओं की पहचान करने के लिए पोस्टरें छपवायी, सूचना सामग्रियों का प्रकाशन और फ्लिप चार्ट्स तैयार कराना जारी रखा है ।

10.2 डिजिटीकरण

रा.मा.वि.संस्थान के सभी अंग्रेजी और हिंदी प्रकाशनों का डिजिटीकरण करवाकर उसे संस्थान के स्टाफ और विद्यार्थियों के लाभार्थ एल.ए.एन. में उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2006-07 के दौरान 19 पुस्तकों का काम पूरा कर लिया गया है और शेष का डिजिटीकरण प्रक्रियाधीन है ।

अध्याय - 11

विस्तारण और सीमा से ऊपर पहुँचने के कार्यक्रम

11.1 जिला अक्षमता पुनर्वास केंद्र डीडीआरसी

जिला अक्षमता पुनर्वास केंद्रों के सम्मुख निम्नलिखित लक्ष्य हैं :

- सहायक सामग्रियों और उपकरणों का निर्माण व संयोजन कर एडीआईपी योजना के द्वारा उन्हें जरूरतमंद लोगों को वितरित करना ।
- अक्षमताओं से पीड़ित लोगों को सूचना सेवाएँ प्रदान करना ।
- अक्षम लोगों के पुनर्वास और सीबीआर पद्धति की सेवाओं के क्षेत्र में लगे कार्मिकों के लिए सेवाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

11.1.1 केन्द्र में प्रदान की जानेवाली सेवाएँ

- निम्नलिखित क्षेत्रों में अक्षमताओं से पीड़ित लोगों की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन व मूल्य निर्धारण
  - आर्थोटिक / प्रास्थेटिक सहायक सामग्रियों को बनाना
  - श्रवण का मूल्यांकन और श्रवण सहायक उपकरण
  - वाणी - भाषा सेवाएँ
  - भौतिक - चिकित्सा विज्ञान सेवाएँ
  - व्यावसायिक चिकित्सा सेवाएँ
  - डाक्टरी सेवाएँ, अक्षमता प्रमाण पत्रों को जारी करना
  - विशेष शिक्षा
  - पेशेवर प्रशिक्षण
  - परामर्शी सेवाएँ

- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितों के बारे में सूचना
- आवश्यकता पड़ने पर दूसरे चिकित्सकों के पास भेजने की सेवाएँ
- सहायता सामग्रियों और उपकरणों का निर्माण, ट्रायल फिटमेंट और अंतिम फिटमेंट ।

वर्ष 2006-07 के दौरान नये रोगियों और उनके अनुवर्ती आगमनों और उन्हें वितरित की गयी सहायक सामग्रियों के ब्यौरे ।

अक्षमता	नये रोगी	बीमारों का अनुवर्ती आगमन	एडीआईपी कअंतर्गते वितरित सहायक उपकरण
ओएच	6097	2748	1542
एम	995	1546	138
एचएच	2635	1280	815
वीएच	1536	588	512
अन्य	511	592	1
कुल	**11774**	**6754**	**3008**

- वर्ष 2006-07 के लिए एडीआईपी योजना के अंतर्गत वितरण के लिए कुल रु.14,510,604/- खर्च किये गये ।

11.1.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

सभी डीडीआरसी यों में वर्ष 2006-07 के दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

2006-07 के दौरान संचालित कार्यक्रमों के विवरण

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम	हिताधिकारी
मूल कार्यकर्ता, टीचर्स और अन्य	24	1536
वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	503
अक्षमताओं से पीड़ित लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम	10	694
कुल	39	2733

11.1.3 कैम्प

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान डीडीआरसी यों ने 91 कैंपों (स्क्रीनिंग और अनुवर्ती) का संचालन किया जिसमें अक्षमताओं वाले 10642 लोगों ने भाग लिया ।

11.2 जिला प्रारंभिक मध्यस्थता केंद्र की स्थापना

प्रारंभिक मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना की चरण-बद्ध स्थापना शुरु हो गयी है । कार्यकारी परिषद की 79वीं बैठक में किये गये अनुमोदन के अनुसार प्रारंभिक चरण में आंध्र प्रदेश में तिरुपति, कड़पा, वैजाग और करीमनगर में चार केंद्र अक्तूबर / नवंबर, 2006 में स्थापित कर दिये गये हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता / संवेदीकरण जैसे समर्थक क्रियाकलाप और चिकित्सालयीन कार्य चालू है ।

11.3 उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान सदा ही ऐसे कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के वर्धन व संचालन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में करता रहता है । संस्थान ने अपने क्रियाकलापों, पुस्तकों, मैन्युअलों, फ्लिप चार्टों, फोल्डरों और पोस्टरों का जिन्हें टीचर्स, अभिभावकगण, व्यावसायिकगण और गैर सरकारी संगठन उपयोग में लाते हैं, सभी का उत्तरपूर्व की सभी भाषाओं में अनुवादित करवाकर इन सभी राज्यों में नि:शुल्क वितरण किया है। प्रकाशनों का वितरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे स्थानीय सरकारी संगठनों के परामर्श से किया जाता है ।

जागरूकता के सृजन पर फ्लिप चार्टों का अनुवाद व मुद्रण कार्य अंग्रेजी, असमिया, मणिपुरी और मीजो भाषाओं में पूरा कर लिया गया है । जागरूकता की रोकथाम व सृजन और पुनर्वास पर फ्लिप चार्टों का मुद्रण उत्तर पूर्वी भाषाओं में कर लिया जाकर उनका निम्नानुसार वितरण भी किया गया है :

सामग्रियाँ	पुस्तकों की संख्या
फ्लिप चार्ट्स	936
वर्कबुक	79
पुस्तक (मूविंग फार्वर्ड)	568
सिमुलेशन सामग्रियाँ	52
पुस्तकें (कार्यात्मक अकादमीय)	17
ब्रोशर्स (रा.मा.वि.सं.)	379

निम्नलिखित प्रकाशनों का उत्तर पूर्वी भाषाओं में मुद्रण प्रक्रियाधीन है ।

1. रैपिड - अक्षमताओं तक पहुँचने और उनकी पहचान के लिए प्रोग्रामिंग, 2003
2. शिशुओं में अतिसामान्य दृष्टि विकास
3. कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट और प्रगति रिपोर्ट
4. विशेष स्कूल का आयोजन
5. एमआर - मनोवैज्ञानिकों के लिए मैन्युअल
6. व्यवहार मूल्यांकन मापदंड
7. बेसिक - एमआर रिकार्ड बुकलेट
8. बीएएसएएल - एमआर

नवंबर, 2006 के दौरान, असम में एक परियोजना की ागरूकता का सृजन, अक्षमताओं की शीघ्र पहचान और अक्षमताओं की रोकथाम नामक पुस्तक असमिया में छप गयी और इसकी 24,500 किट्स, उपयुक्त सामग्रियों को असम के 13 जिलों को भेजा गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. सरोज आर्य और उनकी एक टीम ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के जिलों, क्षेत्रों के ग्रामीण हाई स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण व अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा कैम्पों का आयोजन 19-30 मार्च, 2007 के बीच किया।

शीर्षक	द्वारा आयोजित	अवधि / तिथि	स्थान	लाभार्थी
सरकारी अधिकारियों, व्यावसायिकों और गैर सरकारी संगठनों के लिए अक्षमताओं से पीडित लोगों के लिए पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिक्षा (एसडब्ल्यू और एसई) विभाग, त्रिपुरो सरकार रा.मा.वि.सं. के सहयोग स	23-25 मई, 06	सिपार्ड, अगरतला, त्रिपुरा	61

11.4 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट (इंटर्नशिप)

विस्तारण और सीमा के ऊपर पहुँच कार्यक्रमों के अंग के रूप में, रा.मा.वि.संस्थान और उसके क्षेत्रीय केंद्र अपने यहाँ के स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों में अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट देते हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान 80 संस्थानों के 330 विद्यार्थियों को रा.मा.वि.संस्थान के विभिन्न विभागों में स्थान दिया गया।

11.5 समुदाय आधारित कार्यक्रम

रा.मा.वि.संस्थान ने वर्ष 2006-07 के दौरान निम्न समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित किये :

कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थी
मूल कार्यकर्ता / टीचरों का प्रशिक्षण	48	3273
जागरूकता कार्यक्रम	08	1239
अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	22	1937

11.6 अभिमुखीकरण कार्यक्रम

रा.मा.वि.संस्थान और उसके क्षेत्रीय केंद्र प्रतिवर्ष विजिटिंग व्यावसायिकों के लिए अभिमुखीकरण प्रदान करते हैं । वर्ष 2006-07 के दौरान 114 संस्थानों से 2393 व्यावसायिकों ने इसका लाभ उठाया ।

11.7 जागरूकता कार्यक्रम

यह स्थापित तथ्य है कि यदि युवाओं में अक्षमता और पुनर्वास के बारे में जागरूकता का सृजन किया जाए तो वह उनके दिमागों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा । इससे ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी जहाँ युवा भी इस विषय पर जोर देंगे और अक्षमताओं से पीड़ित लोगों की पहचान कर उनके लिए समुचित सहायता की तलाश करेंगे, जिससे समाज में उसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा । फीडबैक ने सूचित किया है कि अक्षमताओं और पुनर्वास के प्रति युवाओं में एक सही और सकारात्मक सोच पैदा की गयी है । वर्ष 2006-07 के दौरान संस्थान ने 3002 हिताधिकारियों को आवरित करते हुए 31 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

अध्याय - 12

प्रशासन

12.1 स्टाफ की संख्या और आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, जन-शिकायतें और पेंशन विभाग के का.ज्ञा.सं.36012/2/96-स्थापना (रेस) दिनांक: 02-07-1997 के अनुसार संशोधित पद आधारित रोस्टरों को अपनाया तथा अनुवर्तन किया गया । 31 मार्च, 2007 को पदों की कुल संख्या और आरक्षण नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	वर्ग	स्वीकृत संख्या	कुल भरे गये	अनु.जाति (%)	अनु.जन जाति (%)	अन्य पिछडी जातियाँ (%)
			रा.मा.वि.संस्थान और क्षेत्रीय केन्द्र			
1	क	26+26*	23	3(13.04)	1(4.34)	4 (17.39)
2	ख	19	18	2(11.11)	1(5.55)	0
3	ग	48	46	4(8.69)	5(10.86)	6(13.04)
4	घ	14	13	2(15.38)	0	0
	कुल	133	100	11	7	10
			रा.मा.वि.संस्थान, माडल विशेष शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली			
1	क	1	1	0	0	0
2	ख	1	1	0	0	0
3	ग	22	22	4(18.18)	1(4.54)	1(4.54)
4	घ	9	5	5(100.00)	0	0
	कुल	33	28	9	1	1

*मार्च, 2005 में 26 नये पदों का सृजन किया गया और भर्ती की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है ।

12.2 अध्ययन अवकाश की मंजूरी

रिपोर्ट की अवधि के दौरान श्री के.वेंकट सुब्बा रेड्डी, फिजियोथेरपी सहायक, सुश्री ए.सुवर्णा बाई, विशेष शिक्षा टीचर और श्री टी.श्रीधर, सांख्यिकी सहायक को मानसिक मंदन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया।

12.3 सतर्कता एकक के कार्यकलाप और उपलब्धियाँ

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार विभिन्न सतर्कता प्राधिकारियों को सतर्कता मामलों के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरणियाँ भेजी गयीं।

प्रसंगाधीन वर्ष 2006-07 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक: 06-11-2006 से दिनांक: 10-11-2006 तक मनाया गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रमुख स्थलों पर संदेश / पोस्टर्स लगाये गये और 07-11-2006 को प्रतिज्ञा की गयी। नारे लेखन, निबंध लेखन, अंग्रेजी, हिंदी में संदेशों के पोस्टर्स, वाक् और स्किट प्रतियोगिताएँ की गयीं।

12.4 स्टाफ प्रशिक्षण

संस्थान ने शैक्षिक वर्ष 2006-07 के दौरान 10 सदस्यों को स्टाफ प्रशिक्षण की सिफारिश और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विवरण नीचे दिये गये हैं :

- डॉ (श्रीमती) जयंती नारायण, उप-निदेशक (प्रशासन) को आईएसओ-9001:2000 क्यूएमएस लीड आडिटर-कार्यशाला, जिसे एनक्यूए, यू.के (भारत परिचालन) द्वारा प्रस्तावित और चोडा लीडरशिप सेंटर के सहयोग से 23-27 मई, 2006 को आयोजित किया गया, में भाग लेने भेजा गया।
- श्रीमती निबेदिता पटनाइक, प्राध्यापक, विशेष शिक्षा को दिनांक:03 से 11 जून, 2006 तक केर सोसाइटी द्वारा माले,मालद्वीस में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने भेजा गया।
- श्रीमती जाह्नवी, प्रिंसीपल, रा.मा.वि.संस्थान माडल विशेष शिक्षा केंद्र, को दिनांक: 14-15 सितंबर, 2006 को नई दिल्ली में आत्मविमोह पर इंडो-यूएस द्वारा आयोजित सम्मेलन में भेजा गया।
- श्रीमती प्रणीता पी.मडकैकर, मुंबई को एनसीक्यूएम, द्वारा दिनांक: 13-15 नवंबर, 2006 को संचालित प्रशिक्षक को प्रशिक्षण पर कार्यशाला में भाग लेने भेजा गया।
- श्री सी.सुरेश, पुस्तकालय लिपिक को, सार्वजनिक उपक्रम के संस्थान द्वारा उस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस में 20-25 नवंबर, 2006 को आयोजित पुस्तकालय प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोजन कार्यशाला में भेजा गया।
- श्री संपत सिंह, हिंदी टंकक को रा.मा.वि.संस्थान द्वारा नैनीताल में 1-3 नवंबर, 2006 को राजभाषा प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने भेजा गया।
- श्री बी.सूर्यप्रकाशम, सांख्यिकी अधिकारी को दिनांक: 1-3 दिसंबर, 2006 को कोयंबत्तूर में पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंस और रिसर्च द्वारा 24वाँ वार्षिक राष्ट्रीय इंडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल साइंसेस सम्मेलन में भेजा गया।

- श्री पी.सम्मय्या, कार्यशाला पर्यवेक्षक को मैनेजमेंट स्किल्स फॉर साइन्टिफिक और तकनीकल ऑफिसर्स विषय पर 18 से 29 दिसंबर, 2006 को नई दिल्ली में इंस्ट्यूट सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में भेजा गया।
- डा.एस.एच.के.रेड्डी, आईडीओ को ऊर्जा और संसाधन संस्थान और संस्कृति विभाग, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 5-8 दिसंबर, 2006 को संयुक्त रूप से आयोजित डिजिटल पुस्तकालयों पर अंतर-राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने भेजा गया ।
- श्री डी.लक्ष्मय्या, वाणी-विज्ञानी को अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलाँग संस्थान, दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र, सिकंदराबाद द्वारा दिनांक: 28 से 29 दिसंबर, 2006 को आयोजित एएसएसआर पर दो दिवसीय कार्यशाला में भेजा गया ।

12.5 हिन्दी कार्यान्वयन

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित 2005-06 से वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं कि कार्यालयी कार्य हिंदी में किया जाए ।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जा रहा है । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केवल हिंदी में दिये जा रहे हैं। संस्थान से संबद्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न-पत्र द्विभाषिक रूप में तैयार किये जाते हैं और परीक्षार्थियों को हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प दिया जाता है ।

सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रचार-प्रसार और उपयोग हेतु दिनांक: 1 से 14 सितंबर, 2006 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया । संस्थान के स्टाफ के सदस्यों को राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत आदेशों और समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की जानकारी दी गयी और राजभाषा प्रचार-प्रसार संबंधी पोस्टर लगाये गये । पखवाड़े के दौरान हिंदी अनुवाद, टंकण, पोस्टरों के विकास, टिप्पण-आलेखन, कविता, नारे, निबंध आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं । 14 सितंबर, 2006 को आयोजित समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया । दो कर्मचारियों को 10,000 से अधिक हिंदी शब्दों को लिखने के कारण भारत सरकार के आदेशों के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किये गये । रा.मा.वि.संस्थान के न्यूजलेटर में हिंदी लेख शामिल किये गये । संस्थान ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हैदराबाद-सिकंदराबाद की बैठकों में भाग लिया ।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान 27-6-2006, 5-10-2006, 28-12-2006 और 21-5-2007 को राजभाषा कार्यान्वयन की बैठकें आयोजित की गयीं ।

12.6 भवनों का निर्माण

- **राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान, सिकंदराबाद में मिलिनियम ब्लाक का निर्माण :**
  मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक पर्याप्त स्थान प्रदान करने तथा अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों के लिए जगह की बढ़ती माँगों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी ने नये भवन के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है । 720 वर्ग मीटर के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत 63.00 लाख रुपये के प्राक्कलन को अनुमोदित कर दिया गया है । के.लो.नि.विभाग ने निर्माण कार्य अप्रैल, 2007 से शुरु कर दिया व काम जारी है ।

- **राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान, सिकंदराबाद में प्रसन्न कुटीरम का निर्माण**

  ऐसे अभिभावकों जो परिवार कुटीर की सुविधा का लाभ उठाते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण व सूचना हाल की आवश्यकता है । तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने ग्राउंड फ्लोर में प्रशिक्षण व सूचना हाल तथा प्रथम तल में वीआईपी सूट्स और विभिन्न मानव संसाधन और अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में संस्थान आनेवाले प्रतिभागियों के लिए उक्त सुविधाएँ प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया है । भूतल में हाल के लिए 105 वर्ग मीटर और प्रथम तल में 10 अतिथि कमरों के लिए 260 वर्ग मीटर के निर्माण के लिए 36.00 लाख रुपयों की मंजूरी दे दी है । के.लो.नि.विभाग द्वारा अप्रैल, 2007 में निर्माण कार्य शुरु कर दिया जो प्रगति पर है ।

- **मॉडल विशेष शिक्षा केंद्र-क्षेत्रीय केंद्र, रा.मा.वि.संस्थान, नई दिल्ली में निर्माण कार्य :**

  माडल विशेष शिक्षा केंद्र और रा.मा.वि.संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र के लिए नोएडा, सेक्टर-40 में भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया था । सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन की अभिकल्पना के ड्राईंगों का अनुमोदन कर दिया गया है । के.लो.नि.विभाग द्वारा 2007 में काम शुरु कर दिया गया और प्रगति पर है ।

- **क्षेत्रीय केंद्र, रा.मा.वि.संस्थान, नवी मुंबई में निर्माण कार्य :**

  सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शों को सीआईडीसीओ को निकासी के लिए प्रस्तुत किया गया है । सिडको से निकासी अनुमोदन प्राप्त हो चुका है । के.लो.नि.विभाग द्वारा प्रस्तुत 269.79 लाख रुपयों का प्राक्कलन अनुमोदन के लिए मंत्रालय को भेजा गया है।

- **क्षेत्रीय केंद्र, रा.मा.वि.संस्थान, मत्तुकाडु, चेन्नै, निर्माण कार्य :**

  मौजूदा भवनों को नवीनीकरण करके सेवा कार्यकलाप शुरु कर दिये गये हैं । के.लो.नि. विभाग ने 29,58,76,000/- रुपयों के प्राक्कलन प्रस्तुत कर दिये हैं । प्रस्ताव, अनुमोदनार्थ मंत्रालय के अग्रेषित कर दिये गये हैं ।

12.7 परिषद की बैठकें

वर्ष 2006-07 के दौरान संस्थान के परिषद की बैठकें निम्नानुसार की गयीं ।

क्रम सं.	बैठक	संख्या	दिनांक	स्थान
1	कार्यकारी परिषद	78वीं	08-07-2006	रा.मा.वि.सं., सिकंदराबाद
2	कार्यकारी परिषद	79वीं	29-09-2006	विमहैन्स, नई दिल्ली
3	कार्यकारी परिषद	80वीं	15-12-2006	आईपीएच, नई दिल्ली
4	कार्यकारी परिषद	81वीं	21-03-2006	आईपीएच, नई दिल्ली
5	सामान्य परिषद	27वीं	15-11-2006	एमएसजे एवं ई, नई दिल्ली

12.8 मंत्री का निरीक्षण

- माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीसन, ने 14 जुलाई, 2006 को राष्ट्रीय मानसिक विकलाँग संस्थान का निरीक्षण किया।

अध्याय - 13

वर्ष 2006-2007 के लिए वार्षिक लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2006-07 के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :

1.	आदि शेष	(क) योजना निधि	268.32 लाख रुपये
		(ख) एडीआईपी निधि	84.52 लाख रुपये
		(क+ख) का योग	352.84 लाख रुपये
2.	मंत्रालय से अनुदान	(क) योजना	971.00 लाख रुपये
		(ख) गैर योजना	277.00 लाख रुपये
		(क+ख) का योग	1,248.00 लाख रुपये
		(ग) एडीआईपी	150.00 लाख रुपये
		(1+ग) योग	1,398.00 लाख रुपये
3.	अन्य स्रोतों से प्राप्त राशियाँ		
		(क) पायलेट परियोजना	164.87 लाख रुपये
		(ख) सीआरसी, भोपाल	26.60 लाख रुपये
		(ग) इंडो-यूएस कान्फ्रेन्स	10.54 लाख रुपये
		(घ) अन्य ऋण व अग्रिम	59.41 लाख रुपये
		(क से घ) तक का योग	261.42 लाख रुपये
4.	आंतरिक प्राप्तियाँ		79.70 लाख रुपये
	(1+2+3) का कुल		2,091.96 लाख रुपये

इन तमाम राशियों के कुल 2091.96 लाख रुपयों को संस्थान के विभिन्न सार्वजनिक बैंकों के बचत खातों में जमा करवाया गया।

2,091.96 लाख रुपयों की राशि में से प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान 1,607.38 लाख रुपये योजना और गैर-योजना कार्यकलापों के लिए योजना के लक्ष्य के अनुसार खर्च किये गये और बची हुई राशि 484.58 लाख रुपये है ।

वर्ष 2006-07 के लिए दिनांक: 31-03-2007 को स्थित तुलन पत्र आय और व्यय लेखे तथा संस्थान के वर्ष 2006-07 की प्राप्तियाँ और भुगतान लेखों के साथ-साथ लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के साथ 1-25 तक अनुसूचियाँ प्रारूप के अनुसार इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किये गये हैं ।

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद-500 004.

OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL AUDIT)
ANDHRA PRADESH
HYDERABAD - 500 004.

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

दिनांक/Date: 03-01-2008

मैंने, 31 मार्च 2007 को राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद का संलग्न तुलन-पत्र और उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय-लेखा और प्राप्ति-और-भुगतान-खाते की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी उक्त संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणियों पर, अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित, अपनी राय व्यक्त करना है।

मैंने इस संबंध में लागू नियमों और भारत में सामान्यतः स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि मैं लेखापरीक्षा की योजना और संचालन द्वारा यह उचित आश्वासन प्राप्त करूँ कि क्या वित्तीय विवरणियाँ वस्तुगत मिथ्या-कथन से मुक्त है। लेखापरीक्षा में, राशियों तथा वित्तीय विवरणियों के प्रकटनों में देखे गये प्रमाणों की, परीक्षण आधार पर, जाँच करना शामिल है। मुझे विश्वास है कि मेरी लेखापरीक्षा मेरी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं निम्नलिखित रिपोर्ट देता हूँ :

1. मैंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जो हमारी अत्युत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

2. नीचे दिये गये मुख्य समुक्तियों और इसके साथ संलग्न किये गये लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विस्तृत समुक्तियों के अध्यधीन, मैं यह सूचित करता हूँ कि इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, आय-व्यय-लेखा तथा प्राप्ति-और-भुगतान-खाते सही रूप से तैयार किये गये हैं और इनकी लेखा-किताबों के साथ सहमति है।

- *95 लाख रुपयों के पूर्ण निर्मित कार्य के लगातार अल्पकालीन पूंजीकरण के फलस्वरूप अचल सम्पत्ति का न्योनोक्ति करना और ऋण और अग्रिमों का अत्युक्ति करना। (टिप्पणी 2.1.1(i))*
- *अंतिम व्यय के रूप में अग्रिमों का गलत लेखा करने के फलस्वरूप 69.57 लाख रुपयों के व्यय की अत्युक्ति करना और चालु सम्पत्ति-ऋण और अग्रिम की न्योनोक्ति करना। (टिप्पणी 3.1)*

3. मेरी अत्युत्तम जानकारी और मुझे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार मेरी राय में ;

(i) उक्त लेखाओं में अपेक्षित सूचना निर्धारित लेखा-आरूप के अनुसार दर्शाए जा रहे हैं ;

(ii) उक्त तुलन-पत्र, आय-व्यय-लेखा / प्राप्ति-और-भुगतान-खाते के साथ पठित लेखाकरण नीतियाँ और उन पर टिप्पणियाँ, एवं उपर्युक्त महत्वपूर्ण विषयों और संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित अन्य विषयों के अध्यधीन, सत्य और निष्पक्ष आंकलन प्रस्तुत करते हैं।

क. जहाँ तक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के कार्य-स्थिति की 31 मार्च 2007 के तुलन-पत्र का संबंध है ; और

ख. जहाँ तक उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष की आय-व्यय-लेखा का संबंध है

(एस.बी.पिल्लै)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल लेखापरीक्षा)

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 03-01-2008

Phone Nos. 23236811 to 23236819 GRAMS : ANDHRAAUDIT E-mail : pag@ap.nic.in Fax No.: 040-23234157 040-23215185

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2006-07 के लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. भूमिका

राष्ट्रीय मानसिक विकास संस्थान संस्थान सिकंदराबाद की वर्ष 1984 में पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापना की गयी । संगठन के मुंबई, कोलकता और नई दिल्ली में क्षेत्रीय केंद्र और माडल विशेष शिक्षा केंद्र, नई दिल्ली में स्थित हैं ।

1.1 संस्थान के लक्ष्य एवं उद्देश्य :

- मानसिक विकलॉंगों की शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित सभी पक्षों का संचालन, प्रवर्तित, सहयोग या अनुसंधान करना।
- अनुसंधान करना, प्रवर्तित करना, सहयोग और आर्थिक सहायता देकर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को सहायक सामग्रियों के प्रभावशाली मूल्यांकन या उपयुक्त शल्य-चिकित्सीय या डाक्टरी प्रक्रियाओं या नई सहायता उपकरणों का विकास करना ।
- टीचरों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रवर्तन का कार्य करना, अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और अन्य व्यक्ति जो मानसिक मंदन के लोगों शिक्षा प्रशिक्षण या पुनर्वास की प्रोन्नति के लिए संस्थान द्वारा आवश्यक समझे गये अन्य ऐसे कार्मिक ।
- मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के इलाज, पुनर्वास शिक्षा के किसी प्रकार के पक्षों को प्रोन्नत करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रोटोटाइपों के निर्माण, वितरण या प्रोन्नत करने या आर्थिक सहायता देना ही संस्थान के लक्ष्य हैं ।

1.2 संस्थान के लेखों के लेखा परीक्षण का कार्य अगले पॉंच वर्षों यानी 2004-05 से 2008-09 तक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के (ड्यूटियों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अनुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को पुन: सौंपा गया है।

1.3 वित्तीयन के स्रोत

वर्ष 2006-07 के दौरान संस्थान को 12.48 करोड़ रुपयों (योजना के अंतर्गत 9.71 करोड़ रुपये और गैर-योजना के अंतर्गत 2.77 करोड़ रुपये) और अन्य स्रोतों (भारत सरकार पायलेट परियोजना-1.65 करोड़ रुपये, एडीआईपी योजना 1.50 करोड़ रुपये, इन्डो-यू.एस. वर्कशाप 0.11 करोड़ रुपये, सीआरसी भोपाल-0.27 करोड़ रुपये) से प्राप्त हुए

इसके अतिरिक्त, संस्थान ने वर्ष के दौरान आंतरिक व अन्य प्राप्तियों के द्वारा 1.38 करोड़ रुपयों का अर्जन किया है ।

वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों और अन्य प्राप्तियों के साथ खर्च न की गयी 1.75 करोड़ रुपयों की शेष गत वर्ष की राशि सहित संस्थान ने 9.49 करोड़ रुपयों का उपयोग कर योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को 3.73 करोड़ रुपयों की राशि उपयोग में नहीं लायी गयी ।

लेखों पर टीका-टिप्पणियॉं

लेखों का संशोधन

संस्थान ने लेखा परीक्षा टीका-टिप्पणियों के प्रकाश में अपने लेखों को संशोधित किया है । परिणाम स्वरूप व्यय से ऊपर आय में 21.86 लाख रुपयों की वृद्धि हुई ।

2. तुलन पत्र

2.1 आस्तियाँ

2.1.1 नियत आस्तियाँ - 15.68 करोड़ रुपये

(i) विगत वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में की गयी टीका-टिप्पणियों के चलते संस्थान ने 95.00 लाख रुपयों के पूरे किये काम का पूँजीकरण नहीं किया और न उसका उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप नियत आस्तियों का अवमूल्यन 95.00 लाख रुपये रहा, जिसके साथ मूल्यह्रास के कम बताये गये 1.90 लाख रुपये भी हैं।

(ii) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों और साथ ही साथ भंडारों और स्टाक की जॉच नहीं की गयी। इसके परिणाम स्वरूप नियत आस्तियों और भंडारों तथा स्टाक के मूल्य का सही या अन्यथा होने की बात की लेखा परीक्षा में जॉच नहीं की जा सकी।

3. आय तथा व्यय लेखा

3.1 व्यय - 10.05 करोड़ रुपये

संस्थान ने प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान दिये गये निम्न अग्रिमों के लिए गलत हिसाब प्रस्तुत किये हैं जिसके परिणामस्वरूप अंतिम व्यय में व्यय की अत्युक्ति (अधिक बताना) और ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत चालू आस्तियों की न्यूनोक्ति (कम करके बताना) था।

क्रम सं.	लेखे का नाम	अग्रिम की राशि जिसे अंतिम व्यय व्यवहृत किया गया
1	एडीआईपी योजना के अंतर्गत व्यय नहीं किये गये अनुदान डीडीआरसी यो के पास प्रारंभिक मध्यस्थता केंद्रों (यूसी प्रतीक्षारत)	2028503
2	की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	1581000
3	टीटीसी यो (यूसी की प्रतीक्षा है) को वित्तीय सहायता	3347653
	योग	6957156

4. सामान्य

- अन्य जिला पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) (जैसे गुलबर्गा, कोजीकोड़, तिरुअनंतपुरम और मांड्या) के संबंध में रोकड़ बही शेष राशियों की जॉच नहीं की जा सकी क्योंकि अभिलेख, रोकड़ बहियॉ लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयीं।

5. लेखों पर टिप्पणियाँ और उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

- संस्थान ने सामान्य भविष्य निधि खाते को मुख्य खाते से नहीं जोड़ा। परिणामस्वरूप, समेकित वित्तीय विवरणी संपूर्ण स्थिति प्रकट नहीं कर सकी।
- संस्थान ने लेखों के सामान्य प्रारूप द्वारा आवश्यक अपनायी गयी निवेश नीति को प्रकट नहीं किया इसके अलावा एफडीआर की संख्या, निवेश की अवधि, बैंक का नाम आदि की अनुसूची, जो लेखों के सामान्य प्रारूप के लिए आवश्यक है, वार्षिक लेखों के साथ अनुबंध नहीं किया।
- संस्थान ने लेखों के सामान्य प्रारूप में निर्धारित किये गये वार्षिक लेखों में औषधियों के अंतिम स्टाक के मूल्यांकन संबंधी नीति को प्रकट नहीं किया।
- क्षेत्रीय केंद्रों के आंतरिक लेखापरीक्षा का काम हाथ में लेने की कार्यात्मक योजना अभी तैयार करनी है।

6. प्रबंधन पत्र

प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने की कमियॉ, जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है,और इस बात की सूचना देते हुए एक प्रबंधन पत्र के द्वारा निदेशक को अलग से सुधार या सही करने के लिए कहा गया है।

हस्ता./-
(एस.बी.पिल्लै)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल लेखा परीक्षा)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद

प्रधान महालेखाकार, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए लेखों पर की गयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अनुच्छेदवार की गयी टीका टिप्पणियाँ

1. भूमिका : राष्ट्रीय मानसिक विकलॉग संस्थान, सिकंदराबाद की स्थापना 1984 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में हुई । संगठन के तीन क्षेत्रीय केंद्र मुंबई,कोलकता और नई दिल्ली में ही माडल विशेष शिक्षा केंद्र हैं ।	कोई टीका टिप्पणी नहीं । तत्थात्मक सूचना ।
1.1 संस्थान के लक्ष्य तथा उद्देश्य : • मानसिक विकलॉगों की शिक्षा और पुनर्वास से संबंधित सभी पक्षों का संचालन, प्रवर्तित, सहयोग या अनुसंधान करना । • अनुसंधान करना, प्रवर्तित करना, सहयोग और आर्थिक सहायता देकर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को सहायक सामग्रियों के प्रभावशाली मूल्यांकन या उपयुक्त शल्य-चिकित्सीय या डाक्टरी प्रक्रियाओं या नई सहायता उपकरणों का विकास करना । • टीचरों और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रवर्तन का कार्य करना, अधिकारियों ,मनोवैज्ञानिकों , व्यावसायिक परामर्शदाताओं और अन्य व्यक्ति जो मानसिक मंदन के लोगों की शिक्षा प्रशिक्षण या पुनर्वास की प्रोन्नति के लिए संस्थान द्वारा आवश्यक समझे गये अन्य ऐसे कार्मिक । • मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के इलाज, पुनर्वास शिक्षा के किसी भी प्रकार के पक्षों को प्रोन्नत करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रोटोटाइपों के निर्माण, वितरण या प्रोन्नत करने या आर्थिक सहायता देना ही संस्थान के लक्ष्य हैं ।	कोई टीका टिप्पणी नहीं । तत्थात्मक सूचना ।
1.2 संस्थान के लेखों के लेखा परीक्षण का कार्य अगले पॉच वर्षों यानी 2004-05 से 2008-09 तक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के (ड्यूटियों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अनुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को पुन: सौंपा गया है ।	कोई टीका टिप्पणी नहीं । तत्थात्मक सूचना ।

NIMH

1.3 वित्तीयन के स्रोत वर्ष 2006-07 के दौरान संस्थान को 12.48 करोड़ रुपयों (योजना के अंतर्गत 9.71 करोड़ रुपये और गैर-योजना के अंतर्गत 2.77 करोड़ रुपये) और अन्य स्रोतों (भारत सरकार पायलेट परियोजना-1.65 करोड़ रुपये, एडीआईपी योजना 1.50 करोड़ रुपये, इन्डो-यू.एस. वर्कशाप 0.51 करोड़ रुपये, सीआरसी भोपाल-0.27 करोड़ रुपये) से प्राप्त हुए इसके अतिरिक्त, संस्थान ने वर्ष के दौरान आंतरिक व अन्य प्राप्तियों के द्वारा 1.38 करोड़ रुपयों का अर्जन किया है। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों और अन्य प्राप्तियों के साथ खर्च न की गयी 1.75 करोड़ रुपयों की शेष गत वर्ष की राशि को शामिल करते हुए संस्थान ने कुल 9.49 करोड़ रुपयों का उपयोग कर उपयोग में न लायी गयी योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को 3.73 करोड़ रुपयों की राशि को उपयोग में नहीं लाया गया।	कोई टीका टिप्पणी नहीं। तत्थात्मक सूचना।
लेखों पर टीका-टिप्पणियाँलेखों का संशोधन संस्थान ने लेखा परीक्षा टीका-टिप्पणियों के प्रकाश में अपने लेखों को संशोधित किया है। परिणाम स्वरूप व्यय से ऊपर आय में 21.86 लाख रुपयों की वृद्धि हुई।	कोई टीका टिप्पणी नहीं। तत्थात्मक सूचना।
2. तुलन पत्र **2.1 आस्तियाँ** **2.1.1 नियत आस्तियाँ -15.68 करोड़ रुपये** **(i)** विगत वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में की गयी टीका-टिप्पणियों के चलते संस्थान ने 95.00 लाख रुपयों के पूरे किये काम का पूँजीकरण नहीं किया और न उसका उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप नियत आस्तियों का अवमूल्यन 95.00 लाख रुपये रहा, जिसके साथ मूल्यह्रास के कम बताये गये 1.90 लाख रुपये भी शामिल हैं।	यह बताया गया है कि 95.00 लाख रुपये मालियत के पूरे किये गये निर्माण कार्यों की 2005-06 में लेखा परीक्षा में पुन: परीक्षित किये गये, क्योंकि यह पाया गया कि उसमें कुछ विसंगतियाँ मौजूद हैं। इसलिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, हैदराबाद द्वारा पूरे किये गये कुल निर्माण कार्यों की समीक्षा की जा रही है, समीक्षा के पूरा होते ही वास्तविक व्यय का हिसाब लगाया जाएगा जिसका आधार कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र और पूरा किये गये निर्माण कार्यों की लागत होगी। इस प्रकार पूरे किये गये कार्यों के मूल्य को वर्ष 2007-08 के वार्षिक लेखों में लिया जाएगा।
(ii) वर्ष के दौरान नियत आस्तियों और साथ ही साथ भंडारों और स्टाक की जाँच नहीं की गयी। इसके परिणाम स्वरूप नियत आस्तियों और भंडारों तथा स्टाक के मूल्य का सही या अन्यथा होने की बात की लेखा परीक्षा में जाँच नहीं की जा सकी।	यह बताया गया कि नियत आस्तियों के साथ-साथ भंडार तथा स्टाकों की भौतिक जाँच 31 मार्च, 2007 तक भी पूरी नहीं की जा सकी। इसलिए सच यह है कि आस्तियों, भंडारों और स्टाक की भौतिक जाँच जारी है और इसे लेखों के अंग स्वरूप लेखों के अंग के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए भौतिक जाँच की रिपोर्टों पर की गयी कार्रवाई के परिणाम को वर्ष 2007-08 के लेखों में दर्शाया जाएगा।

3. आय तथा व्यय लेखा **3.1 व्यय - 10.05 करोड़ रुपये** संस्थान ने प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान दिये गये निम्न अग्रिमों के लिए गलत हिसाब प्रस्तुत किये हैं जिसके परिणामस्वरूप अंतिम व्यय में व्यय की अत्युक्ति (अधिक बताना) और ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत चालू आस्तियों की न्यूनोक्ति (कम करके बताना) था। 1. एडीआईपी योजना के अंतर्गत व्यय नहीं किये गये अनुदान डीडीआरसी यो के पास 20,28,503 2. प्रारंभिक मध्यस्थता केंद्रो (यूसी प्रतीक्षारत) की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता 15,81,000 3. टीटीसी यो (यूसी की प्रतीक्षा है) को वित्तीय सहायता 33,47,653	1. व्यय नहीं की गयी 20,28,503 रुपयों की शेष राशि एडीआईपी योजना के अंतर्गत थी। यह कहा गया है कि इन विशेष एडीआईपी योजना के लिए निर्मुक्त निधियाँ योजना या गैर योजना निधियों से संबंधित नहीं हैं। यह एक अलग योजना है। वास्तव में ये राशियाँ देश में अन्यत्र डीडीआर को उनके दिन-प्रतिदिन के परिचालनों में विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने इस निर्मुक्त राशि को व्यय की तरह व्यवहृत किया जाना चाहिए। यदि इन शेष राशियों को लेखे में लाया जाए भी तो इस संस्थान के कार्यकारी परिणाम कुछ और ही होंगे। अत: इन्हें अग्रिमों के खाते में नहीं लाया जा सकता। अगले वर्ष से समस्त एडीआईपी लेखे को प्राप्तियाँ और भुगतानों के लेखे में केवल स्पष्टीकरण के लिए अलग लेखे में बताया जाएगा। (2 व 3) प्रारंभिक मध्यस्थता केंद्रों और टीचर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में यह बताया गया है कि आवश्यकता के आधार पर इन केंद्रों के दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिए आम तौर से ये राशियाँ निर्मुक्त की जा रही हैं। सामान्यत: वित्तीय वर्ष के अंत होने तक निर्मुक्त यह वित्तीय सहायता समाप्त हो जाती है। केवल एक बात यह रह जाती है कि वे 31 मार्च तक उपयोगिता प्रमाणपत्र हर वर्ष भेज नहीं पाते। अत: इन राशियों को लेखों में व्यय की तरह लिया जाता है। वित्त वर्ष 2007-08 से इस संबंध में एक टिप्पणी की उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखों के लेखा परीक्षित विवरण अभी प्राप्त होने बाकी है, उस निर्मुक्त वित्तीय सहायता के लिए, उसका उल्लेख किया जाएगा।
4. सामान्य अन्य जिला पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) (जैसे गुलबर्गा, कोजीकोड़, तिरुअनंतपुरम और मांड्या) के संबंध में रोकड़ बही शेष राशियों की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि अभिलेख, रोकड़ बहियाँ लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयीं।	यह बताया जाता है कि गुलबर्गा, कोजीकोड़, तिरुअंतनपुरम और मांड्या केंद्रों अभिलेख प्राप्त किये जाएँगे और 2007-08 के लेखों की जाँच के समय लेखा परीक्षा को दिखलाएँगे। यह भी कहा गया है कि उपलब्ध सही शेषराशि या केंद्रों द्वारा किया गया व्यय केंद्रों द्वारा लेखा परीक्षकों को बताया जाएगा और तद्नुसार लेखों में लिया जाएगा। सामान्य भविष्य निधि के खातों को मुख्य खातों में उल्लेखित न करने का तथ्य लेखों का अंग बनी टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है।
5. लेखों पर टिप्पणियाँ और उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ संस्थान ने सामान्य भविष्य निधि खाते को मुख्य खाते से नहीं जोड़ा। परिणामस्वरूप, समेकित वित्तीय विवरणी संपूर्ण स्थिति प्रकट नहीं कर सकी।	फिर भी प्रयास किये जा रहे हैं कि सामान्य भविष्य निधि के लेखों को वर्ष 2007-08 और उसके आगे से मुख्य लेखों में जोड़ दिये जाएँ बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी से इसे अनुमोदन प्राप्त हो।

	संस्थान ने लेखों के सामान्य प्रारूप द्वारा आवश्यक अपनायी गयी निवेश नीति को प्रकट नहीं किया इसके अलावा एफडीआर की संख्या, निवेश की अवधि, बैंक का नाम आदि की अनुसूची, जो लेखों के सामान्य प्रारूप के लिए आवश्यक है, वार्षिक लेखों के साथ अनुबंधनहीं किया ।	यह स्पष्ट किया गया है कि संस्थान ने अभी तक कोई निवेश नहीं किया है । फिर भी, इसके तीन फिक्सड़ डिपाजिट्स हैं, जिनकी राशियाँ दाताओं से विशेष उद्देश्य से प्राप्त होती हैं जिन्हें हर कोर्स में सर्वोत्तम विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया जा सके । यह राय प्रकट की जाती है कि इन राशियों को निवेश की तरह या निर्धारित राशि न माना जाए, क्योंकि ये संस्थान की निधियाँ नहीं है। फिर भी, लेखा परीक्षा द्वारा सुझाया गया है कि इन दानों के निवेश की नीति को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद लेखों में उल्लेखित किया जाएगा ।
	संस्थान ने वार्षिक लेखों में निर्धारित लेखों के सामान्य प्रारूप में औषधियों के अंतिम स्टाक के मूल्यांकन से संबंधित नीति व्यक्त नहीं की है ।	लेखा परीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार औषधियों के अंतिम स्टाक का मूल्यांकन 2007-08 वर्ष से लेखों के सामान्य फार्मेट में दिये गये अनुसार मूल्यांकन नीति प्रकट की जाएगी ।
	क्षेत्रीय केंद्रों की आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य करने कार्य योजना अभी तैयार करनी है ।	लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सुझाये गये अनुसार क्षेत्रीय केंद्रों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए कार्य योजना बनायी जा रही है ।
प्रबंधन - पत्र		
1.	1.41 करोड़ रुपयों की मालियत की बकाया अग्रिम राशियों की समीक्षा होनी है ।	1.41 करोड़ रुपयों का हिसाब कैसे हुआ, इसका कोई आधार उपलब्ध नहीं है। फिर भी, दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि में (क)0.83 करोड़ रुपये कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम, जिन्हें मासिक आधार पर वसूला जा रहा है: (ख) के.लो.नि.वि. को दी गयी अग्रिम राशि 13.21 करोड़ रुपये, डीडीआरसी यों को 12.73 करोड़ रुपये और 0.25 करोड़ रुपये तथा दूसरे 0.24 करोड़ रुपये जिनपर नियमित निगरानी है वसूल/समायोजित होंगे जब भी आवश्यकता होगी और (ग) 0.02 करोड़ रुपये जो व्यय के लिए पहले ही अदा कर दिये गये हैं, लेखों में समायोजित होने वाले हैं ।
2.	तुला अनंत सरस्वती स्वर्ण पदक के बनाने के प्रभार का लेखा सही नहीं है यह योजना निधि की राशि 8350/- रुपये के अंतर्गत बतायी गयी है जबकि यह धर्मदाय निधियों के अंतर्गत है ।	लेखा परीक्षा ने देखा कि तथ्य यह है कि 8350/- रुपयों की राशि धर्मदाय निधि में से होनी चाहिए । फिर भी, 31 मार्च को यह राशि आहरित नहीं की जा सकी क्योंकि आहरण की अवधि का नकदीकरण 31 मार्च के आगे है । इस तरह व्यय, योजना निधियों में से कर दिया था और उन्हें वसूली योग्य अग्रिमों में बताया गया । इसे 2007-08 के दौरान ठीक किया जाएगा ।

3.	12,826/- मालियत की फर्नीचर का व्यय बताया गया है जबकि यह गलत है । यह इलेक्ट्रिकल मद की राशि है ।	इसे वर्ष 2007-08 के लेखों में ठीक कर दिया जाएगा ।
4.	सामान्य भविष्य निधि को मुख्य लेखों में न जोड़ना ।	लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जैसे पहले से ही बता दिया गया है कि सामान्य भविष्य निधि को मुख्य लेखों से जोड़ा जाएगा बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मिले ।
5.	पंजाब नेशनल बैंक में बिना ब्याज के बचतखाते का परिचालन	तथ्य यह है कि संस्थान के पंजाब नेशनल बैंक के बचतखाते पर कोई अर्जन नहीं है, लेखा-परीक्षा को यह बात बता दी गयी है । बैंक प्राधिकारियों ने साफ तौर पर बतला दिया है कि बजट-आबंटन के रूप में मंत्रालय द्वारा जारी राशियों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
6.	सामान्य भविष्य निधि की शेष राशियों के संबंध में मजबूत निवेश नीति की कमी ।	फिलहाल, सामान्य भविष्य निधि की राशियाँ लचीले जमा खाते में रखी जा रही हैं, जिसपर 6% अधिक ब्याज का अर्जन होता है, जो बचत खाते पर मिलने के ब्याज से अधिक है । पहले के वर्षों में सामान्य भविष्य निधि की राशियाँ भारतीय स्टेट बैंक के विशेष जमा योजना में रखी जाती थीं, जिसपर उतना ही ब्याज दिया जाता था जितना सामान्य भविष्य निधि के चन्दे पर दिया जाता था । अब भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस योजना के हटा लिये जाने के कारण, अधिक ब्याज पाने के लिए इन राशियों को लचीले जमा खाते में रखा जाता है । फिर भी, यह प्रयास किये जा रहे हैं कि इन राशियों को ऐसे खाते में रखा जाए जिसपर अधिक ब्याज मिलेगा, बशर्ते कि इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हो ।
7.	अनुसूचियों 12 और 13 के शीर्षकों का आय और व्यय खाते के अंग बनने वाली अनुसूची के स्थान पर तुलन पत्र के अंग बनने वाली अनुसूचियाँ गलतमुद्रण हुआ है ।	इसे वर्ष 2007-08 और आगे के लेखों में सुधारा जाएगा ।

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2007 का तुलन पत्र

(रु.....में राशि)

कार्पस / पूँजी निधि और देवताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
कार्पस / पूँजी निधि	1	353,863,922	340,358,927
प्रारक्षित और अधिशेष निधियाँ	2	12,852,116	0
उद्दिश्ट/धर्मदाय निधियाँ	3	303,034	0
प्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	4	0	0
अप्रतिभूत ऋण और उधार राशियाँ	5	0	0
आस्थगित जमा देनदारियाँ	6	0	0
चालू देनदारियाँ व प्रावधान	7	3,126,108	3,466,200
योग		**370,145,180**	**343,825,127**
आस्तियाँ			
नियत आस्तियाँ	8	156,831,583	270,379,218
जोडें : आस्तियों में पूर्वावधि समायोजन			
उद्दिश्ट/धर्मदाय से निवेश	9	250,000	0
निवेश-अन्य	10	0	0
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	213,063,597	73,445,909
विविध व्यय			
(बट्टे खाते या समायोजित न किये जाने की सीमा तक)			
योग		**370,145,180**	**343,825,127**
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
फुटकर देनदारियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	25		

ह/-
लेखा अधिकारी

ह/-
उप निदेशक (प्रशा.)

ह/-
निदेशक

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2007 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय लेखा

(रु.....में राशि)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
विक्रय / सेवाओं से आय	12	364,951	0
अनुदान / आर्थिक सहायता	13	134,422,567	186,624,605
फीस / चंदे	14	5,545,655	5,237,315
निवेशों से आय (उद्दिश्ट / धर्मदाय निधियों से अंतरित निधियाँ)	15	53,034	0
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	790,895	921,295
अर्जित ब्याज	17	1,266,606	478,620
अन्य आय	18	469,236	1,024,324
तैयार मालों और चालू कार्य में लगा स्टाक	19	7,176,808	
योग (क)		**150,089,752**	**194,286,159**
व्यय			
कार्यक्रम व सेवाओं पर व्यय	20	48,418,186	32,085,801
स्थापना व्यय	20क	11,023,944	41,225,951
अन्य कार्यक्रम व्यय	20ख	21,410,560	101,775,993
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	14,131,676	13,988,121
अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
मूल्यह्रास (अनुसूची-8 के समतुल्य वर्षान्त में निवल योग)		5,532,353	9,626,599
योग (ख)		**100,516,719**	**198,702,465**
व्यय के ऊपर आय के आधिक्य का शेष (क-ख)			
विशेष प्रारक्षित विशिष्टता-प्रत्येक को अंतरण			
सामान्य रिजर्व से / को अंतरण			
शेष-अधिशेष-घाटा		**49,573,033**	**-4,416,306**
कार्पस/पूँजी निधि को ले जाया गया			
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	24		
लेखों पर फुटकर देयताएँ और टिप्पणियाँ	25		

ह/-
लेखा अधिकारी

ह/-
उप निदेशक (प्रशा.)

ह/-
निदेशक

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची-1 कार्पस / पूँजी निधि :		चालू वर्ष		गत वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष राशि		340,358,927		308,707,195
जोड़े : कार्पस/पूँजी निधि योगदान		0		36,068,038
		340,358,927		344,775,233
घटाएँ : पूर्वावधि नियोजन		36,068,038		0
		304,290,889		344,775,233
जोड़ें/घटाएँ : निवल आय का शेष / व्यय, आय व व्यय लेखे से अंतरित		49,573,033		-4,416,306
वर्ष के अंत में शेष-राशि		353,863,922		340,358,927

अनुसूची-2 प्रारक्षित व अधिशेष राशियाँ		चालू वर्ष		गत वर्ष
1. पूँजीगत प्रारक्षित				
पिछली लेखा के अनुसार		6,068,038		
वर्ष के दौरान - जोड़		6,784,078		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
2. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित				
गत वर्ष की लेखा के अनुसार				
वर्ष के दौरान जोड़ें				
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
3. विशेष प्रारक्षित				
गत वर्ष के अनुसार				
वर्ष के दौरान जोड़				
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
4. सामान्य प्रारक्षित				
गत वर्ष की लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़				
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		0		0
योग	**शून्य**	**2,852,116**	**शून्य**	**शून्य**

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)
अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची-3-उद्दिश्ट/धर्मदाय निधियाँ	निधिवार विघटन				कुल	
	डब्ल्यू डब्ल्यु निधि	एक्स एक्स निधि	वाई वाई निधि	जेड जेड निधि	चालू वर्ष	गतवर्ष
क) निधियों का अदिशेष	250,000				0	0
ख) निधियों में जोड़					**0**	**0**
i) चन्दें / अनुदान					0	0
ii) निधियों की लेखों पर निवेश से आय					0	0
iii) अन्य जोड़ (प्रकृति बताएँ)	53,034				0	0
(क+ख) योग	**303,034**	**0**	**0**	**0**	**303,034**	**शून्य**
ग <u>निधियों के लक्ष्यों की उपयोगिता / व्यय</u>						
I <u>पूँजीगत व्यय</u>	0					
- नियत आस्तियाँ					0	0
- अन्य					0	0
योग					**0**	**0**
II <u>राजस्व व्यय</u>	0				0	0
- वेतन, मजदूरियाँ और भत्ते आदि					0	0
- भाड़ा					0	0
- अन्य प्रशासनिक व्यय					0	0
योग						
योग (ग)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**शून्य**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)	**303,034**	**0**	**0**	**0**	**303,034**	**शून्य**

<u>टिप्पणियाँ</u>

1. अनुदानों से जुड़े अनुबंधित शर्तों पर आधारित संबद्ध शीर्षकों के अंतर्गत प्रकट किया जाना चाहिए ।

2. केंद्र / राज्य सरकार से प्राप्त निधियों को अलग निधियों की तरह बताएँ न कि किसी अन्य निधियों के साथ मिश्रित करें ।

ह/-
लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)
अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची -4 प्रतिभूति सहित ऋण और उधार राशियाँ	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. केन्द्र सरकार			0	0
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)			0	0
3. वित्तीय संस्थान				
(क) मीयादी ऋण			0	0
(ख) देय राशि पर उपचित ब्याज			0	0
4. बैंक:			0	0
(क) मीयादी ऋण			0	0
- देय और उपचित ब्याज			0	0
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)			0	0
- ब्याज और उपचित देय				
5. अन्य संस्थान और एजेन्सियां			0	0
6. डिबेंचर्स और बंधपत्र			0	0
7. अन्य (स्पष्ट करें)			0	0
योग	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ				

ह/-
लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची -5 प्रतिभूति सहित ऋण और उधार	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)		0
3. वित्तीय संस्थान		0
4. बैंक:		0
(क) मीयादी ऋण		0
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)		0
5. अन्य संस्थान और एजेन्सियां		0
6. डिबेंचर्स और बंधपत्र		0
7. नियत जमा राशियाँ		0
8. अन्य (स्पष्ट करें)		0
योग	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ

अनुसूची 6 - आस्थगित जमा देयताएं	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) पूँजीगत उपकरण और अन्य आस्तियों के गिरवी द्वारा प्राप्त स्वीकार्यताएँ		0
ख) अन्य		**0**
योग	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशियाँ

ह/-
लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)
अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 7- चालू देयताएँ और प्रावधान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू देयताएँ				
1. स्वीकृतियाँ				
2. फुटकर देनदार				
क. मालों के लिए				
ख. अन्य (अनुबंध-1)	3,126,108	3,126,108	3,466,200	3,466,200
3. प्राप्त अग्रिम				
4. ब्याज उपचित परंतु पर देय नहीं				
क. प्रतिभूतित ऋणों/उधारों पर				
ख. अप्रतिभूत ऋण /उधार				
5. सांविधिक देयताएँ				
क. अतिदेय				
ख. अन्य				
6. अन्य चालू देयताएँ				
योग (क)	**3,126,108**	**3,126,108**	**3,466,200**	**3,466,200**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए	0	0	0	0
2. उपदान	0	0	0	0
3. अधिवर्षिता पेंशन	0	0	0	0
4. जमा छुट्टी यात्रा रियायत	0	0	0	0
5. व्यापार गारंटियाँ / दाव	0	0	0	0
`6. अन्य स्पष्ट करें	0	0	0	0
योग (ख)	**0**	**0**	**0**	**0**
योग (क+ख)	**3,126,108**	**3,126,108**	**3,466,200**	**3,466,200**

ह/-
लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)
अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 8 - नियत आस्तियाँ

विवरण	सकल अवरुद्ध						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	से पहले 01-04-99	के बाद 01-04-99	को दिन कुल 31-03-06	जोडी गयी 2006-07	निकाली गयी 2006-07	की स्थिति 31-03-07	%	की स्थिति 31-03-06	वर्ष के लिए 2006-07	05-06 वर्ष के लिए हटाना	कुल	निवल चालू वर्ष अंत का	पिछले वर्ष के अंत का
क. नियत आस्तियाँ													
1. भूमि													
क. मुफ्त में मिली	959,520	2,037,763	2,997,283	0	0	2,997,283		0	0		0	2,997,283	2,997,283
ख.पट्टे पर ली गई	0	28,793,138	28,793,138	427,218	0	29,220,356		577,364	295,155		872,519	28,347,837	28,215,774
उप-योग	**959,520**	**30,830,901**	**31,790,421**	**427,218**	**0**	**32,217,639**		**577,364**	**295,155**		**872,519**	**31,345,120**	**31,213,057**
2. भवन													
क.अपनी भूमि	59,138,694	604,543	59,743,237	0	0	59,743,237	2%	58,426	12,091		70,517	59,672,720	59,684,811
ख.पट्टे की भूमि	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
ग मालिकाना फ्लैट / मकान	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
घ भूमि पर का सुपर- स्ट्रक्चर जो आस्तिवाले का नहीं	0	39,590,000	39,590,000	1,655,657	0	41,245,657	2%	4,319,546	824,914	0	5,144,430	36,101,197	35,270,454
उप-योग	**59,138,694**	**40,194,543**	**99,333,237**	**1,655,657**	**0**	**100,988,894**		**4,377,972**	**837,005**	**0**	**5,214,977**	**95,773,917**	**94,955,265**
3 संयंत, मशीनरी व उपकरण	13,577,523	4,121,849	17,699,372	0	299,360	17,400,012	10%	1,809,312	382,249		2,191,561	15,208,451	15,890,060
4 कार्यालय उपकरण	0	2,652,098	2,652,098	632,001	0	3,284,099	10%	366,187	328.410		694,597	2,589,502	2,285,911
5 विद्युत स्थापनाएँ	0	1,200,247	1,200,247	391,806	0	1,592,053	10%	224,705	159,205		383,910	1,208,143	1,054,277
6 ट्यूबवेल व जलआपूर्ति	0	360,114	360,114	223,130	0	583,244	10%	91,276	58,324		149,600	433,644	268,838
7 कंप्यूटर / पेरिफरल्स	0	5,685,077	5,685,077	567,660	0	6,252,737	20%	3,283,345	1,041,566	0	4,324,911	1,927,826	2,322,997
उप-योग	**13,577,523**	**14,019,385**	**27,596,908**	**1,814,597**	**299,360**	**29,112,145**		**5,774,825**	**1,969,755**	**0**	**7,744,580**	**21,367,565**	**21,822,083**

जारी...

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 8 - नियत आस्तियाँ

विवरण	सकल अवरुद्ध						मूल्यह्रास					निवल ब्लाक	
	से पहले 01-04-99	के बाद 01-04-99	को दिन कुल 31-03-06	जोडी गयी 2006-07	निकाली गयी 2006-07	की स्थिति 31-03-07	%	की स्थिति 31-03-06	वर्ष के लिए 2006-07	05-06 वर्ष के लिए हटाना	कुल	निवल चालू वर्ष के अंत का	पिछले वर्ष के अंत का
क) नियत आस्तियाँ													
8. वाहन	2,229,902	873,164	3,103,066	0	0	3,103,066	15%	2,955,136	107,525		3,062,661	40,405	147,930
9. फर्नीचर व जुडनार	5,790,045	2,728,279	8,518,324	1,081,262	0	9,599,586	10%	777,441	517,569		1,295,010	8,304,576	7,740,883
10. पुस्तकालय पुस्तकें	5,653,965	6,502,891	12,156,856	1,805,344	0	13,962,200	100%	12,156,856	1,805,344		13,962,200	0	0
11. अन्य नियत आस्तियाँ (टी.वी.स्पाट्स)	4,971,084	115,000	5,086,084	0	0	5,086,084	100%	5,086,084	0		5,086,084	0	0
उप-योग	**18,644,996**	**10,219,334**	**28,864,330**	**2,886,606**	**0**	**31,750,936**		**20,975,517**	**2,430,438**		**23,405,955**	**8,344,981**	**7,888,813**
चालू वर्ष का योग	92,320,733	95,264,163	187,584,896	6,784,078	299,360	194,069,614		31,705,678	5,532,353	0	37,238,031	156,831,583	155,879,218
गत वर्ष	92,721,697	89,218,253	181,939,950	6,068,038	423,092	187,584,896		22,079,079	9,721,096	94,497	31,705,678	155,879,218	

उधार आधार पर खरीदी गयी आस्तियों की लागत भी शामिल है - ऊपर के अनुसार टिप्पणी दें ।

क. रा.मा.वि.संस्थान मुख्यालय को ऑध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 1983-84 में टीसीएडी के द्वारा बेची गयी 19.20 एकड़ की भूमि की लागत रु.959520/- को दर्शाती है । इस जमीन के एक भाग को अलीयावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलॉग संस्थान, दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र को मंत्रालय के कहने पर उनके अपने भवनों के निर्माण के लिए, बिना किसी कीमत के दिया गया था ।

ख. रु.2037765/- के अतिरिक्त सिडको मुंबई द्वारा रा.मा.वि.सं., क्षेत्रीय केंद्र, मुंबई को बेची गयी फ्री होल्ड भूमि का भी प्रतिनिधित्व करती है ।

ग. इस पट्टे में रु.2,92,20,356/- में 99 वर्षों के लिए ली गयी 7120.30 वर्गमीटर पैमाने की भूमि का प्रतिनिधित्व करती है । इस पट्टे की भूमि की लागत 99 वर्षों की पट्टे की अवधि के बाद बट्टे खाते डाली जा रही है ।

घ. क्षेत्रीय केंद्र, रा.मा.वि.संस्थान और अली सावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलॉग संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र, के निर्माण एनआईओएच कोलकता द्वारा मुफ्त में दी गयी भूमि पर किये गये ।

च. रु.5,97,43,237/- मूल्य के भवनों में ट्यूब वेलों और जल आपूर्ति प्रणाली की लागतें भी शामिल हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सका था ।

छ. वाहन, पुस्तकालय की पुस्तकें और अन्य आस्तियाँ जिन्हें 01-04-1999 से पूर्व हासिल किया गया था, उनका भी पूरी तरह मूल्यह्रास किया गया है ।

ज. लेखा नीति के अनुसार 01-04-1999 से पहले प्राप्त आस्तियों का मूल्यह्रास किया जाना है । इसी प्रकार 01-04-1999 से पूर्व हासिल की गयी आस्तियों पर भी आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार अर्थात् भारत के सार्वजनिक लेखा परीक्षा के संस्थान, हैदराबाद चैप्टर के अनुसार । इस सुझाव पर आधारित, वाहन, पुस्तकालय की पुस्तकों और अन्य नियत आस्तियों को पूर्व वर्षों में और दल आस्तियों की जितने समय में आयु पूरी हो जाती है, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए । संयंत्र-मशीनरी उपकरण और फर्नीचर तथा जुडनार जिनका मूल्य रु.1,93,67,568/- है का मूल्यह्रास केवल 31-3-2000 के बाद किया जाएगा, क्योंकि उस समय तक इन आस्तियों की आयु समाप्त हो जाएगी ।

झ. यद्यपि यह कहा गया है कि 95.20 लाख रुपयों की सीमा तक के निर्माण कार्य पूरे कर लिये गये हैं परंतु इसके समर्थन में, कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र व निर्माण कार्य को पूँजीगत नहीं किया जा सका।

इसलिए, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिये गये अग्रिम की 208.00 लाख रुपयों की राशि को चालू आस्तियों और ऋणों और अग्रिमों के रुप में अनुसूची में दर्शाया गया है ।

ट. वर्ष 2007-08 के दौरान 1,51,795/- रुपयों की लागत के जुडनारों का बट्टे खाते में डाल दिया है जिसमें उन्हें नीतियों के अनुसार हासिल किया गया था ।

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 9 - उद्देश्ट और धर्मदाय निधियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. डिबैंचर्स व बंध पत्र		
5. सहायक व संयुक्त कंपनियाँ		
6. अन्य (स्पष्ट करें)	250,000	
योग	**250,000**	**शून्य**

अनुसूची 10- निवेश-अन्य	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर्स		
4. डिबैंचर्स व बॉड्स		
5. सहायक व संयुक्त उपक्रम		
6. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	**शून्य**	**शून्य**

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)
अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 11- चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. चालू आस्तियाँ				
1. निवेश				
क. भंडार व अतिरिक्त पुर्जे				
ख. खुले औजार				
ग. व्यापार में लगा स्टाक	7,176,808	7,176,808		
तैयार माल				
चालू कार्य				
कच्ची सामग्रियाँ				
2. फुटकर देनदार				
क. छह महीनों से अधिक समय से रुक पडे बकाये				
ख. अन्य				
3. नकदी शेष (चेकों/ड्राफ्टों/फुटकर सहित)	5,500	5,500	8,605	8,605
4. बैंक में शेष राशियाँ (अनुबंध-2)	65,229,777	65,229,777	47,322,251	47,322,251
क. अनुसूचित बैंकों में				
- चालू खाते में				
- जमा खाते में (मार्जिन धन सहित)				
- बचत खातों में				
ख. गैर अनुसूचित बैंकों				
- चालू खाते में				
- जमा खातों में (मार्जिन धन सहित)				
- बचत खातों में				
5. डाकघर-बचत खातों में	0	0	344,967	344,967
योग (क)	**72,412,085**	**72,412,085**	**47,685,823**	**47,675,823**

* पुस्तकालय की पुस्तकों और औषधियों के अंतिम स्टाक को 31-3-2007 को चालू आस्तियों की मालसूचियों में दर्शाया गया है ।

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)
अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 11- चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियाँ				
1. ऋण				
क. स्टाफ (अनुबंध-3)	8,316,316	8,316,316	8,894,345	8,894,345
ख. अन्य लोगों को अस्तित्व के समान कियाकलापों/लक्ष्यों में लगाये गये				
ग. अन्य (स्पष्ट करें)				
2. नकदी या माल या मूल्य रूप में प्राप्त होनेवाले, वसूली योग्य अन्य राशियाँ और अग्रिम				
क. पूँजी खाते पर				
ख. पूर्व-अदायगियाँ				
ग. अन्य (अनुबंध-3)	132,335,196	132,335,196	6,975,741	6,975,741
3. उपचित आय				
क. उद्दिश्ट और धर्मदाय निधियों से निवेश पर				
ख. निवेश पर -अन्य				
ग. ऋणों और अग्रिमों पर				
घ. अन्य	0	0	9,900,000	9,900,000
(देय/ वसूल न हुई आय शामिल है)				
4. प्राप्य दावे				
योग (ख)	140,651,512	140,651,512	25,770,086	25,770,086
योग (क+ख)	213,063,597	213,063,597	73,445,909	73,445,909

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2007 को स्थित तुलन पत्र के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 12- विक्रय / सेवाओं से आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. विक्रय से आय		
क. तैयार मालों का विक्रय		
ख. कच्चे मालों का विक्रय		
ग. रद्दी माल का विक्रय		
2. सेवाओं से आय		
क. मजदूरी व प्रक्रिया प्रभार		
ख. व्यावसायिक / परामर्शी सेवा		
ग. एजेंसी कमीशन व बट्टा		
घ. अनुरक्षण सेवाएँ उपकरण / आस्ति		
च. अन्य (स्पष्ट करें)	364,951	
योग	**364,951**	**शून्य**

अनुसूची 13- अनुदान / परिदान		चालू वर्ष	गत वर्ष
(अटल अनुदान व प्राप्त परिदान)			
1. केंद्र सरकार	(अनुबंध-7)	108,115,922	136,900,000
2. राज्य सरकार (ईं-)			
3. सरकारी अभिकरण			
4. संस्थान / कल्याण निकाय			
5. अंतर-राष्ट्रीय संगठन			
6. अन्य स्पष्ट करें	(अनुबंध-7)	35,200,999	49,724,605
पूर्वावधि समायोजन-एडीआईपी योजना के अंत-शेष में अंतर		71,684	
7. पूर्वावधि समायोजन 2005-06 के दौरान पूँजीगत मदों के लिए उपयोग किये गये अनुदान		-6,068,038	
कम : पूर्वावधि समायोजन/सीआरसी भोपाल ग्रैंट		-2,898,000	
योग		134,422,567	186,624,605

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

दिनांक: 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 14 - चंदे / शुल्क	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. सम्बद्ध फीस	90,250	829,500
2. कोर्स फीस डिग्री, डिप्लोमा, पीजी एवं सर्टिफिकेट कोर्स	5,455,405	4,407,815
3. एन्ट्रेंस फीस		
4. वार्षिक फीस / चंदे		
5. गोष्ठी / कार्यक्रम फीस		
6. परामर्शी फीस		
7. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	5,545,655	5,237,315

टिप्पणी : हर मद के संबंध में लेखा नीतियाँ प्रकट करें ।

अनुसूची 15- निवेशों से आय	से निवेश उद्देश्ट निधि		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
(उद्देश्ट/धर्मदाय निधियों का निधियों को अंतरण करने पर आय)				
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	53,034			
ख. अन्य बॉंड / डिबेंचर्स				
2. लाभांश				
क. शेयरों पर				
ख. म्युच्वल फंड प्रतिभूतियों पर3. किराये4. अन्य (स्पष्ट करें)				
योग	53,034	शून्य	शून्य	शून्य

उद्देश्ट / धर्मदाय निधियों को अंतरित

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

दिनांक: 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 16- प्रकाशनों आदि से आय, रायल्टी	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रायल्टी से आय	74,295	17,810
2. प्रकाशनों से आय	716,600	903,485
3. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	790,895	921,295

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. मीयादी जमा राशियों पर	467,657	
क. अनुसूचित बैंकों के पास		
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
ग. संस्थानों के पास		
घ. अन्य		
2. बचत खातों पर	772,915	478,620
क. अनुसूचित बैंकों के पास		
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
ग. संस्थाओं के पास		
घ. अन्य	26,034	
3. ऋणों पर		
क. कर्मचारी / स्टाफ		
ख. अन्य		
4. कर्जदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		
योग	**1,266,606**	**478,620**

टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती सूचित की जाए

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

दिनांक: 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 18- अन्य आय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय / निपटान पर लाभ		
क. स्वयं की आस्तियों		
ख. अनुदानों या मुफ्त में मिली आस्तियाँ		
2. विगत प्रोत्साहन प्राप्त		
3. विविध सेवाओं के लिए फीस	0	756,313
4. धन वापसियाँ	0	25,224
5. विविध आय	469,236	242,787
योग	469,236	1,024,324

अनुसूची 19- तैयार मालों और चालू कार्य में वृद्धि/स्टाक में मूल्यह्रास	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. अंतिम स्टाक		
- तैयार माल	7,176,808	
- चालू कार्य		
ख. घटाएँ : आदि स्टाक		
- तैयार माल	0	
- चालू कार्य		
वर्धन / ह्रास के निवल (क-ख)	**7,176,808**	**शून्य**

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

दिनांक: 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 20- कार्यक्रम और सेवाओं पर व्यय		चालू वर्ष	गत वर्ष
मानव विकास संसाधन	(अनुबंध-7)	14,466,779	15,144,142
अनुसंधान और विकास		6,965,021	2,374,567
सेवा प्रतिमानों मॉडलों का विकास		4,463,675	3,504,752
परामर्शी सेवाएँ		875,050	864,199
दस्तावेजीकरण और प्रचार-प्रसार		15,100,958	2,753,932
विस्तारण और सीमा के ऊपर पहुँच		6,348,630	7,374,986
स्टाफ कल्याण व्यय		94,171	69,223
हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम		103,902	0
योग		**48,418,186**	**32,085,801**

अनुसूची 20 क. स्थापना व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. वेतन व मजदूरियाँ	22,538,296	20,822,695
ख. भत्ते व लाभांश	2,856,590	1,388,468
ग. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ	2,771,779	0
जोडे : पूर्वावधि समायोजन	1,872,067	
घ. अन्य (स्पष्ट करें) पीएंडजी खाते को	0	19,014,788
च. घटाएँ: पूर्वावधि समायोजन, पीएंडजी खाते को राशि का अंतरण	-19,014,788	
योग	**11,023,944**	**41,225,951**

अनुसूची 20 ख- अन्य कार्यक्रमों पर व्यय		चालू वर्ष	गत वर्ष
क. उत्तर पूर्वी राज्य		11,642,194	3,194,645
ख. एडीआईपी योजना	(अनुबंध-8)	14,197,928	32,714,324
ग. पायलट परियोजना		17,259,915	36,007,547
घ. सीआरसी भोपाल		0	8,170,000
च. अन्य व्यय		0	689,477
ज. एडीआईपी खाते को अंतरण		0	21,000,000
झ. घटाएँ : पूर्वावधि समायोजन - राशियों का एडीआईपी खाते को अंतरण/ अन्य व्यय		-21,689,477	
योग		**21,410,560**	**101,775,993**

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)

अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

दिनांक: 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 21 अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. समर्थन सेवाओं पर व्यय	4,909,672	4,665,589
2. बिजली व ऊर्जा	1,729,666	1,497,292
3. बीमा	51,031	103,810
4. मरम्मतें और अनुरक्षण	2,565,792	2,860,329
5. चालू वाहन और रखरखाव	1,144,827	977,356
6. डाक, टेलिफोन, संचार प्रभार	1,260,087	1,333,298
7. मुद्रण व लेखन सामग्री	835,432	1,090,804
8. यात्रा और सवारी व्यय	504,481	565,268
9. लेखा परीक्षकगणों का पारिश्रमिक	181,190	55,560
10. आंतरिक लेखा परीक्षक-परामर्शी व्यय	210,000	150,000
11. आस्तियों के विक्रय पर हानि	134,680	0
12. विज्ञापन एवं प्रचार	275,610	227,804
13. धन वापसियाँ	0	0
14. विविध व्यय	329,208	461,011
योग	**14,131,676**	**13,988,121**

ह/-

लेखा अधिकारी

वित्तीय विवरणी का प्रारूप (गैर-लाभ निरपेक्ष संगठन)
अस्तित्व का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
दिनांक: 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय के अंग के रूप में अनुसूचियाँ

(रु.....में राशि)

अनुसूची 22 - अनुदानों, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. संस्थाओं / संगठनों को दिये गये अनुदान ख. संस्थाओं / संगठनों को दी गयी आर्थिक सहायता		
योग	**शून्य**	**शून्य**

टिप्पणी : हस्तियों के नाम, उनके कार्यकलापों सहित अनुदानों / आर्थिक सहायता को प्रकट करना है ।

(रु.....में राशि)

अनुसूची 23 ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. नियत ऋणों पर ख. अन्य ऋणों पर बैंक प्रभारों सहित ग. अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	**शून्य**	**शून्य**

ह/-

लेखा अधिकारी

अनुसूची 24

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

लेखा नीतियाँ

लेखा-बहियों के उचित रखरखाव के लिए निम्न के संबंध में संस्थान द्वारा लेखा वर्ष 1999-2000 और आगे से अपनायी जानेवाली लेखा नीतियाँ :

(क) वे तमाम प्राप्त व खर्च की गयी राशियाँ और उन मामलों के संबंध में जो प्राप्तियाँ और व्यय हुए हैं ;
(ख) राजस्व/प्राप्त आय/ वसूली योग्य और अदा की गयी / अदा की जानेवाली तमाम राशियाँ ;
(ग) मालों के तमाम विक्रय और खरीदारियाँ ; और
(घ) संस्थान के मामलों के सच्चे और स्पष्ट परिदृश्य को देने के लिए समस्त आस्तियाँ और देयताएँ ।

1. संस्थान की लेखा बहियों को उनके आवश्यक पक्षों को सहवर्धन के आधार पर निम्न के लिये रखे जाएँगे (क) राजस्व को मान्यता मिली है क्योंकि चाहे नकद राशि प्राप्त हुई या न हुई हो इसे अर्जित किया हुआ है माना जाता है (ख) ऐसे राजस्वों के विरुद्ध व्ययों की तुलना की जाती है ।
2. चूँकि लेखा-बहियों को सहवर्धन आधार पर रखा जाता है, अंतिम तिथि 15, अप्रैल मानी जाएगी ।
3. संस्थान की बहियों को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अनुसार रखा जाता है ।
4. उचित पहचान और रखरखाव के लिए लेखा शीर्षों का कोडीकरण किया जाना चाहिए ।
5. संस्थान के लेखा विवरणों को निम्न प्रारूप में तैयार किया जाए :
   (i) वर्ष.....के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा
   (ii) वर्ष ..... के लिए आय और व्यय का लेखा
   (iii) 31 मार्च,..... को तुलन-पत्र की स्थिति

स्पष्टीकरण :

i) प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा
   (क) समस्त वास्तविक प्राप्तियाँ लेखागत किये गये हैं :
   (ख) समस्त वास्तविक भुगतान लेखागत किये गये हैं

ii) आय तथा व्यय लेखा :
वास्तविक प्राप्तियों और भुगतानों के प्रत्येक मद को हिसाब में लेने के अलावा उपचित आय और बकाया पड़ी देयताओं के उचित प्रस्तुतीकरण के लिए प्रत्येक लेखाशीर्ष में उन्हें और आय तथा व्यय की समग्र स्थिति जानना है ।

ह/-
लेखा अधिकारी

iii) 31 मार्च की तुलन पत्र

देयताएँ		**आस्तियाँ**	
1.	पूँजी	1.	मूल्यह्रास घटाकर नियत आस्तियाँ
2.	प्रारक्षित निधियाँ	2.	निवेश राशियाँ
3.	प्रतिभूति सहित ऋण	3.	चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम
4.	प्रतिभूति रहित ऋण	4.	विविध व्यय बट्टे खाते न डालने की सीमा तक
5.	चालू देयताएँ	5.	आय व व्यय लेखा

टिप्पणी : लेखों के अंग रूप अनुसूचियों को आवश्यकतानुसार तैयार करके लेखों को संलग्न किया जाए ।

6. मूल्यह्रास :

अब तक भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त सहायता-अनुदान द्वारा प्राप्त की गयी आस्तियों पर किसी प्रकार का मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया था । फिर भी, लेखा-परीक्षा के कहने पर सभी आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान करना पड़ा। यदि वर्ष 1984-85 से ही मूल्यह्रास प्रदान किया जाता तो ऐसा मूल्यह्रास संस्थान की पूँजी-निधि को ही निगल जाता । अत:, मूल्यह्रास प्रकट करने के लिए नीति निर्धारित करने के मामले को यह प्राधिकृत करता है। तदनुसार, मूल्यह्रास प्रदान करने में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा :

i) दिनांक: 01-04-1999 के दिन या उसके बाद से हासिल की गयी आस्तियों पर वार्षिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान करना ।

ii) आयकर अधिनियम, 1961 में सूचित क्रम.सं.32 के अनुसार बेल पद्धति में लिखे गये के बदले में सीधी रेखा पद्धति की प्रणाली को अपनाना ।

iii) प्रत्येक आस्ति की आयु और मूल्यह्रास के दर सीधी रेखा पद्धति के अंतर्गत नीचे सूचित हैं :

(क)	भूमि	:	कोई मूल्यह्रास नहीं
(ख)	शेड्स आदि तात्कालिक भवनों के लिए	:	कोई आयु नहीं - विल पार्टीशनों के लिए 10% मूल्यह्रास प्रदान करना ।
(ग)	स्थायी भवन जैसे कार्यालय आवासीय क्वार्टर्स	:	जीवन के 50वर्ष, 2% मूल्यह्रास
(घ)	संयंत्र व मशीनरी व उपकरण	:	
	1) ए.सी.संयंत्र	:	10 वर्ष - 10%
	2) मशीनरी	:	10 वर्ष - 10%
	3) कार्यालय उपकरण आडियो-वीडियो सहित	:	10 वर्ष - 10%
	4) कम्प्यूटर्स	:	5 वर्ष - 20%
च	फर्नीचर, जुड़नार व फिटिंग्स		
	1) फर्नीचर	:	10 वर्ष - 10%
	2) जुड़नार व फिटिंग्स	:	कोई जीवन नहीं - 100%
छ	परिवहन वाहन	:	06 वर्ष - 15%
ज	पुस्तकालय पुस्तकें व पत्रिकाएँ	:	कोई जीवन नहीं - 100%
झ	टी.वी., खेलकूद के सामान	:	कोई जीवन नहीं - 100%

ह/-

लेखा अधिकारी

स्पष्टीकरण :

1.**क. भवन**

i) नये भवनों के निर्माण, मौजूदा भवनों में अतिरिक्त निर्माणों और किये गये परिवर्तनों को आस्ति मानकर आस्तियों के मूल्य में जोड़ा जाएगा ।

ii) मौजूदा भवनों में अतिरिक्त निर्माणों और परिवर्तनों पर 5000/- रुपयों से कम किये गये खर्च को राजस्व व्यय माना जाएगा और व्यय के वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला जाएगा ।

iii) मरम्मतों और अनुरक्षण पर किया गया कोई भी खर्च राजस्व व्यय मानकर व्यय के वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला जाएगा। उदाहरण: चूना डालना, रंग-रोगन करना, पुराने सामानों के स्थान पर नया लगाना, मरम्मत आदि ।

ख. <u>संयंत्र व मशीनरी तथा उपकरण</u>

i) संयंत्र मशीनरी तथा उपकरण पर 2500/- रुपयों तक और उससे ऊपर के व्यय को पूँजी व्यय माना जाएगा और वर्ष के दौरान उसे आस्ति की तरह व्यवहृत किया जाएगा 2500/- रुपयों से कम खर्च हुई राशि को राजस्व व्यय की तरह व्यवहृत किया जाएगा और व्यय के वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला जाएगा ।

ii) मरम्मतों, अदला-बदली और रखरखाव को राजस्व व्यय की तरह व्यवहृत किया जाएगा तथा व्यय के वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला जाएगा ।

ग. <u>फर्नीचर (फिक्सर्चर) और फिटिंग्स</u>

i) फर्नीचर पर हुई किसी भी राशि के खर्च को पूँजीगत किया जाएगा और आस्ति के साथ जोडा जाएगा बशर्ते कि वह खर्च 1000/- रुपये या अधिक हो ।

ii) मरम्मतों की लागत को राजस्व व्यय की तरह व्यवहृत किया जाएगा और उसे वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला जाएगा ।

iii) फिक्स्चर्स पर हुआ किसी भी राशि का खर्च राजस्व व्यय की तरह व्यवहृत किया जाएगा और उसे वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला जाएगा ।

घ. <u>परिवहन वाहन</u>

परिवहन वाहनों की बडी मरम्मत सहित मजदूरी पर हुए व्यय की किसी भी राशि को आस्ति में जोडा जाएगा, बशर्ते कि ऐसा व्यय 20,000/- रुपये या उससे ऊपर हो और इसे आस्ति की तरह व्यवहृत किया जाएगा ।

IV वर्ष में किसी भी तिथि को हासिल की गयी आस्ति के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष भर प्रदान किया जाएगा ।

ह/-

लेखा अधिकारी

अनुसूची 25

वार्षिक लेखों की अंग बनीं टिप्पणियाँ

1. 2002-03 से पूर्व के वार्षिक लेखों को (i) प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा (ii) आय तथा व्यय लेखा (iii) तुलन पत्र- के प्रारूपों में संकलित किया गया था । वर्ष 2003-04 से और तत्पश्चात् लेखों का संकलन केंद्रीय स्वायत्त निकायों (लाभ-रहित संगठनों और उसी प्रकार की संस्थाओं) के लिए निम्नानुसार 23-02-2005 को आयोजित कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक में अनुमोदित किये गये निर्धारित प्रपत्र के अनुसार है:

(क) 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र ।
(ख) वर्ष 2006-07 के लिए आय तथा व्यय लेखा ।
(ग) प्रारूप के अनुसार लेखों का अंग बनीं अनुसूचियाँ 1-25
(घ) वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान ।

2. नियत आस्तियाँ - दिनांक: 01-04-1999 को दर्शायी गयी आस्तियों का लेखा नीतियों के अनुसार मूल्यह्रास कर दिया गया है। फिर भी, 01-04-1999 से पूर्व प्राप्त की गयी आस्तियाँ जैसे :- परिवहन वाहन, पुस्तकालय पुस्तकें और अन्य नियत आस्तियों का पूरी तरह मूल्यह्रास उस सीमा तक किया जाए जो संस्थान की स्थिति-गति का सच्चा और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं । आनेवाले वर्षों में अन्य आस्तियों के लिए भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी ।

3. लेखों को सहवर्धन के आधार पर तैयार किया गया है ।

4. लेखा नीतियों के अनुसार 01-04-1999 के दिन या बाद में हासिल की गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जा रहा है । यही सिद्धांत अब तक पूरी तरह से मूल्यह्रास की गयी आस्तियों पर लागू था जो 01-04-1999 से पूर्व हासिल की गयी थीं ।

5. लेखा नीतियाँ तैयार की गयी हैं और उनका अनुपालन किया जा रहा है ।

6. डाक-तार विभाग के पास जमा 96,090/- रुपयों का बट्टे खाते डालने का विश्लेषण किया जाना है ।

7. नियत आस्तियों का मूल्यह्रास के बाद मूल्य 15,68,31,583/- रुपये था ।

8. कुल 33,68,43,340/- रुपयों की प्राप्तियों (जिसमें आदि शेष, सहायता-अनुदान, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य संगठनों, ऋणों और अग्रिम राशियों और आंतरिक प्राप्तियों से प्राप्त राशियाँ) में से विभिन्न क्रियाकलापों पर खर्च किये गये 27,16,08,063/- रुपयों के बाद 6,52,35,277/- रुपये शेष हैं ।

9. वर्ष 2006-07 के लिए आस्तियों और भंडारों की भौतिक जाँच जारी है ।

10. मंत्रालय द्वारा 2006-07 वर्ष के लिए निर्मुक्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और किसी भी प्रकार के उपयोगिता प्रमाण पत्र रुके पडे नहीं हैं ।

11. आवश्यकतानुसार आँकडों का पुर्नवर्गीकरण किया गया है ।

12. सामान्य भविष्य निधि और योगदान भविष्य निधि का 31-03-2007 को अंत शेष 1,97,07,575/- रुपये है । फिर भी, इन्हें मुख्य लेखों के साथ नहीं मिलाया गया ।

13. लेखा परीक्षा (प्रधान महालेखाकार-सिविल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद) द्वारा वर्ष 2005-06 पर जारी की गयी टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया और वर्ष 2006-07 के लिए लेखों में जहाँ कहीं आवश्यक हो उत्तर दिया गया ।

ह/-
लेखा अधिकारी

अनुबंध-1
(अनुसूची-7)

क. वर्ष 2006-07 के लिए फुटकर लेनदार

क्रम सं.	विवरण	01-04-06 को आदि शेष की स्थिति	वर्ष के दौरान जोडे गये	योग	वर्ष के दौरान भुगतान	अंत शेष 31-03-2007 की स्थिति
1	मनोरंजन कक्ष	32,035	0	32,035	0	32,035
2	ईएमडी	592,850	50,000	642,850	365,000	277,850
3	लेखा परीक्षकों का परिश्रमिक	0	90,595	90,595	0	90,595
4	आंतरिक लेखा परीक्षा-परामर्शी प्रभार	0	75,000	75,000	0	75,000
5	प्रतिभूति जमा	288,911	536,021	824,932	303,459	521,473
6	जीएसएलआईसी	28,650	233,880	262,530	224,660	37,870
7	एनपीसी - अ.या.जे.रा.श्र.वि.सं.	220,500	0	220,500	0	220,500
8	संरक्षा सेवाएँ	113,924	131,380	245,304	113,924	131,380
9	साफ सफाई	85,417	87,436	172,853	85,417	87,438
10	बाग बानी और प्लेबिंग	84,083	82,311	166,394	84,083	82,311
11	मरम्मत व रखरखाव	1,776,630	471,380	2,248,010	1,061,052	1,186,958
12	जमानत जमा	230,700	310,100	540,800	169,700	371,100
13	अन्य (डीवीटीई-एमआर-भूटान विद्यार्थी)	12,500	0	12,500	12,5000	0
14	एनआईईपीएमडी - कोर्स फीस/ त्यौहार अग्रिम	0	11,600	11,600	0	11,600
	योग	3,466,200	2,079,703	5,545,903	2,419,795	3,126,108

आकस्मिक देयता : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 62,05,583/- रुपयों के बजाय 30,05,583/- का भुगतान किया गया । शेष 32,00,000/- रुपयों को आकस्मिक देयता की तरह बताया गया, क्योंकि भुगतान अनिश्चित है । इसलिए, कोई प्रावधान नहीं किया गया।

ह/-
लेखा अधिकारी

अनुबंध-2
(अनुसूची-11क)

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31-03-2007 को स्थित नकद, बैंक और डाकघर में जमा अंतशेष

क्रम सं.		हाथ में नकदी	लेखा सं.16 व 25 में बैंक में जमा नकद	डाकघर खाता सं.128413	डाकघर खाता सं.760258	पीएंडजी/ लेखा सं.15546	एडीआईपी योजना सं.21404	योग
1	रा.मा.वि.सं,सिकंदराबाद	-	30,398,043	-	-	16,776,806	9,325,696	58,500,545
2	एमएसएमडीसी, नई दिल्ली	2,500	2,311,359	-	-	-	-	2,313,859
3	रा.मा.वि.सं.,क्षे.के.,नई दिल्ली	-	2,703,985	-	-	-	-	2,703,985
4	रा.मा.वि.सं.,क्षे.के., मुंबई	2,000	627,782	-	-	-	-	629,782
5	रा.मा.वि.सं.,क्षे.के.,कोलकता	1,000	3,086,106	-	-	-	-	3,087,106
	योग	**5,500**	**39,127,275**	**-**	**-**	**16,776,806**	**9,325,696**	**65,235,277**

ह/-
लेखा अधिकारी

ऋण और शेष राशियाँ

क्रमसं.	विवरण	01-04-2006 को अदिशेष	वर्ष 2006-07 के दौरान ऋण / भुगतान	योग	2006-07 के दौरान वसुल गये ऋण	31-03-2007 को निवल शेष
1	**कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम**					
1.1	गृह निर्माण अग्रिम	7,442,316	0	7,442,316	762,127	6,680,189
1.2	सवारी अग्रिम	1,263,952	252,700	1,516,652	448,146	1,068,506
1.3	कंप्यूटर अग्रिम	34,602	542,000	576,602	168,906	407,696
1.4	त्यौहार व पंखा अग्रिम	153,475	67,500	220,975	61,050	159,925
	योग	8,894,345	862,200	9,756,545	1,440,229	8,316,316
2	**नकद या वस्तु रुप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ**					
2.1	कार्यक्रमों के लिए स्टाफ को दिये गये अग्रिम	1,211,975	54,766	1,266,741	1,202,175	64,566 (अनु.4)
2.2	डीडीआरसी यॉं	5,264,814	200,000	5,464,814	2,971,611	2,493,203 (अनु.5)
2.3	के.लो.नि.वि. के पास अग्रिम	114,300,000	13,000,000	127,300,000	0	127,300,000(अनु.6)
2.4	उद्देश्ट निधि	0	8350	8,350	0	8,350
2.5	अया.जं.राश्रवि संस्थान-कोलकता भवन	0	1502792	1,502,792	0	1,502,792
2.6	एनआईआरटीएआर	402,862	0	402,862	402,862	0
2.7	आरसीआई बैठक व्यय	0	111,661	111,661	0	111,661
2.8	अग्रिम / वसूलियॉं	0	689,477	689,477	0	689,477
	योग	121,179,651	15,567,046	136,746,697	4,576,648	132,170,049
3	**पूर्व प्रदत्त व्यय**					
3.1	डाकतार विभाग के पास जमा राशियॉं	96,090	0	96,090	0	96,090
3.2	बीमा	0	54,612	54,612	0	54,612
3.3	मरम्मत व रखरखाव - एएमसी	0	14445	14,445	0	14,445
	योग	96,090	69,057	165,147	0	165,147
	सकल योग	**130,170,086**	**16,498,303**	**146,668,389**	**6,016,877**	**140,651,512**

ह/-

लेखा अधिकारी

अनुबंध-4
अनुसूची 11-ख

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

2006-07 के दौरान कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के सदस्यों को दिये गये अग्रिम

आदिशेष		1,211,975	
घटाएँ : समायोजित		1,202,175	
शेष		9,800	
जोडें : 2006-07 के दौरान अग्रिम			
क. क्षे.के., कोलकता	10466		
ख. मुख्या.-एचआरडी/एलटीसी	41000		
ग. क्षे.के. मुंबई-टीए/डीए	3300	54,766	
योग		64.566	
नाम	राशि	व्यय	नकद
श्री / सर्वश्री /			
गणेश शेरेगर	19,900	14528	5,372
वी.एस. रामचंद्रन	9,800	0	9,800
टी. पिच्चैय्या	29,000	0	29,000
टी. पिच्चैय्या	40,000	0	40,000
पी. महावीर सिंह	3,500	2600	900
जी.श्री कृष्णा	4,500	4500	0
जी.श्री कृष्णा	3,000	3000	0
जी.श्री कृष्णा	40,575	39448	1,127
जी.श्री कृष्णा	400,000	47741	352,259
सम्पत सिंह	4,200	4200	0
डा. सरोज आर्य	70,000	70000	0
डा. सरोज आर्य	400,000	372986	27,014
जी. महेंदर रेड्डी	12,000	11870	130
टी.सी.शिव कुमार	22,000	20155	1,845
ए.मुरली कृष्णा	15,700	15700	0
टी. चक्रवर्ती	9,500	9500	0
ए. वेंकटेश्वर राव	3,300	3300	0
जेड. लक्षमण मूर्ति	3,300	3300	0
जी.वी. रेड्डी	116,500	114437	2,063
यू. विनोद कुमार	5,200	5200	0
योग	**1,211,975**	**742,465**	**469,510**
एचआरडी/एलटीसी		22,755	
खेलकूद		43,948	
उत्तरपूर्व के कार्यक्रम		490, 727	
टीए/डीए		30,628	
एसडब्ल्युए/एसएएल/एलटीसी		139,537	
वीआरएम		11,870	
स्टाफ प्रशिक्षण		3,000	
योग		**742, 465**	

ह/-
लेखा अधिकारी

अनुबंध - 5
अनुसूची 11-ख

डीडीआरसी यों के पास अग्रिमों के ब्यौरे

		01-04-2006 को शेष राशि	2006-07 के दौरान निर्मुक्त राशि	2006-07 के दौरान व्यय की राशि	31-03-2007 को स्थित शेष राशि
1.	रा.मा.वि.सं. मुख्यालय	0	0	0	0
3.	गुलबर्गा	31906	0	31,906	0
4.	मदुरै	0	0	0	0
5.	कोजीकोड	5266	0	5,266	0
6.	थ्रिस्सूर	0	0	0	0
7.	तिरुवनंतपुरम	63967	0	63,967	0
8.	तूतुकुडी	0	0	0	0
9.	उज्जैन	0	0	0	0
10.	वर्धा	0	0	0	0
11.	माण्ड्या	211827	200,000	411,827	0
12.	करीमनगर	648265	0	278,467	369798
13.	देवास	619263	0	582,297	36966
14.	सतना	929972	0	927,934	2038
15.	दामो	624755	0	281,446	343309
16.	बस्तर	1105437	0	177,463	927974
17.	जशपूर	1024156	0	211,038	813118
18.	इन्दौर	0	0	0	0
	योग	**5,264,814**	**200,000**	**2,971,611**	**2,493,203**

ह/-
लेखा अधिकारी

NIMH

अनुबंध-6

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

के.लो.नि.वि. के पास अग्रिम / जमा राशियाँ

क्रम सं.	जमा की तिथि	जमा राशि रु.	उद्देश्य	अभ्युक्तियाँ
क	**के.लो.नि.वि. मुंबई**			
	27-02-2004	3,500,000	रा.मा.वि.सं, क्षे.के.,के भवन निर्माण के लिए	अभी काम शुरु होना है
	योग	**3,500,000**		
ख.	**के.लो.नि.वि., हैदराबाद**			
	12-07-2000	500,000	मुख्यालय में अतिरिक्तभवनों के निर्माण के लिए	काम चालू है
	20-10-2000	500,000		
	24-09-2001	50,000		
	27-09-2001	450,000		
	28-02-2001	200,000		
	22-03-2002	500,000		
	10-06-2002	300,000		
	12-09-2002	300,000		
	04-02-2003	1,000,000		
	01-08-2003	2,000,000		
	27-02-2004	15,000,000		
	योग	**20,800,000**		
ग	**सीपीडब्ल्यूडी, नोएडा**			
	24-12-2004	30,000,000	रा.मा.वि.सं., एमएसईसा और रा.मा.वि.सं. के भवनों के निर्माण के लिए	काम अभी शुरु होना है
	28-02-2005	20,000,000		
	31-03-2005	10,000,000		
	24-01-2006	30,000,000		
	28-12-2006	13,000,000		
	योग	**103,000,000**		
	सकल योग	**127,300,000**		

ह/-

लेखा अधिकारी

अनुबंध-7

अनुदान / आर्थिक सहायता

1	**केन्द्र सरकार**	**योजना**	**गैर-योजना**
	1. 3-1/2006-एनआई-I, दि:24-05-2006		9,400,000
	2. 3-1/2006-एनआई-I, दि:20-06-2006	30,000,000	
	3. 3-1/2006-एनआई-I, दि:08-08-2006		10,000,000
	4. 3-1/2006-एनआई-I, दि:30-11-2006	53,000,000	
	5. 3-18/2006-एनआई-I, दि:13-12-2006	4,200,000	
	6. 3-1/2006-एनआई-I, दि:13-03-2006		8,300,000
	योग	87,200,000	27,700,000
	योग		114,900,000
	घटाएँ: पूँजीगत मदों के लिए उपयोग किये गये अनुदान		6,784,078
	योग		**108,115,922**
	7. अन्य (स्पष्ट करें)		
	1. पायलेट परियोजना के अंतर्गत जागरूकता के सृजन के लिए विकास सामग्री के लिए अनुदान		16,487,270
	2. एमएसजे एंड नई दिल्ली से एडीआईपी योजना के अंतर्गत अनुदान		15,000,000
	3. आई टी पर इंडो-यूएस कार्यशाला के लिए अनुदान		1,053,729
	4. सीआरसी, भोपाल		2,660,000
	योग		**35,200,999**

ह/-

लेखा अधिकारी

अनुबंध - 8

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
एडिप योजना
1.4.2006 से 31.3.2007 तक खर्च

क.	डी.डी.आर.सी. केन्द्र का नाम	ओ.एच.	वी.एच.	एच.एच.	एम. एच.	शिविर खर्च व प्रशासनिक खर्च	शिविर	कुल
1.	मदुरइ	3,342,637	3,355	1,189,925	-	-	-	4,535,917
2.	करीमनगर	2,348,,575	1,655	957,445	-	-	200,000	3,507,675
3.	मान्ड्या	456,247	-	107,550	-	-	100,000	663,797
4.	सतना	-	-	-	-	-	-	-
5.	जशपुर	330,971	-	-	-	-	-	330.971
6.	बस्तर	-	-	-	-	-	-	-
7.	दामो	115,400	-	-	-	-	-	115,400
8.	दिवास	225,760	-	-	-	-	-	225,760
9.	सी.आर.सी. भोपाल	-	-	-	-	-	3,100,000	3,100,000
10.	एन.आई.ई.एम.पी.डी. चेन्नई	139,784	-	102,500	-	-	-	242,284
11.	अढमान निकोबार	281,479	-	227,085	-	-	-	508,564
12.	निजामबाद	492,702	-	-	-	-	-	492,702
13.	कड़पा	425,906	-	-	-	-	-	425,906
14.	अलपुझा	269,017	-	-	-	-	-	269,017
15.	मुख्यालय	2,875	-	-	-	89,736	-	92,611
	कुल	8,431,353	5,010	2,584,505	-	89,736	3,400,000	14,510,604

विश्लेषण

अदिशेष 01.04.2006	रु.	8,523,624
डी.डी.आर.सी. से अंतरण	रु.	312,676
एडिप सहायता अनुदान 06-07	रु.	15,000,000
		23,836,300
2006-07 के लिए खर्च	रु.	14,510,604
2007-08 को अंतरित शेष राशी	रु.	9,325,696

ह/-

लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

रसीद तथा भुगतान खाता वर्ष 2006-07

	रसीद	2005-06	2006-07		भुगतान	2005-06	2006-07
को				से			
	आदिशेष	रु.	रु.			रु.	रु.
	क) हाथ रोकड़	6,700	8,605		मानव संसाधन विकास	15,169,642	14,493,374
	ख) बैंक रोकड़	6,192,706	26,477,994		अनुसंधान एवं विकास	1,874,567	6,965,021
	ग) डाक घर रोकड़	344,967	26,477,994		सेवा नमूनों का विकास	3,549,827	4,419,727
	घ) पेन्शन तथा ग्रैचुइटी निधि खाता	26,488	19,079,824		परामर्शी सेवाएँ	864,199	875,050
	पूर्वावधि के लिए ब्याज	0	1,104		प्रलेखन तथा प्रचार	4,610,499	16,906,302
	च) एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	13,166,264	8,451,940		विस्तार तथा अउटरीच सेवाएँ	8,926,905	3,577,019
	एडिप चेक रद्द	0	71,684		उत्तर पूर्वी सेवाएँ	4,064,645	11,151,467
	सहायता अनुदान	158,200,000	124,800,000		भूमी	427,218	427,218
	एन.आई.एम.एच.एडिप योजना	28,000,000	15,000,000		भवन	64,090	152,866
	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान	38,632,500	16,437,270		सी.पी.डबल्यु.डी. कार्यों के लिए अग्रिम	30,000,000	16,005,583
	अन्य संगठनों से रसीद	2,898,000	2,660,000		उपकरण	3,272,564	1,799,597
	ऋण व अग्रिम की वसूली	1,647,029	1,440,229		फर्नीचर	850,461	1,081,262
	समायोज्य के लिए अन्य रसीद	2,064,415	4,428,651		एडिप योजना	32,714,324	14,197,928
	बैंक तथा डाक घर ब्याज	440,072	798,949		एन.आई.ई.पी.एम.डी. व्यय	35,112,493	114,787,507
	आंतरिक रसीद	7,296,673	7,170,737		वसूली योग्य / समंजनीय अग्रिम	51,018,424	4,472,935
	एन.आई.ई.पी.एम.डी. चेन्नई	41,800,000	108,100,000		पायलेट परियोजना	36,007,547	17,259,915
	डीडीआरसी अनुदान/कम्प्युटर/ओ.टी.- पी.टी.उपकरण	1,050,000			स्थापना खर्च		
	पी.एण्ड जी. निधि खाते को आंतरण	19,014,788			वेतन, मजदूरी तथा भत्ता	23,105,054	25,756,590
	पी.एण्ड जी. निधि खाते पर ब्याज	38,548	467,657		पेंशन तथा ग्रेचुइटी	1,872,067	2,771,779
	इन्डो-युस सम्मेलन के लिए अनुदान		1,053,729		कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम	442,200	862,200
					समर्थन सेवाएँ	4,602,430	4,501,668
					कंटिंजेन्ट खर्च	2,288,277	2,243,989
					अन्य कार्यालय खर्च	5,618,387	6,899,066
					रोकड और बैंक आदिशेष		
					हाथ रोकड	8,605	5,500
					बैंक रोकड	26,477,994	39,127,275
					डाक घर रोकड	344,967	0
					पेन्शन खाता रोकड	19,079,824	16,776,806
					एडिप खाता रोकड	8,451,940	9,325,696
	कुल रु.	320,819,150	336,843,340			320,819,150	336,843,340

ह/-
लेखा अधिकारी

ह/-
उपनिदेशक (प्र)

ह/-
निदेशक

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
वर्ष 2006-07 के लिए प्राप्तियों का विवरण

क्र. (1)	प्राप्ती (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के. मुम्बई (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्रास योग (8)	सकल योग (9)
1	आदि शेष							
a)	हाथ रोकड	1,200	2,500	1,000	2,000	1,905	8,605	8,605
b)	बैंक रोकड						0	
(i)	पी.एन.बी. खाता सं.1	6,262,961	669,851	627,648	286,469	562,954	8,409,883	
(ii)	पी.एन.बी. खाता सं. 2	18,068,111					18,068,111	
(iii)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं. 20						0	26,477,994
c)	डाक घर						0	
(I)	खाता सं. 128413 (एच.पी.ओ.)	100,712					100,712	
(ii)	खाता सं. 760258 (एम.वी.एन.)	244,255					244,255	344,967
d)	पेंशन व गेचुइटी निधि खाता	19,080,928					19,080,928	19,080,928
e)	एन.आई.एम.एच. एडिप खाता	8,451,940					8,451,940	
	रद्द कीगई चेक की प्राप्ती	71,684					71,684	8,523,624
2	सहायता अनुदान	124,800,000	8,000,000	6,000,000	3,500,000	5,500,000	147,800,000	147,800,000
2A	एडिप सहायता अनुदान	15,000,000					15,000,000	15,000,000
2B	एन.आई.ई.पी.एम.डी. अनुदान	108,100,000					108,100,000	108,100,000
3	विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान (पायलेट परियोजना)	16,487,270	427,218				16,914,488	16,914,488
4	अन्य संगठनों से प्राप्तियाँ	2,660,000					2,660,000	2,660,000
4A	डी.डी.आर.सी. अनुदान	1,053,729					1,053,729	1,053,729
4B	पी.व जी. खोंत को प्राप्तियों का आंतरण						0	0
5	बैंक व डाक घर खाता से ब्याज						0	
(i)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं. 20	651,960	30,288	37,581	15,114	37,927	772,915	
(ii)	पी.ओ. खाता सं. 128413 (एच.पी.ओ.)	26,034					26,034	798,949
(iii)	पी.व जी. खोंत	467,657					467,657	467,657
6	ऋण व अग्रिम की वसूलियाँ	1,412,029	26,400		1,800		1,440,229	1,440,229
7	आंतरिक प्राप्तियाँ						0	
(i)	संबद्धित शुल्क	90,250					90,250	
(ii)	पाठ्यक्रम शुल्क	3,172,654	26,500	745,800	621,598	819,608	5,386,160	
(iii)	परीक्षा शुल्क	67,760					67,760	
(iv)	डी.एस.ई. (एम.आर.) नोट्स की बिक्री	1,485					1,485	
(v)	विशेष शिक्षा केन्द्र व विद्यालय शुल्क	51,230	23,493				74,723	
(vi)	सामान्य सेवा	167,563			15,183	89,312	272,058	
(vii)	पुस्तकालय	678,316	366	32,918	5,00		716,600	
(viii)	अतिथि गृह	87,500	5,450			1,745	94,695	
(ix)	परिवार कुटीर	18,170					18,170	
(x)	कर्मचारी क्वार्टर / स्टाफ कार	188,977	21,942				210,919	
(xi)	क्वारर्टर्स गारबेज	1,251					1,251	
(xii)	टेंडर बिक्री	600					600	
(xiii)	रायल्टी	74,295					74,295	
(xiv)	प्लेगाउन्ड किराया	8,000					8,000	
(xv)	दान	6,000	500				6,500	
(xvi)	लीव सैलरी व पेन्शन कान्ट्रीबूशन	114,282					114,282	7,137,478
(xvii)	जी.एस.एल.आई.सी.	231,630	2,250				233,880	
(xviii)	स्कालरशिप	50,815					50,815	
(xix)	ई.एम.डी.	50,000					50,000	
(xx)	अवधान द्रव्य जमा	207,100		33,500	42,000	27,500	310,100	
(xxi)	एन.आई.एम.एच. रिक्रियेशन क्लब	0					0	
(xxii)	वापसी द्रव्य	3,783,856					3,783,856	
(xxiii)	अन्य	23,258	1,623	6,201		1,907	32,989	4,461,640
	कुल	332,015,462	9,238,381	7,484,648	4,489,164	7,042,903	360,270,558	360,270,558

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद
व्यय का विवरण - वर्ष 2006-07

क्र. (1)	वस्तु की रसीद (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के. मुम्बई (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्रास योग (8)	सकल योग (9)
1	मानव संसाधन विकास							
a)	शिक्षक पशिक्षण केन्द्रो को वित्तिय सहायता	3,347,653					3,347,653	
b)	दीर्घ कालीन पाठ्यकम	6,623,632		1,281,750	1,297,793	1,045,281	10,248,456	
c)	प्रमाण पत्र पाठ्यकम	28,873					28,873	
d)	अल्प कालीन पाठ्यकम	543,236	36,737	30,082	135,246	123,091	868,392	
e)	व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	0					0	14,493,374
2	अनुसंधान एवं विकास	6,965,021					6,965,021	6,965,021
3	सेवा प्रतिमानों का विकास	6,965,021					0	
a)	एर्लीइन्टरवेन्शन कार्यकम	625,918					625,918	
b)	सेवाएँ	1,295,,845	93,057	1,350	271,666	547,855	2,209,773	
c)	दवाईयाँ	1,405,970	1,005		20		1,406,995	
d)	खेल और सांस्कृतिक कार्यकम	137,777	4,418	7,909	17,561	9,376	177,041	4,419,727
4	कन्सलटेन्सी सेवाएँ						0	
a)	राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला एवं संगोष्ठी	499,350					499,350	
b)	एन.जी.ओ. निरिक्षण एवं मार्गदर्शन	375,700					375,700	875,050
5	प्रलेखन एवं पचार						0	
a)	जागरूकता सृजन	12,232,495		35,426	5,106	25,575	12,298,602	
b)	सूचना तकनीकी	1,084,071			54,682		1,138,753	
c)	पुस्तकालय पुस्तकें	1,498,777	3,377	235,007	9,740	58,443	1,805,344	
d)	प्रलेखन	777,818		1,418	874	74,425	854,535	
e)	प्रकाशन एवं पुनर्मुद्रण	795,660			13,408		809,068	16,906,302
6	विस्तार एवं आऊटरीच सेवाएं	3,474,790		102,229			3,577,019	3,577,019
7	योजनाबद्ध संरचना						0	
a)	भूमि	427,218	427,218				854,436	854,436
b)	भवन	0		152,866			152,866	152,866
c)	सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम	16,005,583					16,005,583	16,005,583
d)	उपकरण	1,445,002	66,136	103,976	46,839	137,644	1,799,597	1,799,597
e)	फर्नीचर	529,846		59,187	60,204	432,025	1,081,262	1,081,262
f)	परिवहन वाहन	0					0	
8	एडिप व्यय	14,197	928				928	928
9	एन.आई. ई.पी.एम.डी.	114,787,507					114,787,507	114,787,507
10	पायलेट परियोजना	17,529,915					17,529,915	17,529,915
11	ए.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी. नई दिल्ली	8,000,000					8,000,000ठ	8,000,000
12	क्षेत्रीय केन्द्र	15,000,000					15,000,000	15,000,000
13	उत्तर पूर्व सेवाएँ	11,027,923		17,232		106,312	11,151,467	11,151,467
14	वेतन, मजदूर व भत्ता						0	
a)	वेतन	13,924,764	4,467,321	2,031,585	934,644	923,261	22,281,575	
b)	मजदूरी	100,050	68,993	900	75,169	11,609	256,721	
c)	ओवर टाईम भत्ता	78,227	9,460	6,705	1,806	2,838	99,036	
d)	टयूशन फीस की प्रतिपूर्ती	22,080	7,080	960	480	2,226	32,826	
e)	मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ती	1,888	752	142,690	162,747	1,550	34,996	
f)	रियायती छुट्टी यात्रा	231,108	34,046	68,514	2,428	18,360	354,456	
g)	यात्रा भत्ता	274,719	22,373	72,562	13,173	27,243	410,070	
h)	कर्मचारी प्रशिक्षण	77,257			13,914		91,171	25,756,590
	कुल	256,990,465	5,383,911	4,372,405	2,956,303	3,580,560	273,283,644	273,283,644

क्र. (1)	वस्तु की रसीद (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के. मुम्बई (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्रास योग (8)	सकल योग (9)
i)	पेन्शन व ग्रेचुइटी	2,771,779					2,771,779	2,771,779
j)	ऋण व अग्रिम						0	
i)	गृह निर्माण अग्रिम	0					0	
ii)	परिवहन अग्रिम	252,700					252,700	
iii)	कम्प्यूटर अग्रिम	542,000					542,000	
iv)	त्योहार अग्रिम	43,500	18,000	4,500	1,500		67,500	
v)	पंखों का अग्रिम	0					0	
vi)	अन्य अग्रिम	0					0	862,200
15	सेवाएँ						0	
a)	सैनिटेशन व क्लीनिंग	1,307,852	218,679	5,043	34,990	15,007	1,581,571	
b)	सुरक्षा सेवा	1,477,327	426,510				1,903,837	
c)	बागबानी	745,584	460	3,617			749,661	
d)	इलैक्ट्रीकल, प्लबिंग, कैटरिंग	266,599					269,599	4,501,668
16	आकस्मिक खर्च						0	
a)	पी ओ एल	594,140	67,639	53,668	13,144	50,314	778,905	
b)	वी आर एम	267,124	64,369	22,549			354,042	
c)	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	663,211	21,123	39,949	38,632	72,526	835,432	
d)	विज्ञापन	275,610					275,610	2,243,989
17	अन्य व्यय						0	
a)	बिजली	1,409,009	244,842	60,865	14,950		1,729,666	
b)	मानदेय व परिश्रमी	700		2,806			3,506	
c)	बीमा	94,226	11,417				105,643	
d)	मरम्मत एवं रखरखाव						0	
i)	भवन	1,117,734	18,347	9,108	653,635	13,261	1,812,085	
ii)	उपकरण	502,322	8,386	62,584	44,662	85,155	703,109	
iii)	फर्नीचर	41,734	8,092		8,420	7,317	65,563	
iv)	बिजली संबंधी	119,205	16,931	6,793	1,382	11,094	155,405	
v)	मरम्मत, सामान व मजदूर	397,236	8,948	12,738	950	13,875	433,747	
e)	डाक व टेलीफोन						0	
i)	डाक खर्च	493,237	8,401	11,075	17,978		530,691	
ii)	तार	27,573					27,573	
iii)	टेलीफोन	516,265	29,123	69,751	27,599	59,080	701,818	
f)	लेखा परीक्षण शुल्क	225,595					225,595	
g)	वर्दी	1,298		617	299	1,077	3,291	
h)	हास्पिटलिटी	24,216	767	17,447	2,118	880	45,428	
i)	स्थानीय परिवहन	27,785	14,530	1,863	13,401	9,504	67,083	
j)	परिवहन						0	
k)	अन्य खर्च						0	
i)	छाया प्रति	18,162	2,529				20,691	
ii)	समाचार पत्र एवं अवैधिक पत्रिका	69,254	2,067	8,159	5,102	4,372	88,954	
iii)	हिन्दी कार्यक्रम	103,902					103,902	
iv)	लीगल खर्च	10,726	9,121				19,847	
v)	अन्य खर्च	18,312	7,591	15,126	9,326	5,109	55,464	6,899,066
	कुल	14,425,922	1,207,872	408,258	888,079	348,571	17,278,702	17,278,702

क्र. (1)	वस्तु की रसीद (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के. मुम्बई (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्रास योग (8)	सकल योग (9)
18	ऋण व अग्रिम वसूली							
a)	ई.एम.डी.	190,000					190,000	
b)	जी.एस.एल.आई.सी.	224,660					224,660	
c)	चुकौती के लिए प्राप्तियाँ	3,545,370				10,446	3,555,836	
d)	कारन मनी जमा की वापसी	138,500			15,000	16,200	169,700	
	सुरक्षा जमा की वापसी		332,739				332,739	
e)	सी.आर.सी. भोपाल	0					0	
f)	पी. व जी खाते को अंतरण	0					0	
g)	ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. को कोलकता भवन	0					0	4,472,935
19	अंतिम शेष	0					0	
a)	हाथ रोकड	0	2,500		2,000	1,000	5,500	5,000
b)	बैंक रोकड	0					0	
(I)	पी.एन.बी. खाता सं.1	26,321,770	2,311,359	2,703,985	627,782	3,086,106	35,051,002	
(ii)	पी.एन.बी.खाता सं.2	4,076,273					4,076,273	
(iii)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं.20						0	39,127,275
c)	डाक घर						0	
(I)	खाता सं. 128413 (एच.पी.ओ.)						0	
(ii)	खाता सं. 76028 (एम.वी.एन.)	0					0	0
d)	पेंशन व ग्रैचुइटी	16,776,806					16,776,806	16,776,806
e)	एडिप योजना	9,325,696					9,325,696	9,325,696
	कुल	60,599,075	2,646,598	2,703,985	644,782	3,113,772	69,708,212	69,708,212
	सकल योग	332,015,462	9,238,381	7,488,648	4,489,164	7,042,903	360,270,558	360,270,558

ह/-

लेखा अधिकारी

अनुलग्नक - क

सामान्य परिषद के सदस्यों की सूची

1.	डा. (श्रीमती) वीणा छोत्रे, आईएएस सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110 001	31-8-2006 से
2.	श्रीमती सरिता प्रसाद, आईएएस सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110 001	30-08-2006 तक
3.	श्री आशीष कुमार, उप महानिदेशक भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली - 110 001	01-01-2007 से
4.	श्री जी.एन.पेगु, आईएएस संयुक्त सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	31-12-2006 तक
5.	श्री मृत्युंजय साहू संयुक्त सचिव व वित्त सलहाकार भारत सरकार ऊर्जा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय कमरा नं.405, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली - 110 001	
6.	संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	

7. संयुक्त सचिव, भारत सरकार
स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन
नई दिल्ली - 110 001

8. प्रधान सचिव, ऑध्र प्रदेश सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
सचिवालय, एच ब्लाक, प्रथम तल
हैदराबाद - 500 022

9. प्रधान सचिव, ऑध्र प्रदेश सरकार
स्त्री विकास एवं शिशु कल्याण विभाग
सचिवालय, एच ब्लाक, भू-तल, कमरा नं. 27
हैदराबाद - 500 022

10. महा निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
श्रम मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली - 110 001

11. प्रोफेसर के.सी.पंडा
प्राचार्य (सेवानिवृत्त)
आर आई ई, छतारु,
डी-25 मैत्री विहार
चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा

12. प्रो. सी.एल.कुंडु,
भूतपूर्व उपकुलपति,
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,
सेक्टर-14, 1238
फरीदाबाद, हरियाणा

13. श्री जार्ज कुट्टी करेपारंपील
केरल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड
वी.एच. के शिक्षकों का प्रशिक्षण केंद्र
केरल

14. श्री सैयद अकरम जमील
ए-35, जवाहर पार्क,
देवली रोड, खानपुर
नई दिल्ली - 110 062

15. श्री मेकला सुब्बा राव
मेकलावारी स्ट्रीट, विंचीपेट
विजयवाड़ा - 520 001

16. डा. एल.गोविन्द राव
निदेशक, रा.मा.वि.स.
सिकंदराबाद - 500 009

NIMH

अनुलग्नक -ख

कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची

1.	श्री आशीष कुमार उप महा निदेशक एवं संयुक्त सचिव प्रभारी (डीडी), भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	01-01-2007 से
2.	श्री जी.एन.पेगु, आईएएस संयुक्त सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	31-12-2006 तक
3.	श्री मृत्युंजय साहू, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नं.405, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 001	
4.	डॉ. जे. एन. चौधरी डी-123, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110 035	
5.	श्री शेर-उज़-ज़मान खान, 415, शहजादा बाग, इंदर लोक दिल्ली - 110 035	
6.	डॉ. एल.गोविंद राव निदेशक रा.मा.वि. संस्थान मनोविकास नगर सिकंदराबाद - 500 009	

अनुलग्नक - ग

अकादमिक समिति के सदस्यों की सूची

1. डॉ. शोभा श्रीनाथ
   प्रोफेसर मनश्चिकित्सा
   मनश्चिकित्सा विभाग,
   निम्हान्स, बेंगलूर - 560 029

2. प्रो. एस.हरिहरन,
   भूतपूर्व प्राचार्य एवं प्रोफेसर
   एचओडी-पीएमआर मेडिकल कॉलेज
   तयरम्बाकम, 2-1/68(1)
   जी.जी. अस्पताल मेडिकल कॉलेज के पास
   तिरुवनंतपुरम - 695011

3. प्रोफेसर के.एस. सुधीर रेड्डी
   अध्यक्ष
   बोर्ड ऑफ स्टडीज, स्पेशल एजुकेशन,
   उस्मानिया विश्वविद्यालय, तारनाका,
   हैदराबाद - 500 007

4. प्रो. (श्रीमती) नीरजा शुक्ला
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   विशेष आवश्यकताओं वाले वर्गों, शिक्षा विभाग
   एनसीईआरटी, श्री अरबिन्दो मार्ग,
   नई दिल्ली - 110 016

5. प्रो. एम. जयराम,
   निदेशक, एआईआईएसएच, मानसगंगोत्री
   मैसूर - 570 006

6. प्रो. मल्लिका बनर्जी
   मनोविज्ञान विभाग, कोलकता विश्वविद्यालय
   फ्लैट नं.4, लेक व्यू को-आपरेटिव हाउसिंग, सोसाइटी
   पी-203/बी, ब्लाक-बी, कोलकता - 700 089

7. प्रो. अनुपम बसु,
   अध्यक्ष, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग,
   आईआईटी, खड्गपुर - 721 302

8. प्रो. एम.एस.भट्ट
   निदेशक, स्कूल फॉर मैनेजमेंट साइंस
   जवाहरलाल नेहरू टेक्नॉलोजिकल
   युनिवर्सिटी
   कूकटपल्ली, हैदराबाद - 500 072

9. डॉ. एल.गोविन्द राव,
   निदेशक, रा.मा.वि.सं.
   सिकंदराबाद

अनुलग्नक - घ

नीतिशास्त्र समिति के सदस्यों की सूची

1. निदेशक
   आंध्र प्रदेश जुडिशियल अकादमी
   सिटी सिविल कोर्ट परिसर
   सिकंदराबाद - 500 003

2. निदेशक
   राष्ट्रीय पोषण संस्थान
   तारनाका, हैदराबाद - 500 007

3. डॉ. जयंती नारायण
   अध्यक्ष, विशेष शिक्षा,
   रा.मा.वि.संस्थान,
   सिकंदराबाद

4. डॉ. एल.गोविन्द राव
   निदेशक
   रा.मा.वि.संस्थान,
   मनोविकास नगर, सिकंदराबाद - 500 009

अनुबंध -I

लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम - 2006-07

क्रम सं.	लघु अवधि कोर्स का नाम	स्थान	तिथियाँ	दिन	प्रतिभागी
1	विशेष शिक्षकों और व्यावसायिक अनुदेशकों के लिए मानसिक मंदन से ग्रस्त युवकों के लिए जॉब माड्यूल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	17 अप्रैल,06 21 अप्रैल,06	5	10
2	व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	24 अप्रैल,06 28 अप्रैल,06	5	7
3	कम लागत का फर्नीचर पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं.-आरसी, मुंबई	10 अप्रैल,06 14 अप्रैल,06	5	38
4	एड्स जागरूकता पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं.-आरसी, मुंबइ	11 अप्रैल,06 14 अप्रैल,06	5	38
5	मानसिक विकलॉग से ग्रस्त लोगों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	24 अप्रैल,06 28 अप्रैल,06	5	10
6	मानसिक मंदन में चिकित्सीय मध्यस्थता पर प्रमाणपत्र कोर्स	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	15 मई,06- 30 जून,06	15	4
7	प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक मध्यस्थता रोकथाम प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	26 जून,06- 30 जून,06	5	23
8	आत्मविमोह के पहलुओं के संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	10 जुलाई,06 14 जुलाई,06	5	21

9	पुनर्वास में परामर्श पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	17 जुलाई,06 जुलाई,06	5	14
10	अभिभावक प्रशिक्षण पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	14 अगस्त,06 25 आगस्त,06	12	8
11	नोडल अधिकारियों और डीडीआरसी यो के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	7 आगस्त,06 11 आगस्त,06	5	6
12	व्यावसायिक मूल्यांकन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	21 आगस्त,06 25 आगस्त,06	5	14
13	सर्व शिक्षा अभियान के टीचरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी ,नई दिल्ली	28 आगस्त,06 1 सितंबर,06	5	37
14	मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए व्यवहार संशोधन पर सीआरई कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी, मुंबई	21 आगस्त,06 25 आगस्त,06	5	37
15	व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार: मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों में उनके कार्य में कार्य-व्यवहार का प्रभावी प्रबंधन और रखरखाव ।	रा.मा.वि.सं.-एमसीईसी	28 आगस्त,06 1 सितंबर,06	5	14
16	सामुदायिक पुनर्वास में प्रमाणपत्र कोर्स	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	4 सितंबर,06 22 सितंबर,06	3	20
17	प्रोफेशनलों के लिए व्यवहार संशोधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	18 सितंबर,06 22 सितंबर,06	5	23
18	मानसिक मंदन के चिकित्सीय पहलुओं पर प्रोफेशनलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	25 सितंबर,06 29 सितंबर,06	5	10
19	मानसिक मंदन के चिकित्सीय पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	25 सितंबर,06 29 सितंबर,06	5	10
20	मानसिक मंदन से ग्रस्त लोगों के लिए पाठ्यक्रम विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	11 सितंबर,06 15 सितंबर,06	5	22
21	खेल चिकित्सा पर कार्यशाला	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	25 सितंबर,06	1	30
22	पुनर्वास मनोविज्ञान पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	4 सितंबर,06 8 सितंबर,06	5	14

23	आत्मविमोह से पीड़ित बच्चों के लिए विशिष्ट मध्यस्थता उपाय	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	23 अक्तू.,06 28 अक्तू.,06	5	06
24	योगा और मानसिक मंदन	रा.मा.वि.सं.-एमएसईसी नई दिल्ली	30 अक्तू.,06 03 नवंबर,06	5	08
25	मानसिक मंदन के चिकित्सीय पहलुओं पर विशेष शिक्षकों के लिए प्रमाणपत्र कोर्स	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	30 अक्तू.,06 24 नवंबर,06	25	11
26	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर प्रमाण पत्र-कोर्स	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	01 नवंबर,06 30 नवंबर,06	30	15
27	गंभीर मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	13 नवंबर,06 17 नवंबर,06	5	08
28	मानसिक मंदन से ग्रस्त बच्चों के लिए- पढ़ने हेतु सीखने की सामग्री का विकास और उपयोग	रा.मा.वि.सं.-आरसी नई दिल्ला	13 नवंबर,06 17 नवंबर,06	5	32
29	परामर्श और मार्गदर्शन	रा.मा.वि.सं.-एमएसईसी नई दिल्ली	21 नवंबर,06 25 नवंबर,06	5	11
30	अभिभावकों के प्रशिक्षण पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	04 दिसंबर,06 15 दिसंबर,06	12	9
31	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर प्रमाण पत्र- कोर्स	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	15 दिसंबर,06 15 जनवरी,06	30	7
32	पेशेवर चिकित्सा पर पुनर्वास शिक्षा जारी रखना पर 5 दिवसीय सीआरई	रा.मा.वि.सं.-आरसी, मुंबई	04 दिसंबर,06 08 दिसंबर,06	5	27
33	विशेष आवशयकताओं वाले व्यक्तियों के लिए विशेष और समावेश सेटिंगों के व्यवहार के प्रबंधन की नीतियाँ	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	22 जनवरी,07 27 जनवरी,07	5	12
34	पेशेवर प्रशिक्षण और रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	8 जनवरी,07 12 जनवरी,07	5	15
35	विकासीय अक्षमताओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	26 फरवरी,07 2 मार्च,07	5	25
36	प्रारंभिक मध्यस्थता पर पुनर्वास शिक्षा जारी रखना	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	26 फरवरी,07 02 मार्च,07	7	07

37	एसएसए, आं.प्र., से संसाधन शिक्षकों के लिए मास्टर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	06 फरवरी,07 09 फरवरी,07	4	23
38	स्कूल से कार्यस्थल को संक्रमण	रा.मा.वि.सं.-एमएसईसी नई दिल्ली	26 फरवरी,07 02 मार्च,07	5	14
39	अक्षमताओं और समावेश विकास पर सामुदायिक कार्यकर्ताओं और समन्वयकर्ताओं के लिए प्रवेश प्रशिक्षण	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	21 मार्च,07 30 मार्च,07	10	34
40	अभिभावकों के प्रशिक्षण पर मास्टर प्रशिक्षकों का कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	05 मार्च,07 16 मार्च,07	12	10
41	प्रारंभिक मध्यस्थता पर लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	27 फरवरी,07 03 मार्च,07	5	08
42	सम्मिलित शिक्षा पर लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	19 मार्च,07 23 मार्च,07	5	17
		योग			**701**

43-156	अतिथि प्रोफेशनलों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम	114 कार्यक्रम	2393
157-187	जागरूकता कार्यक्रम	31 कार्यक्रम	3002
188-235	मुख्यालय से सीबीपी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	48 कार्यक्रम	3723
236-270	डीडीआरसी यो और उत्तर पूर्व के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	35 कार्यक्रम	2291
		समग्र योग	**12110**

अनुबंध - II

अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	स्थान	तिथि	हिताधिकारी
1	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	12.4.06	7
2	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	18.4.06	8
3	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	25.4.06	9
4	रा.मा.वि.सं.-आरसी, मुंबई	14.4.06	10
5	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	21.4.06	21
6	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	13.4.06	15
7	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	28.4.06	30
8	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	3.5.06	15
9	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	12.5.06	13
10	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	17.5.06	11
11	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	25.5.06	16
12	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	26.5.06	23
13	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	12.5.06	15
14	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	26.5.06	16
15	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	7.6.06	8
16	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	15.6.06	9
17	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	22.6.06	12
18	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	29.6.06	10
19	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	16.6.06	30
20	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	30.6.06	20
21	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	16.06.06	21
22	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	3.07.06	15
23	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	12.07.06	12
24	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	27.7.06	9
25	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	08.08.06	8

26	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	14.8.06	9
27	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	24.8.06	10
28	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	22.8.06-24.8.06	29
29	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	22.8.06-24.6.07	260
30	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	22.8.06-24.8.06	227
31	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	11.8.06	25
32	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	25.8.06	10
33	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	25.8.06	18
34	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	7.9.06	15
35	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	21.9.06	25
36	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	11.9.06	20
37	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	28.9.06	16
38	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	22.9.06	21
39	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	08.9.06	35
40	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	21.9.06	16
41	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	24.10.06-25.10.06	16
42	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	26.10.06-27.10.06	65
43	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	13.10.06	15
44	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	27.10.06	16
45	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	06.10.06	16
46	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	13.10.06	13
47	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	05.10.06	10
48	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	12.10.06	8
49	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	19.10.06	10
50	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	30.10.06	12
51	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	08.11.06	15
52	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	16.11.06	8
53	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	22.11.06	22
54	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	29.11.06	07
55	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	17.11.06	23
56	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	10.11.06	18
57	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	24.11.06	29
58	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	12.12.06-14.12.06	33
59	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	12.12.06-14.12.06	63
60	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	12.12.06-14.12.06	188

61	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	22.12.06	27
62	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	08.12.06	10
63	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	13.12.06	10
64	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	21.12.06	40
65	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	15.12.06	38
66	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	29.12.06	29
67	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	16.01.07	08
68	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	24.01.07	09
69	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	17.01.07	06
70	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	29.01.07	05
71	रा.मा.वि.सं.-आरसी, मुंबई	17.01.07	15
72	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	12.01.07	25
73	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	25.01.07	12
74	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	19.01.07	18
75	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	07.02.07	12
76	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	15.02.07	08
77	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	26.02.07	25
78	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	09.02.07	15
79	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	23.02.07	25
80	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	28.02.07	23
81	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	07.03.07	7
82	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	14.03.07	8
83	रा.मा.वि.सं.सिकंदराबाद	13.03.07-15.03.07	35
84	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	09.03.07	15
85	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	23.03.07	25
86	रा.मा.वि.सं.-आरसी, कोलकता	11.03.07	10
87	रा.मा.वि.सं.-आरसी, नई दिल्ली	23.03.07	27
	योग		**2173**
88-92	डीडीआरसी के द्वारा	5 कार्यक्रम	503
93-114	सीबीपी मुख्यालय द्वारा	22 कार्यक्रम	1937
	समग्र योग		**4613**

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

(आई.एस.ओ. 9001:2000 संस्थान)

मनोविकासनगर, सिकन्दराबाद - 500 009. आँध्रप्रदेश, भारत.

तार : मनोविकास फोन : 040-27751741 फैक्स : 040-27750198

ई.मेइल : hyd2_dirnimh@sancharnet.in nimh_hyd@eth.net

वेबसाइट : www.nimhindia.org